

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
(आर्थिक क्षेत्र)

राजस्थान सरकार
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची			
		संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		-	(v)
अध्याय I प्रस्तावना			
इस प्रतिवेदन के बारे में		1.1	1
लेखापरीक्षा की रूपरेखा		1.2	2
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति		1.3	3
कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान का संगठनात्मक ढांचा		1.4	3
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन		1.5	3
लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष		1.6	4
निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया		1.7	10
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही		1.8	11
अध्याय II निष्पादन लेखापरीक्षा			
जल संसाधन विभाग			
नर्मदा नहर परियोजना में सिंचाई क्षमता का सृजन		2.1	13

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय III अनुपालना लेखापरीक्षा		
पर्यावरण विभाग संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों की योजना, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण	3.1	39
जल संसाधन विभाग राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना	3.2	59
वन विभाग नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण	3.3	74
सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रतिशत प्रभार ₹ 7.44 करोड़ को अनियमित रूप से शामिल करना	3.4	87
निष्फल व्यय ₹ 3.99 करोड़ .	3.5	89
कार्य की स्पानवाइज प्रगति के संधारण के अभाव में ₹ 4.66 करोड़ की क्षतिपूर्ति के आरोपण का अभाव व मूल्य वृद्धि ₹ 0.44 करोड़ का अनियमित भुगतान	3.6	91
परिहार्य व्यय ₹ 2.05 करोड़	3.7	94
अलाभकारी व्यय ₹ 1.78 करोड़	3.8	95
कोषों का अनाधिकृत उपयोग ₹ 1.72 करोड़	3.9	96
परिहार्य व्यय ₹ 1.42 करोड़	3.10	97
वन विभाग ₹ 1.52 करोड़ की वसूली का अभाव	3.11	99

		संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
जल संसाधन विभाग			
सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा		3.12	100
मूल्य वृद्धि पर परिहार्य व्यय ₹ 6.85 करोड़		3.13	101

परिशिष्ट		पृष्ठ
परिशिष्ट 2.1	परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 'राजस्थान के किसान की सिंचाई प्रणाली में भागीदारी नियम, 2000' में किये जाने वाले संशोधनों की सूची	105
परिशिष्ट 2.2	उन मामलों की सूची जिनमें कलाज 5 के अधीन समय का विस्तार नहीं चाहा गया अथवा प्रदान किया गया तथा कलाज 2 के अधीन कार्यवाही नहीं की गयी	107
परिशिष्ट 3.1	विश्लेषित नमूनों एवं उनके परिणामों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	111
परिशिष्ट 3.2	जारी कार्यदेश, व्यय, संवेदकों को भुगतान की गई मूल्यवृद्धि का कार्यवार विवरण	112
परिशिष्ट 3.3	कार्यों का विवरण जिनमें संवेदक द्वारा स्पान वाईज प्रगति संधारित नहीं की	113
परिशिष्ट 3.4	संवेदकों को अनुबन्ध के क्लॉज 2 व 3 के अन्तर्गत किये गये क्षतिपूर्ति के भुगतान का विवरण	116
परिशिष्ट 3.5	ग्रामीण गौरव पथ योजना के अन्तर्गत मिट्टी की खुदाई, जीएसबी व डब्ल्यू.बी.एम. को शामिल करने वाले कार्यों का विवरण	117

प्राक्कथन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 तथा इसके अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम, 2007 के अन्तर्गत की गयी आर्थिक सेवाओं से संबंधित राजस्थान सरकार के विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2015-16 के दौरान नमूना जाँच में ध्यान में आए तथा वे भी, जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके। वर्ष 2015-16 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले, जहाँ कहीं आवश्यक था, भी शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

अध्याय I
प्रस्तावना

अध्याय I प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन चयनित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं आर्थिक क्षेत्र के विभागों और स्वायत्तशासी निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों से सम्बन्धित है।

अनुपालना लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों के व्ययों से जुड़े लेनदेनों की जाँच से सम्बन्धित है। यह सुनिश्चित करेगी कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों की अनुपालना की जा रही है। निष्पादन लेखापरीक्षा यह जाँच करती है कि क्या कार्यक्रम या गतिविधि के उद्देश्यों को मितव्ययतापूर्वक, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से हासिल किया गया है।

प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्व परिणामों को राज्य विधान सभा के समक्ष लाना होता है। लेखापरीक्षा मानकों के लिए यह आवश्यक है कि रिपोर्टिंग का वस्तु स्तर, लेनदेनों की प्रकृति, मात्रा एवं महत्व के अनुसार होना चाहिए। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से यह प्रत्याशा की जाती है कि इनसे कार्यपालक सुधारात्मक कार्यवाही करने योग्य बन सके। इससे वे अच्छे शासन में भागीदारी के लिए वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए नीतियां एवं निर्देश बना सके।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा आयोजना एवं आकार की व्याख्या के अतिरिक्त, चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमियां, लेनदेनों की लेखापरीक्षा के दौरान लिए गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों एवं विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही के संकलन को प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के अध्याय II में नर्मदा नहर परियोजना में सिंचाई क्षमता का सृजन की निष्पादन लेखापरीक्षा में उजागर निष्कर्ष शामिल है। अध्याय III में सरकारी विभागों की अनुपालना लेखापरीक्षा में उजागर हुए आक्षेप शामिल है।

1.2 लेखापरीक्षा की रूपरेखा

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा आर्थिक क्षेत्र के 12 विभागों एवं उनके स्वायत्तशासी निकायों के खर्चों की लेखापरीक्षा की जाती है। ये विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों, जो कि आयुक्तों/उपशासन सचिवों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहयोग किये जाते हैं, द्वारा नियंत्रित हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान किये गये व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका 1 में दी गयी है:

तालिका-1: व्यय की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व व्यय			
सामान्य सेवायें	23,339	27,868	31,016
समाजिक सेवायें	31,486	37,754	43,349
आर्थिक सेवायें	20,436	28,920	31,874
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	249	—*	—**
योग	75,510	94,542	1,06,239
पूँजीगत एवं अन्य व्यय			
पूँजीगत परिव्यय	13,665	16,103	21,985
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	811	701	36,602
लोक ऋण की अदायगी	4,116	4,960	4,959
आकस्मिकता निधि	—	300	—
लोक लेखा संवितरण	1,05,605	1,22,061	1,40,432
योग	1,24,197	1,44,125	2,03,978
कुल योग	1,99,707	2,38,667	3,10,217

स्रोत: संबंधित वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

* केवल ₹ 9 लाख ** केवल ₹ 10 लाख

1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से ली गयी है।

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों को शामिल करते हुए आर्थिक क्षेत्र के विभागों के व्ययों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम 1971 तथा इसके अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम, 2007 के अन्तर्गत की जाती है। निष्पादन एवं अनुपालना लेखापरीक्षा के लिये सिद्धान्त एवं विधियाँ, सीएजी द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं नियम पुस्तिकाओं में निर्दिष्ट की गई हैं।

1.4 कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान का संगठनात्मक ढांचा



सीएजी के निर्देशों के अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों को शामिल करते हुये राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र के

विभागों की लेखापरीक्षा तीन समूहों द्वारा संचालित करता है।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों/स्वायत्तशासी निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि के जोखिम प्रदर्शन के आंकलन से होती है। जोखिम आंकलन, व्यय, गतिविधियों के महत्व, वित्तीय शक्तियों के सौपने का स्तर, समग्र आंतरिक नियन्त्रणों का आंकलन एवं भागीदारों की चिंताओं पर आधारित है। इस प्रक्रिया में गत लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते हैं।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुए इकाई के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं।

इकाइयों से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर प्रेषित करने हेतु निवेदन किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर किये गये मुख्य लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है।

1.6 लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षों से लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों एवं साथ ही आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता को प्रतिवेदित किया है। इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों ने निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन एवं विभागों के कार्य को प्रभावित किया है, सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालना लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुई कमियों को भी प्रतिवेदित किया है।

वर्तमान प्रतिवेदन में नर्मदा नहर परियोजना में सिंचाई क्षमता का सृजन विषय पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों की योजना, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण, राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना तथा नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण विषयों पर तीन विषयक आधारित अनुपालना लेखापरीक्षा तथा 10 एकल अनुच्छेद शामिल हैं जिनके मुख्य बिन्दु निम्न अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

1.6.1 कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा

नर्मदा नहर परियोजना में सिंचाई क्षमता के सृजन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान एवं गुजरात राज्य की साझेदारी वाली अन्तर्राज्यीय परियोजना है। नर्मदा नहर 'सरदार सरोवर बांध' से प्रारंभ होती है तथा 458 किमी गुजरात में बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में मुख्य नहर, वितरिकाओं तथा द्वितीयक नहर प्रणाली की कुल लम्बाई 1792.67 किमी है।

राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना को भारत सरकार ने जनवरी 1996 में मार्च 2003 की निर्धारित पूर्णता तिथि के साथ अनुमोदित किया। कृषि योग्य कमान क्षेत्र 1.35 लाख हैक्टर लिया गया जिसे बाद में बढ़ाकर 2.46 लाख हैक्टर कर दिया गया।

नर्मदा नहर परियोजना में कुछ अद्वितीय विशेषताएं हैं जैसे सिंचाई हेतु पानी, जल उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से किसानों के संघ को दिया जाना, जैव-जल निकासी हेतु नहर के किनारे पौधारोपण तथा जल भराव रोकने हेतु सतही एवं भू-जल का संयुक्त उपयोग। परियोजना के महत्वपूर्ण पहलुओं के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों का नीचे उल्लेख किया गया है।

विभाग ने प्रगति प्रतिवेदनों में सिंचित क्षेत्र, परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित 2.46 लाख हैक्टर के विरुद्ध 2.15 लाख हैक्टर (87.40 प्रतिशत) दर्शाया गया था। मार्च 2016 तक मात्र 1193 डिगियों (55 प्रतिशत) का विद्युतीकरण किया गया था जिससे यह प्रदर्शित होता है कि सिंचित दिखाया गया कमान क्षेत्र वास्तव में फव्वारा या ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचित नहीं किया गया था। यह परियोजना का महत्वपूर्ण पहलू था। नहर, वितरिकाओं एवं माइनरों के निर्माण हेतु अधिगृहित की गई भूमि का जल संसाधन विभाग के पक्ष में उत्परिवर्तन नहीं किया गया था।

2236 गठित की जाने वाली जल उपभोक्ता संगठनों में से केवल 2145 संगठनों का गठन किया गया था तथा 1885 संगठनों को संपत्तियां यथा डिगियां, पाईपलाईन एवं मोनो ब्लॉक पंप सौंपे गये थे। वितरिका एवं परियोजना समितियों का किसी भी जलग्रहण क्षेत्र में गठन नहीं किया गया था। डिगियों के विद्युतीकरण (45 प्रतिशत) एवं जल शुल्क संग्रहण के अभाव में बड़े पैमाने पर जल उपभोक्ता संगठन गैर-क्रियाशील रहे। सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 'राजस्थान में सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी का अधिनियम, 2000' के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में आवश्यक संशोधन नहीं किए गए। जल उपभोक्ता संगठनों द्वारा आवश्यक जल शुल्क की वसूली नहीं की गई। जल शुल्क की कम वसूली, वसूली का अभाव, जल संसाधन विभाग की निगरानी की कमी को प्रदर्शित करता है। नर्मदा मुख्य नहर, इसकी वितरिकाओं एवं माइनरों को नजदीकी किसानों, जो कि अपने पंपों द्वारा नहरों से सीधे पानी लेकर अपने खेतों की सिंचाई कर रहे थे, से पानी की चोरी की समस्या का सामना करना पड़ा।

पौधारोपण की कमी एवं परियोजना प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रजातियों के स्थान पर अन्य प्रजातियों के पौधों के रोपण के कारण, कमान क्षेत्र में जैव-जल निकासी का उद्देश्य बाधित रहा। निचले इलाकों में सतही जल एवं भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.1)

1.6.2 अनुपालना लेखापरीक्षा में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेप

संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों की योजना, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को इसके अपशिष्ट, चाहे वह जलधारा, भूमि, सीवरेज या समुद्र में विसर्जित किया जा रहा हो, के निपटान से पहले पर्याप्त उपचार प्रदान करना होता है। संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों को विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों से उत्पन्न होने वाले उच्छिष्ट के सामूहिक या केन्द्रीकृत उपचार के लिए एक व्यवहारिक उपचार का साधन माना जाता है। संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र विभिन्न उद्योगों के सामूहिक अपशिष्ट जल को कम इकाई लागत पर उपचार करने में सशक्त मदद करते हैं। ये अपशिष्ट जल निर्वहन मानकों के साथ सुगमता से बेहतर निगरानी और अनुपालना में भी मदद करते हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन तथा निगरानी प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने उन क्षेत्रों के लिए जहां उच्छिष्ट के समुचित उपचार के बिना बड़ी संख्या में लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योग क्रियाशील थे, संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार नहीं किया। राज्य में जल प्रदूषण में योगदान करने वाले उद्योगों की पहचान करने हेतु नियतकालिक सर्वेक्षण करने के लिए इनके पास नीति नहीं थी। सांगानेर, जयपुर में समयबद्ध तरीके से संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए मण्डल ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

पाली जिले में सभी संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों की कार्यपद्धति असंतोषजनक थी। उपचारित उच्छिष्ट जल निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था तथा बांडी नदी में निस्तारित किया जा रहा था। भिवाड़ी में बड़ी मात्रा में सूखी खतरनाक गाद एक आवासीय क्षेत्र के निकट बिना छाया के शेड में खुली कच्ची भूमि पर पड़ी हुई थी। संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र, जोधपुर कभी भी इसकी पूर्ण क्षमता पर संचालित नहीं हुआ और औद्योगिक इकाईयों द्वारा बड़ी मात्रा में अनुपचारित जल जोजरी नदी में छोड़ा जा रहा था। संयंत्र उपचारित अपशिष्ट जल को उसी चैनल में निस्तारित कर रहा था जहां से वह अनुपचारित जल निकाल रहा था, परिणामतः उपचारित अपशिष्ट जल का अनुपचारित अपशिष्ट जल के साथ मिश्रण हो रहा था।

संचालन की सहमति/अनुज्ञप्ति, सहमति पत्र में सम्मिलित शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित किये बिना पूर्ववर्ती प्रभाव से दी जा रही थी। कोई तृतीय पक्ष निगरानी तंत्र विकसित नहीं किया गया था। निर्धारित उच्छिष्ट मानक प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने हेतु नमूनों को एकत्र और विश्लेषित करने में भारी कमी थी।

(अनुच्छेद 3.1)

राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना

राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना राजस्थान सरकार द्वारा मार्च 2005 में अनुमोदित की थी। परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के मौजूदा सिंचाई सुविधाओं का पुनरुद्धार और जल प्रबंधन एवं कृषि पद्धतियों में सुधार कर कृषि उत्पादकता बढ़ाना था जिससे कृषि आय में वृद्धि एवं गरीबी कम हो। इस क्रम में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तीन घटक अर्थात् सिविल कार्य, तकनीकी और संस्थागत सहायता सेवाएं और परामर्श सेवाएं निर्धारित किये गये थे। इस परियोजना के कार्यान्वयन में मुख्य निष्पादन एजेंसी एवं केंद्र बिंदु जल संसाधन विभाग था। कृषि विभाग कृषि विस्तार गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी था और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी था।

अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति में देरी के कारण सिविल कार्य घटक की गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। परिणामतः उप परियोजनाओं के पुनरुद्धार के माध्यम से, सतही जल के उपयोग का उद्देश्य, पूरी तरह हासिल नहीं हुआ। कार्यकारी एजेंसियों द्वारा बजट का कम उपयोग करने के कारण जापान इंटरनेशनल कॉ-ऑपरेटिव एजेंसी द्वारा प्रदत्त ऋण का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा सका। परियोजनाओं के समय से पूर्व बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप जल भण्डारण क्षमता और कृषि कमान क्षेत्र का कम निर्माण हुआ। वाटरकोर्स संरचनाओं का निर्माण कार्य पूरा न होने के परिणामस्वरूप पानी की बर्बादी रोकने, वांछित हद तक कृषि क्षेत्र में वृद्धि, किसानों को सिंचाई सुविधाओं का लाभ का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। जल उपभोक्ता संगठनों की जल प्रभार वसूली की विफलता के परिणामस्वरूप उप परियोजनाओं के रख-रखाव के लिए धन की अनुपलब्धता रही। सलाहकार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से संकेत दिये कि इस परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन समय से पहले था एवं योजना की सफलता के लिए वित्तीय आधार, प्रवर्तन की शक्ति और योजना को चलाने का अनुभव आवश्यक था।

(अनुच्छेद 3.2)

नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण

वर्ष 2012-13 तक नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकलचर योजना के तहत किये गये। इसके पश्चात यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जलग्रहण क्षेत्र में बहुआयामी उपचार द्वारा भूमि के अधोपतन एवं भूमी कटाव को रोकना, आद्रता की प्रवृत्ति को सुधारना, अनुकूल भूमि उपयोग प्रोत्साहित करना, बहुउद्देशीय जलाशयों को गाद से भरने को कम करना था।

जलग्रहण विकास दल गठित न किए जाने के कारण जलग्रहण समितियों का गठन बिना विषय विशेषज्ञ व्यक्तियों के किया गया। यह सुनिश्चित किये बिना कि वानस्पतिक भू-संरक्षण कार्यों ने निश्चित आकार ले लिया है, पक्की संरचनाओं का अनियोजित निर्माण किया गया। परिणामस्वरूप बहुउद्देशीय जलाशयों में सतत जल भण्डारण बढ़ाने एवं गाद रोकने का परियोजना का उद्देश्य अपूर्ण रहा। स्वयं सहायता समूहों का गठन न किए जाने से रिबोलविंग निधि का वितरण कृषि गतिविधियां करने के लिये नहीं किया गया। लाभार्थियों का जीवन स्तर सुधारने तथा भूमिहीन व्यक्तियों के लिये आजीविका, उत्पादक प्रणाली एवं सूक्ष्म उद्योगों को विकसित करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

प्रयोक्ता समूह का गठन नहीं किया गया जिसके कारण परियोजना के तहत निर्मित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव का कार्य बाधित रहा। कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जाने से पदाधिकारियों का ज्ञान एवं कौशल बढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका। कॉरपस निधि का उपयोग न किए जाने और प्रयोक्ता प्रभार एकत्रित न किए जाने से परियोजना के तहत निर्मित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव का कार्य प्रभावित हुआ।

ऑन-लाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली विकसित न किए जाने के कारण जलग्रहण-वार एवं गतिविधि-वार आंकड़े वेब साइट पर नहीं डाले गये। परियोजनाओं का तृतीय पार्टी मूल्यांकन नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 3.3)

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-II) के नियम 5 (क) और (घ) का उल्लंघन कर राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित कार्यों पर प्रतिशत-प्रभार ₹ 7.44 करोड़ को अनियमित रूप से शामिल करना। नियमानुसार जब सार्वजनिक

निर्माण विभाग के अलावा अन्य एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य किया जाता है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों पर प्रतिशत प्रभार नहीं वसूला जाएगा।

(अनुच्छेद 3.4)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अन्य सड़कों से यातायात के डाइवर्जन, अतिभार का स्तर तथा सामान्य यातायात के लिये लागत अनुमानों को तैयार नहीं करने के कारण दोष निवारण अवधि समाप्त होने से पूर्व सड़क के उन्नयन पर राशि ₹ 3.99 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया।

(अनुच्छेद 3.5)

स्पान वाइज प्रगति संधारित नहीं करने के कारण ₹ 4.66 करोड़ की क्षतिपूर्ति नहीं लगाई तथा ₹ 0.44 करोड़ का मूल्य वृद्धि का अनियमित भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 3.6)

ग्रामीण गौरव पथ योजना के अन्तर्गत सड़क का निर्माण पूर्व में निर्मित सीमेंट कंक्रीट/डामर सड़क पर किया जाना था। नई सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिये नया सबबेस या ग्राउन्ड तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ग्रामीण गौरव पथ योजना का तकमीना बनाते समय मिट्टी की खुदाई, ग्रेनुअल सब बेस का निर्माण तथा कम्पैक्टेड ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट को बिछाने के आइटमों को शामिल कर ₹ 2.05 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(अनुच्छेद 3.7)

समुचित कोषों की व्यवस्था के बिना, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक डामर की सड़क बनाने का कार्यदेश जारी कर दिया। इससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ₹ 1.78 करोड़ का व्यय करने के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका तथा सड़क से जोड़ने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 3.8)

सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान ने तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ₹ 1.72 करोड़ की राशि का उपयोग शहरी सड़कों के संधारण पर किया। यह अनाधिकृत था क्योंकि जारी निधि ग्रामीण सड़कों के संधारण व नवीनीकरण के लिये थी।

(अनुच्छेद 3.9)

30 सड़कों में से 3 सड़कें दूसरी योजनाओं में 5 से 15 महीने पहले स्वीकृत की गयी व निर्मित की गयी थी। ये सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा

₹ 1.42 करोड़ खर्च कर दुबारा स्वीकृत की गई व निर्मित की गई जो वित्तीय औचित्यता के नियम के विरुद्ध थी।

(अनुच्छेद 3.10)

टनल की खुदाई में निकली सामग्री जैसे 'मक' मिट्टी तथा सख्त/नर्म चट्टान को शामिल करते हुए सड़क निर्माण में उपयोग लायी जानी थी। उसकी लागत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग को जमा करानी थी। वन विभाग ने खुदाई सामग्री की लागत राशि ₹ 1.52 करोड़ की मांग जारी नहीं की/वसूली नहीं की।

(अनुच्छेद 3.11)

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि की समुचित देखरेख के अभाव में एवं अधिशेष भूमि के राजस्व विभाग को समर्पित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 9.12 करोड़ कीमत की भूमि पर अवैध कब्जा।

(अनुच्छेद 3.12)

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत तकनीकी अनुमानों के निर्धारण से पूर्व कार्य का आवंटन किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 6.85 करोड़ का मूल्यवृद्धि पर परिहार्य व्यय हुआ व कार्य में पांच वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ।

(अनुच्छेद 3.13)

1.7 निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया

प्रारूप अनुच्छेदों को संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने हेतु उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्रेषित किया जाता है। उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे अनुच्छेदों को सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की सम्भावना के मध्यनजर, जो कि राजस्थान विधान सभा में उपस्थापित किया जाना है, यह वांछनीय होगा कि मामले पर उनकी टिप्पणी शामिल कर ली जाये। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रारूप अनुच्छेदों पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार के साथ बैठक आयोजित करें। तदनुसार, इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रारूप अनुच्छेदों को सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को भेजे गये थे।

प्रारूप अनुच्छेदों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सभी उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं, पर एक्शन टेकन नोट्स, प्रतिवेदन के विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा कराकर जन लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल किये गये अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर बकाया एक्शन टेकन नोट्स की समीक्षा में पाया गया कि सम्बन्धित विभागों से तीन एक्शन टेकन नोट्स बकाया थे (दिसम्बर 2016)।

अध्याय II
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय II

निष्पादन लेखापरीक्षा

इस अध्याय में नर्मदा नहर परियोजना में सिंचाई क्षमता का सृजन पर निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है।

जल संसाधन विभाग

2.1 नर्मदा नहर परियोजना में सिंचाई क्षमता का सृजन

कार्यकारी सारांश

राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना को भारत सरकार द्वारा मार्च 2003 की निर्धारित पूर्णता तिथि के साथ अनुमोदित (जनवरी 1996) किया गया। कृषि योग्य कमान क्षेत्र 1.35 लाख हैक्टर लिया गया। वाटर एण्ड पावर कन्सलटेन्सी सर्विसेस लिमिटेड के निष्कर्षों के आधार पर फव्वारा/ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करते हुए दबाब सिंचाई को अनिवार्य बनाया गया तथा कृषि योग्य कमान क्षेत्र को 1.35 लाख हैक्टर से बढ़ाकर 2.46 लाख हैक्टर कर दिया गया। इसके अलावा, जल भराव को रोकने हेतु, जैव-जल निकासी हेतु नहर किनारे वृक्षारोपण, सतही एवं भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग को प्रस्तावित किया गया।

सिंचित क्षेत्र 2.15 लाख हैक्टर (87.40 प्रतिशत) दर्शाया गया जबकि मार्च 2016 तक मात्र 1193 डिग्गियों (55 प्रतिशत) का विद्युतीकरण किया गया। इससे प्रदर्शित होता है कि सिंचित दिखाया गया कमान क्षेत्र वास्तव में फव्वारा या ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचित नहीं किया गया था। किसानों द्वारा अपने पम्पों द्वारा माइनरों से पानी की व्यवस्था कर किये गये सिंचित क्षेत्र को गलती से सिंचाई क्षमता विकसित करने की उपलब्धि में शामिल किया गया बजाय सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचित क्षेत्र को। नहर, वितरिकाओं एवं माइनरों के निर्माण हेतु अधिगृहित की गई भूमि का जल संसाधन विभाग के पक्ष में उत्परिवर्तन नहीं किया गया।

2236 गठित की जाने वाली जल उपभोक्ता संगठनों में से केवल 2145 संगठनों का गठन किया गया तथा 1885 संगठनों को संपत्तियां यथा डिग्गियां, पाईपलाइन एवं मोनो ब्लॉक पम्प सौंपे गये। वितरिका एवं परियोजना समितियों का किसी भी जलग्रहण क्षेत्र में गठन नहीं किया गया।

इसके अलावा, डिगियों के विद्युतीकरण (45 प्रतिशत) एवं जल शुल्क संग्रहण के अभाव में बड़े पैमाने पर जल उपभोक्ता संगठन गैर-क्रियाशील रहे। सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 'राजस्थान में सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी का अधिनियम, 2000' के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में आवश्यक संशोधन नहीं किए गए। जल शुल्क की कम वसूली, वसूली का अभाव, जल संसाधन विभाग की निगरानी की कमी को प्रदर्शित करता है। नर्मदा मुख्य नहर, इसकी वितरिकाओं एवं माइनरों को नजदीकी किसानों, जो कि अपने पंपों द्वारा नहरों से सीधे पानी लेकर अपने खेतों की सिंचाई कर रहे थे, से पानी की चोरी की समस्या का सामना करना पड़ा।

पौधारोपण की कमी एवं परियोजना प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रजातियों के स्थान पर अन्य प्रजातियों के पौधों के रोपण के कारण, कमान क्षेत्र में जैव-जल निकासी का उद्देश्य बाधित रहा। इसके अलावा, निचले इलाकों में सतही जल एवं भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

परिचय

नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान एवं गुजरात राज्य की साझेदारी वाली अन्तर्राज्यीय परियोजना है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा नर्मदा नहर की कुल 28 मिलियन एकड़ फीट उपयोग योग्य जल की मात्रा में से राजस्थान का वार्षिक हिस्सा 0.5 मिलियन एकड़ फीट तय किया गया था। भंडारण जलाशय 'सरदार सरोवर बांध' जहां से नर्मदा नहर प्रारंभ होती है, गुजरात में स्थित है तथा 458 किमी गुजरात में बहने के बाद जालौर जिले की सांचौर तहसील के सीलू गांव के पास से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान की सीमा पर नहर की निर्वहन क्षमता 73.5 घनमीटर/सेकण्ड है। राजस्थान में मुख्य नहर की कुल लम्बाई 74 किमी है। इसमें नौ प्रमुख वितरिकाएं हैं तथा मुख्य नहर, वितरिकाओं तथा द्वितीयक नहर प्रणाली की कुल लम्बाई 1792.67 किमी है। नर्मदा नहर परियोजना में अन्य परियोजनाओं की तुलना में कुछ अद्वितीय विशेषताएं हैं:

- सिंचाई हेतु पानी जल उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से किसानों के संघ को दिया जाना है न कि व्यक्तिगत किसानों को।
- क्षेत्र में पानी के चैनलों के संचालन एवं रख रखाव हेतु जल उपभोक्ता संगठन जिम्मेदार है।

➤ पानी के समुचित उपयोग हेतु ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई प्रणाली जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की परिकल्पना की गई है।

राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना को भारत सरकार द्वारा मार्च 2003 की पूर्णता तिथि के साथ ₹ 467.53 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ अनुमोदित (जनवरी 1996) किया गया था। कृषि योग्य कमान क्षेत्र 1.35 लाख हैक्टर लिया गया था। सिंचाई की विधि के रूप में प्रवाह सिंचाई प्रणाली को अपनाया गया। इस प्रणाली में पानी की निकासी 7.41 क्यूसेक¹ प्रति एक हजार एकड़ ली गई।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिये गए सुझावों के आधार पर, एक पर्यावरण कार्य योजना तैयार करनी थी तथा निर्माण कार्य के साथ-साथ समरूप में लागू करनी थी। पर्यावरण प्रभाव आंकलन, भूजल गुणवत्ता एवं जल निकासी डिजाइन सम्बंधी अध्ययन वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (वेपकॉस) द्वारा किया गया तथा प्रतिवेदन सितम्बर 1998 में प्रस्तुत किया गया जो परिकल्पित करता है कि:

- स्थिर भूजल सतह उच्च है तथा नेड² क्षेत्र, जहां मीठा भूजल खारे भूजल के ऊपर संकीर्ण मोटाई की सीट के रूप में बहता है, में भी अधिक है,
- क्षेत्र में मिट्टी खारी/क्षारीय है, और
- नहर सिंचाई से ज्यादातर कमान क्षेत्रों में कुछ वर्षों में जल भराव हो सकता है जिससे उपजाऊ भूमि कृषि के अयोग्य हो सकती है।

वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के निष्कर्षों के आधार पर, सम्पूर्ण कमान क्षेत्र में जल भराव को रोकने हेतु फव्वारा/ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करते हुए दबाव सिंचाई को अनिवार्य बनाया गया। कृषि योग्य कमान क्षेत्र को 1.35 लाख हैक्टर से बढ़ाकर 2.46 लाख हैक्टर किया गया तथा सिंचाई हेतु जल निकासी 7.41 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ से घटाकर 1.31-2.51 क्यूसेक किया गया। जल भराव को रोकने हेतु, जैव-जल निकासी हेतु नहर किनारे वृक्षारोपण एवं सतही जल तथा भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग को भी प्रस्तावित किया गया था।

कार्य के स्कोप में संशोधन (1.35 लाख हैक्टर से 2.46 लाख हैक्टर) एवं कार्य की अतिरिक्त मदों जैसे- डिगियों³ का निर्माण एवं विद्युतीकरण, पाईपलाइनों को बिछाना एवं पंपों की स्थापना, कुओं का निर्माण एवं नहर किनारे वृक्षारोपण आदि

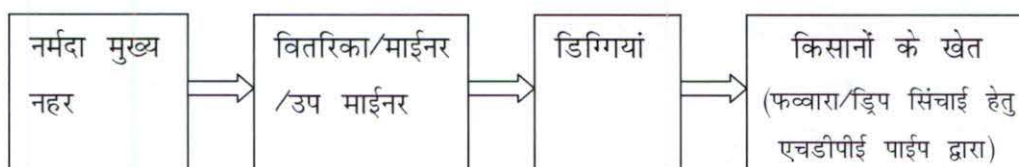
¹ घन फीट प्रति सेकण्ड

² लूनी नदी का डेल्टा क्षेत्र

³ जल संग्रहण टैंक

के कारण परियोजना की संशोधित लागत ₹ 1541.36 करोड़ हो गई (अगस्त 2007)। कार्य की पूर्णता तिथि मार्च 2014 निर्धारित की गई थी। इसके बाद परियोजना की लागत को मजदूर, सामग्री, ईंधन आदि की दरों में असामान्य वृद्धि होने के कारण संशोधित (जुलाई 2010) कर ₹ 2481.49 करोड़ किया गया तथा पूर्णता तिथि को अग्रिम कर मार्च 2013 कर दिया। ₹ 2481.49 करोड़ की संशोधित लागत के विरुद्ध, मार्च 2016 तक ₹ 2368.90 करोड़ का व्यय किया गया। विभाग द्वारा परियोजना को पूर्ण करने के लिए मार्च 2017 तक की वृद्धि चाही गई है।

परियोजना का फ्लो-चार्ट



संगठनात्मक ढांचा

राज्य स्तर पर सचिव, जल संसाधन विभाग का प्रशासनिक प्रमुख है। विभागीय स्तर पर, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग तकनीकी मामलों हेतु अतिरिक्त सचिव का कार्य करता है क्षेत्रीय स्तर पर नर्मदा नहर परियोजना हेतु सांचौर में एक मुख्य अभियंता है। इसमें छः⁴ खण्ड कार्यालय हैं जिनके प्रमुख अधिशाषी अभियंता हैं एवं जिनकी निगरानी हेतु दो अधीक्षण अभियंता हैं।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना में सृजित सिंचाई क्षमता की निष्पादन लेखापरीक्षा निम्न का आंकलन करने हेतु की गई थी कि क्या:

- फव्वारा/ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई क्षमता, जो कि परिकल्पित की गयी थी, को तैयार किया गया एवं उपयोग किया गया;
- सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंधन गतिविधियां, 'राजस्थान में सिंचाई के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी अधिनियम, 2000' के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही थी;

⁴ अधिशाषी अभियंता, नर्मदा नहर परियोजना खण्ड-I, नर्मदा नहर परियोजना खण्ड- II, नर्मदा नहर परियोजना खण्ड- III, नर्मदा नहर परियोजना खण्ड- IV, नर्मदा नहर परियोजना खण्ड- V एवं क्षेत्रीय कार्यशाला, नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर

- जैव-जल निकासी एवं सतही जल व भूमिगत जल का संयुक्त उपयोग जैसी गतिविधियां प्रभावी ढंग से लागू की गई थी; एवं
- वित्तीय नियंत्रण एवं निगरानी प्रभावी थी।

लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्न स्रोतों से प्राप्त किये गए:

- नर्मदा नहर परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
- लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम
- राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम
- जल संसाधन विभाग/नर्मदा नहर परियोजना की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
- राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भागीदारी अधिनियम, 2000

कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि 2011-12 से 2015-16 तक के क्षेत्र अध्ययन का कार्य मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर, मुख्य अभियंता, नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर तथा अधिशाषी अभियंता, नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर के कार्यालयों में की गयी। इसके अलावा, उप वन संरक्षक, जालौर एवं बाड़मेर के अभिलेखों की भी जांच की गई क्योंकि वृक्षारोपण हेतु इन उप वन संरक्षकों को कोष आवंटित किये गए थे।

निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली की प्रारंभिक बैठक सचिव, जल संसाधन विभाग जयपुर, के साथ (अप्रैल 2016) की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा समापन बैठक में अतिरिक्त सचिव सह मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के साथ (अक्टूबर 2016) की गई थी। प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पूर्व, राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर (अक्टूबर 2016) को शामिल कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.1 फव्वारा/ड्रिप सिंचाई के माध्यम से सिंचाई

मूल रूप से नर्मदा नहर परियोजना में प्रवाह सिंचाई प्रणाली को अपनाया गया था। ऊपर वर्णित वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के निष्कर्षों के आधार

पर, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा दबाव सिंचाई को संपूर्ण कमान क्षेत्र में अनिवार्य किया गया।

2.1.1.1 परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का अनुपयोग

नर्मदा नहर परियोजना की अद्वितीय विशेषताओं में से एक फव्वारा एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाना था। पानी के कुशल उपयोग हेतु परियोजना प्रतिवेदन में इसकी परिकल्पना की गई थी। नहर, डिगियों एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना सम्बंधी सभी सिविल एवं यांत्रिकी कार्यों के पूर्ण होने के बाद ही क्षेत्र को कृषि योग्य कमान क्षेत्र के रूप में माना जाना था।

खण्डों की प्रगति प्रतिवेदनों से पता चला कि सिविल कार्य⁵ 97.32 प्रतिशत की सीमा तक तथा यांत्रिकी कार्य⁶ 88.06-96.02 प्रतिशत की सीमा तक पूर्ण किए गए (मार्च 2016)। सिंचित कृषि योग्य कमान क्षेत्र कुल कमान क्षेत्र 2.46 लाख हैक्टर के विरुद्ध 2.15 लाख हैक्टर (87.40) दर्शाया गया था। तथ्य यह है कि 2.15 लाख हैक्टर सिंचित दिखाया गया क्षेत्र सही नहीं था क्योंकि 2183 पूर्ण डिगियों में से मार्च 2016 तक मात्र 1193 डिगियां (55 प्रतिशत) ही विद्युतीकृत हो पाई थी। सिंचित कृषि योग्य कमान क्षेत्र में किसानों द्वारा फव्वारा/ड्रिप सिंचाई प्रणाली के स्थान पर अपने पंपों द्वारा माइनरों से पानी लेकर की गई सिंचाई के क्षेत्र को गलती से शामिल कर लिया गया। डिगियों के अविद्युतीकरण (45 प्रतिशत) के कारण, परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया।

राज्य सरकार ने बताया कि सिंचित क्षेत्र 2006 में 0.18 लाख हैक्टर से बढ़कर 2016 में 1.60 लाख हैक्टर हो गया था परंतु ग्रामीणों में शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ापन तथा आपस में सामंजस्य एवं विश्वास की कमी के कारण डिगियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। यह भी बताया गया कि डिगियों के विद्युतीकरण की गति को बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर अधिकतम प्रयास किये जा रहे थे। राज्य सरकार का उत्तर प्रगति प्रतिवेदन में दर्शाए गए तथ्य कि 2.15 लाख हैक्टर कृषि योग्य कमान क्षेत्र को सिंचित किया गया से विरोधाभासी है। सिंचित कृषि योग्य कमान क्षेत्र में केवल फव्वारा एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचित वास्तविक क्षेत्र को ही शामिल किया जाना चाहिए था।

⁵ डिगियों, पंपरूम, सम्प वैल, बाउंड्री वाल आदि का निर्माण।

⁶ पाईप लाइनों की आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना, जांच करना एवं चालू करना तथा मोनो ब्लॉक पंपों की स्थापना।

डिगियों के विद्युतीकरण के अभाव में कृषि योग्य कमान क्षेत्र को प्रवाह प्रणाली द्वारा सिंचित किया जा रहा था। पानी के ज्यादा आहरण द्वारा सतही जल के अत्यधिक पुनर्भरण के कारण जल भराव का खतरा बढ़ गया जिससे पानी के समुचित उपयोग एवं जल भराव को रोकने का उद्देश्य विफल रहा।

यह सिफारिश की जाती है कि नहर कार्यों के साथ-साथ ही विद्युतीकरण कार्य को क्रियान्वित किया जावे। शेष डिगियों (45 प्रतिशत) को प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकृत किया जावे।

2.1.1.2 नहर निर्माण से पूर्व कृषि योग्य कमान क्षेत्र की वास्तविक उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया गया

भीमगुडा वितरिका की सुराचंद माईनर, जिसकी जल निकासी क्षमता 0.715 क्यूमेक्स⁷ है, का निर्माण ₹ 3.71 करोड़ की लागत के साथ सितंबर 2011 में पूर्ण किया गया था। इस माईनर हेतु प्रस्तावित कृषि योग्य कमान क्षेत्र 6369.31 हैक्टर था तथा कमान क्षेत्र में 51 डिगियों का निर्माण किया जाना था।

इस माईनर के पानी को सिंचाई के उपयोग में लेने हेतु वितरण तंत्र के बिछाने, जोड़ने, जांचने एवं चालू करने का कार्य आवंटित (फरवरी 2011) किया गया था। कार्य 4 मार्च 2012 को पूर्ण होना तय था। जब संवेदक ने कमान क्षेत्र में पाईप लाईन बिछाने की ड्राईंग एवं डिजाइन प्रस्तुत की। यह पाया गया कि 25 डिगियों के क्षेत्र को आच्छादित करने वाला 3391.04 हैक्टर कृषि योग्य कमान क्षेत्र राजकीय भूमि में था। इन डिगियों के कमान क्षेत्र में, फव्वारा सिंचाई प्रणाली विकसित नहीं की जा सकी। शेष क्षेत्र (2978.27 हैक्टर) में, पाईप लाईन बिछाने, पंप सेटों की स्थापना एवं 26 डिगियों के निर्माण का कार्य अक्टूबर 2015 तक ₹ 4.93 करोड़ की राशि के व्यय के साथ संपादित किया गया।

यह दर्शाता है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से पूर्व, कार्यस्थल पर कृषि योग्य कमान क्षेत्र की वास्तविक उपलब्धता की जांच सम्बंधी उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया तथा बिना उचित योजना एवं डिगियों की वास्तविक आवश्यकता को जांचे बिना सुराचंद माईनर का निर्माण कर दिया गया। उच्च निकासी क्षमता की नहर के निर्माण के कारण परिहार्य व्यय किया गया। माईनर पर किये गए परिहार्य व्यय की गणना लेखापरीक्षा के दौरान नहीं की जा सकी क्योंकि माईनर का निर्माण काफी समय पूर्व किया गया था।

⁷ घनमीटर प्रति सेकण्ड

राज्य सरकार ने बताया कि परियोजना की स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सलाहकार संस्था⁸ द्वारा निर्धारित कृषि योग्य कमान क्षेत्र को ही प्रत्येक डिग्गी हेतु लिया गया था। इस मामले में, जब सलाहकार द्वारा तय किये संरेखण के आधार पर उच्च घनत्व वाली पॉलिथीलीन (एच.डी.पी.ई.) पाईप लाईन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया गया, तब विभाग ने पहली बार देखा कि 51 में से 25 डिग्गियों का क्षेत्र या तो वन क्षेत्र में अथवा क्षारीय था, परंतु इससे पूर्व ही सुराचंद माईनर का निर्माण पूर्ण हो चुका था।

2.1.1.3 सिविल एवं यांत्रिकी कार्यों को अलग-अलग आवंटित करने से किसानों का पांच वर्षों से अधिक समय तक सिंचाई लाभ से वंचित रहना

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जल संसाधन परियोजनाओं की निगरानी हेतु जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों (1998) के पैरा 14(vi) में परिकल्पना की गई थी कि कमान क्षेत्र विकास की योजना इस प्रकार तैयार एवं लागू की जानी चाहिए कि सिंचाई क्षमता के निर्माण एवं उपयोग में समय का अंतर कम से कम हो। इसका मतलब यह था कि परियोजना पर किया गया व्यय, किसानों को सुनिश्चित एवं स्थाई सिंचाई लाभ के रूप में चिरस्थायी परिणाम के रूप में परिवर्तित हो सके।

यह देखा गया था कि विभिन्न माईनरों/उप माईनरों के सिविल कार्य फरवरी 2007 एवं अक्टूबर 2009 के मध्य आवंटित किए गए थे तथा वर्ष 2011 में पूर्ण किए गए थे। परन्तु दिसंबर 2007 एवं नवंबर 2008 के मध्य आवंटित यांत्रिकी कार्य अलग से अन्य संवेदकों को आवंटित किए जाने के कारण पूर्ण नहीं हो सके थे (मई 2016)। इसके कारण सिविल कार्यों पर राशि ₹ 72.11 करोड़⁹ अवरोद्ध रही तथा किसानों सुनिश्चित एवं स्थाई सिंचाई लाभ से पांच वर्षों तक वंचित रहे। यह भी देखा गया कि बाद में जल संसाधन विभाग द्वारा जारी आदेश (जुलाई 2010) की अनुपालना में सिविल एवं यांत्रिकी कार्य एकल निविदा दाता को एक साथ ही टर्न-की आधार पर आवंटित किए गए। केन्द्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों की पालना में यदि सिविल एवं यांत्रिक कार्य को एक साथ ही एकल निविदा दाता को आवंटित करने का निर्णय जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्व में ले लिया जाता तो सिविल कार्यों पर राशि के अवरोधन को रोका जा सकता था तथा किसानों को सिंचाई का लाभ पहुंचाया जा सकता था।

⁸ मै. टहल कन्सलटेसी

⁹ खण्ड-I ₹ 17.29, II- ₹ 15.24, III ₹ 21.06, IV- ₹ 11.26, V- ₹ 7.26

राज्य सरकार ने बताया कि सिविल एवं यांत्रिकी कार्यों को अलग-अलग संवेदकों को आवंटित करने से सिविल एवं यांत्रिकी संवेदकों में समन्वय की कमी रही तथा परिणामस्वरूप, 2010-11 से सिविल एवं यांत्रिकी कार्य संयुक्त रूप से आवंटित किए गए। यह भी बताया गया कि 2008-12 के दौरान सिविल कार्यों के पूर्ण हो जाने के कारण नहर के उपलब्ध पानी का उपयोग किया गया। तथापि तथ्य यह शेष रहा कि किसानों को अपने पंपों द्वारा पानी का उपयोग करना पड़ा तथा परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित किया गया सिंचाई लाभ किसानों को समय पर नहीं पहुंचाया गया।

2.1.1.4 कार्य आवंटन से पूर्व भूमि-अवाप्ति नहीं किए जाने के कारण कार्यों का अधूरा रहना

लोक निर्माण वितीय एवं लेखा नियम के नियम 298 एवं 351 के अनुसार भूमि की उपलब्धता पूर्व अपेक्षित है तथा इसका पूर्व में ही अधिग्रहण कर लेना चाहिए। जो भूमि भौतिक रूप से कब्जे में नहीं हो अथवा जिसे उत्तरदायी सिविल अधिकारी द्वारा हस्तांतरित नहीं किया गया हो उस पर कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए।

यह देखा गया कि मालवार उप माईनर एवं करावडी माईनर के अर्थवर्क, एकल प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट (पी.सी.सी.) ब्लॉक लाईनिंग, पक्का स्ट्रक्चर, डिगिंगों, पंप रूम, सम्प वैल एवं चारदीवारी का कार्य राशि ₹ 1.33 करोड़ में संवेदक को आवंटित (फरवरी 2010) किया गया था। कार्यप्रणाली की निर्धारित तिथि नवंबर 2010 थी। भू-स्वामी द्वारा बाधा खड़ी करने एवं अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण करावडी माईनर का कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं हो सका था। मामले को अंतिम रूप नहीं दे पाने के कारण, अनुबंध की धारा 32 के तहत कार्य को आहरित (अप्रैल 2011) कर लिया गया। 84 प्रतिशत पूर्ण कार्य के लिए संवेदक को राशि ₹ 1.12 करोड़ का भुगतान किया गया। इसके बाद, पांच साल के अंतराल के बाद, करावडी माईनर के शेष कार्य को 19 सितंबर 2015 की पूर्ण होने की तिथि के साथ राशि ₹ 20.88 लाख में अन्य संवेदक को आवंटित (जून 2015) किया गया। संवेदक को राशि ₹ 11.95 लाख का भुगतान (मार्च 2016) किया गया।

कार्य प्रारंभ करने से पूर्व भूमि उपलब्धता को सुनिश्चित करने के शापी नियमों की पालना नहीं करने के कारण कार्य में पांच वर्ष से अधिक समय की देरी हुई। इससे किसानों को सिंचाई लाभ पहुंचाने में भी देरी हुई।

राज्य सरकार ने बताया कि भूमि का अवाई जारी होने के बाद ही कार्य आवंटित किये गये थे परंतु अदालत के स्थगन आदेश एवं सितम्बर 2016 तक किसानों द्वारा जमीन खाली नहीं करने के कारण कार्य अपूर्ण रहे। तथ्य यह है कि कार्यों को जमीन का स्पष्ट टाइटल प्राप्त किये बिना ही आवंटित कर दिया गया था।

2.1.1.5 भूमि का गैर-उत्परिवर्तन

विभाग द्वारा विभिन्न नहरों/वितरिकाओं/माईनरों/उपमाईनरों आदि के निर्माण हेतु 4833.353 हैक्टर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। मार्च 2016 तक राशि ₹ 65.45 करोड़ का मुआवजा दिया गया था परंतु विभाग के नाम में भूमि का उत्परिवर्तन नहीं किया गया। नतीजतन, अधिग्रहित भूमि का विभाग के नाम में स्पष्ट टाइटल नहीं आ पाया।

राज्य सरकार ने बताया कि अधिग्रहित भूमि के उत्परिवर्तन की प्रक्रिया प्रगतिरत है।

यह सिफारिश की जाती है कि किसी भी संभावित अतिक्रमण एवं कानूनी अड़चनों से बचने हेतु अधिग्रहित भूमि को शीघ्र से शीघ्र विभाग के नाम में उत्परिवर्तित किया जावे।

2.1.2 सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंधन गतिविधियां

किसानों के मध्य पानी के वितरण को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान में सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी का अधिनियम, 2000 पेश किया गया था तदनुसार किसी भी सिंचाई परियोजना के कमान क्षेत्र में किसानों के संगठन को गठित किया जाना था। सिंचाई प्रणाली के संचालन एवं प्रबंधन के लिए, प्राथमिक स्तर¹⁰ पर किसानों के निर्वाचित निकायों अर्थात् जल उपभोक्ता संगठनों को, द्वितीयक स्तर पर वितरण समिति¹¹ एवं परियोजना स्तर पर परियोजना समिति¹² का गठन किया जाना था। राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम के अन्तर्गत, नियम 2002 भी बनाए थे।

¹⁰ सिंचाई प्रणाली के साथ-साथ वितरिका एवं खेत की नालियों के प्रबंधन, विस्तार, सुधार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण की योजना तैयार करने हेतु।

¹¹ वितरिकाओं एवं मध्यम नालियों दोनों के विस्तार, सुधार, नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं वार्षिक मरम्मत के परिचालन की योजना तैयार करने हेतु।

¹² प्रमुख नालियों के साथ-साथ सिंचाई प्रणाली के विस्तार, सुधार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण एवं वार्षिक मरम्मत की योजना को मंजूर करने हेतु।

2.1.2.1 सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंधन का अभाव

राजस्थान में सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी अधिनियम (अधिनियम) की धारा 4 के अनुसार, प्रत्येक जल उपभोक्ता क्षेत्र के लिए एक जल उपभोक्ता संगठन होगा जिसमें उस क्षेत्र में आने वाले भूमि स्वामी, जल उपभोक्ता के रूप में सदस्य होंगे। अधिनियम की धारा 17 अपेक्षा करती है कि सिंचाई प्रणाली के रख-रखाव, विस्तार, सुधार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, विभिन्न निर्गमों के मध्य पानी के उपयोग को नियमित करने, पानी के समुचित प्रयोग को बढ़ावा देने, सिंचाई में जल के प्रवाह की निगरानी करने आदि की योजना तैयार करना एवं कार्यान्वित करने का कार्य जल उपभोक्ता संगठन करेगा। इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 6 एवं 8 के अनुसार, अधिनियम की धारा 18 एवं 19 में दिए गए कार्यों के निष्पादन के लिए, दो या अधिक जल उपभोक्ता क्षेत्रों के लिए एक वितरण समिति एवं परियोजना क्षेत्र के लिए एक परियोजना समिति का गठन किया जावेगा।

➤ यह देखा गया कि 2236 गठित की जाने वाली जल उपभोक्ता संगठनों के विरुद्ध केवल 2145 जल उपभोक्ता संगठन का गठन (मार्च 2016) किया गया तथा केवल 1885 जल उपभोक्ता संगठनों को परिसम्पत्तियों को सौंपा गया था। डिगियों के विद्युतीकरण (45 प्रतिशत) एवं जल शुल्क संग्रहण के अभाव में बड़े पैमाने पर जल उपभोक्ता संगठन गैर क्रियाशील रहे। इसी प्रकार, किसी भी जल उपभोक्ता क्षेत्र में वितरण एवं परियोजना समिति का गठन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, अधिनियम के अनुसार इन समितियों ने निर्दिष्ट कार्य, संपादित नहीं किये।

➤ अधिनियम की धारा 17 अपेक्षा करती है कि प्रत्येक सिंचाई मौसम के लिए जल उपभोक्ता संगठन द्वारा एक वाराबंदी कार्यक्रम¹³ तैयार एवं लागू किया जावेगा। इसके लिए, जल उपभोक्ता संगठन को कुछ रजिस्टर, सिंचाई प्रणाली की सूची एवं खाते आदि भी अनुरक्षित करने आवश्यक थे। यह देखा गया कि गठित किए गए किसी भी जल उपभोक्ता संगठन ने वाराबंदी कार्यक्रम तैयार नहीं किया था तथा अभिलेखों, रजिस्ट्रों, सिंचाई प्रणाली की सूची आदि की सत्यता जांचने के लिए विभाग में कोई तंत्र नहीं था।

राज्य सरकार ने बताया कि जल उपभोक्ता संगठन को वाराबंदी कार्यक्रम तैयार नहीं करना था अपितु वाराबंदी कार्यक्रम को लागू करना था। विभाग द्वारा मोटर

¹³ वाराबंदी कार्यक्रम जल उपभोक्ताओं को बारी-बारी से अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार जल वितरण की प्रणाली है जिसमें आपूर्ति का समय, अवधि एवं दिन निश्चित होता है।

पंपों की क्षमता एवं एच.डी.पी.ई. पाईपलाईन की डिजाइन के अनुरूप वाराबंदी कार्यक्रम तैयार किया गया था। उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं था क्योंकि राजस्थान में सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी का अधिनियम की धारा 17 यह अपेक्षा करती है कि वाराबंदी कार्यक्रम जल उपभोक्ता संगठन द्वारा तैयार एवं लागू किया जावेगा। जल उपभोक्ता संगठन ने उन क्षेत्रों में भी वाराबंदी कार्यक्रम लागू नहीं किया जिनमें डिगियां विद्युतीकृत हो चुकी थी। वितरण एवं परियोजना समितियों के गठन पर राज्य सरकार ने कुछ नहीं बताया।

विभाग को, राजस्थान में सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी का अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जल उपभोक्ता संगठनों, वितरण एवं परियोजना समितियों के गठन एवं जल उपभोक्ता संगठनों को परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.1.2.2 किसानों द्वारा मोटर पंपों द्वारा नहरों से सिंचाई हेतु पानी को उठाना

सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंधन की कमी का एक परिणाम मुख्य नहर, वितरिकाओं एवं माईनरों से पानी की चोरी की समस्या थी। नर्मदा नहर परियोजना में, फव्वारा अथवा ड्रिप का उपयोग करते हुए आवश्यक रूप से दबाव सिंचाई को अपनाया गया था। यह देखा गया कि नर्मदा मुख्य नहर एवं इसकी वितरिकाओं एवं माईनरों को नजदीकी किसानों से, जो कि मोटर पंपों द्वारा नहरों से पानी उठाकर अपने खेतों की सिंचाई करते थे, पानी की चोरी की समस्या का सामना करना पड़ा। अतः नर्मदा मुख्य नहर से मोटर पंपों एवं अन्य अतिक्रमणों को हटाने के लिए एक अभियान चलाया (28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2016) गया तथा बड़ी संख्या में मोटर पंप/इंजन एवं पाईपों को जप्त किया गया। यह देखा गया कि वितरिकाओं एवं माईनरों से पानी की निकासी को रोकने के लिए ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया गया जबकि ये भी पानी की चोरी की समस्या से ग्रस्त थे।

राज्य सरकार ने बताया कि नहर प्रणाली से सभी अतिक्रमणों को हटाने के अधिकतम प्रयास किये जा रहे थे।

विभाग को जल उपभोक्ता संगठनों के पूर्ण क्रियाशील होने तक किसानों द्वारा नहरों से सिंचाई हेतु जल को उठाने से रोकने हेतु निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए।

2.1.2.3 जल शुल्क का संग्रहण

राजस्थान में सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी का अधिनियम की धारा 17 अपेक्षा करती है कि जल उपभोक्ता संगठन जल शुल्क की मांग तैयार करेंगे एवं संग्रह करेंगे। धारा 32 अपेक्षा करती है कि किसानों के संगठन की ओर देय या भुगतान योग्य सभी राशियों का, यदि मांग पर भुगतान नहीं किया गया हो तो उसको भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूला जायेगा।

यह देखा गया कि खण्ड-II एवं खण्ड-IV, सांचौर द्वारा क्रमशः ₹ 18.75 लाख एवं ₹ 60.80 लाख की बकाया मांग के बदले 2011-15 के दौरान केवल क्रमशः ₹ 0.17 लाख एवं ₹ 1.65 लाख की राशि की वसूली किसानों से हो पाई थी। खण्ड-V द्वारा जल शुल्क की मांग ही नहीं की गई थी तथा खण्ड-I एवं खण्ड-III के पास जल शुल्क संग्रहण की सूचना उपलब्ध नहीं थी।

अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, किसानों के संगठन के कोष में, सरकार द्वारा कार्य क्षेत्र में वसूले गये जल कर में से हिस्सा राशि, अनुदान के रूप में शामिल होगी। यह देखा गया कि जल उपभोक्ता संगठन को जल कर का हिस्सा उपलब्ध कराने सम्बंधी कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था। इसके अलावा, नर्मदा मुख्य नहर से सम्बंधित आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2011 से जून 2015 के मध्य 227.63 मिलियन घनमीटर¹⁴ से 597.01 मिलियन घनमीटर पानी प्राप्त किया गया था तथा 0.80 लाख से 2.15 लाख हैक्टर क्षेत्र सिंचित किया गया था। हालांकि, खण्ड-V द्वारा जल शुल्क की कोई मांग नहीं की गई तथा खण्ड-II एवं IV द्वारा केवल ₹ 1.82 लाख की राशि एकत्रित की गई।

राज्य सरकार ने बताया कि किसानों के मध्य अविश्वास एवं राजनीति की उपस्थिति के कारण, निर्वाचित निकाय के लिए जल शुल्क की वसूली एक कठिन कार्य था। आगे बताया कि जल शुल्क की वसूली के लिए परियोजना में पटवारी उपलब्ध नहीं थे। राज्य सरकार का उत्तर विभाग की समझाईस एवं निगरानी की कमी को प्रदर्शित करता है क्योंकि सहभागितापूर्ण प्रबंधन में जल शुल्क का संग्रहण एक मुख्य घटक था। वसूली के अभाव/कम वसूली से परियोजना के अनुरक्षण एवं स्थिरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

¹⁴ मिलियन घनमीटर

2.1.2.4 सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबन्धन को मजबूत करने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन नहीं किये गये

राजस्थान के किसानों की सिंचाई प्रणाली में भागीदारी नियम, 2002 पानी के वितरण की प्रवाह प्रणाली के लिए बनाये गये थे। नर्मदा नहर परियोजना में ट्रिप/फव्वारा सिंचाई प्रणाली अपनाई गयी जिसके तहत डिगियों के माध्यम से पानी को वितरित किया जाना था और जल उपभोक्ता समितियों को डिगियों से पानी के वितरण का प्रबन्धन करना था। इसलिए, परियोजना रिपोर्ट में कुछ संशोधन (परिशिष्ट 2.1) सुझाए गए थे जैसे डिगगी के अनुसार जल उपभोक्ता समितियों का गठन, वितरण समितियों का गठन होने तक पूर्व-डिगगी नहर के रखरखाव और मरम्मत के लिए जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी, सभी प्रकार की सलाह प्रदान करने के लिए सलाहकार समिति का गठन, आदि। नियमों में इन संशोधनों को किये जाने की आवश्यकता थी लेकिन किये नहीं गये। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया।

राज्य सरकार को जल उपभोक्ता समितियों के सुदृढीकरण के लिए राजस्थान के किसानों की सिंचाई प्रणाली में भागीदारी नियम, 2002 में आवश्यक संशोधन करने चाहिए।

2.1.3 जल भराव को रोकने के लिए जैव-जल निकासी तथा सतही और भू-जल का संयुक्त उपयोग

परियोजना रिपोर्ट में नहर प्रणाली के किनारे तथा किसानों के खेतों की सीमाओं पर पेड़ों का वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया था। यह जैव-जल निकासी के लिए किसी भी अधिक भू-जल को बाहर निकालने के लिय आवश्यक था। इसके अलावा, जल भराव रोकने के लिए सीधी जल निकासी तथा सतही और भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग का प्रस्ताव परियोजना के सिंचित क्षेत्र में लिया गया।

2.1.3.1 वृक्षारोपण के लक्ष्य की उपलब्धि का अभाव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने सुझाव दिया कि पर्यावरण कार्य योजना तैयार की जानी चाहिये। इसके अनुसरण में वेपकाँस द्वारा एक अध्ययन (सितम्बर 1998) किया गया। वेपकास ने पाया कि प्रवाह सिंचाई¹⁵ लागू होने से सिंचित क्षेत्रों में कुछ साल में जल भराव हो सकता है जो कृषि उत्पादन के लिए

¹⁵ यह सिंचाई की एक विधि है जिसमें पानी प्राकृतिक प्रवाह से प्रभावित होता है।

गंभीर खतरा हो सकता है। इसलिए, निचले क्षेत्र में जल निकासी के लिए उनमें से एक उपाय यह है कि, निश्चित प्रजातियों¹⁶ के पेड़ नहर प्रणाली के किनारे लगाए जाएं। इन प्रजातियों की जड़ें गहरी होती हैं और अधिक भू-जल बाहर निकालने के लिए पर्याप्त मात्रा में जैव-जल निकासी प्रदान करती हैं। वृक्षारोपण के लिए योजना बनाने के उद्देश्य के लिए प्रवाह क्षेत्र के लिए 30 लीटर प्रतिदिन/प्रति पेड़ तथा नेड क्षेत्र के लिए 20 लीटर प्रतिदिन/प्रति पेड़ के औसत पानी के उपयोग का प्रस्ताव रखा गया। परियोजना रिपोर्ट में नहर के किनारे वृक्षारोपण के लिए ₹ 74.88 करोड़ का प्रावधान किया गया।

यह देखा गया कि वृक्षारोपण के लिए बाडमेर के लिए ₹ 9.57 करोड़ और जालौर के लिए ₹ 37.46 करोड़ आवंटित बजट के विरुद्ध दिसम्बर 2010 और जनवरी 2016 की अवधि के बीच क्रमशः ₹ 5.11 करोड़ तथा ₹ 17.75 करोड़ का उपयोग किया गया। इसके अलावा, मुख्य नहर, वितरिकाओं और माइनर्स के किनारे वृक्षारोपण के लिए उप वन संरक्षक बाडमेर तथा उप वन संरक्षक जालौर के लिये भौतिक लक्ष्य 3941 कि. मी. तय किये गये (जुलाई 2011) जो 2012-13 तक हासिल करने थे। तय लक्ष्य के विरुद्ध, मार्च 2016 तक केवल 1977 किमी (50.67 प्रतिशत) वृक्षारोपण किया गया। इसके अलावा, परियोजना रिपोर्ट में उल्लेखित प्रजातियों से भिन्न अन्य प्रजातियों का रोपण किया गया।

कम वृक्षारोपण तथा परियोजना रिपोर्ट में उल्लेखित प्रजातियों से भिन्न प्रजातियों के वृक्षारोपण के कारण, सिंचित क्षेत्र में जैव-जल निकासी का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा जैव-जल निकासी के उद्देश्य के संदर्भ में पेड़ों की विशिष्ट प्रजाति के वृक्षारोपण की निगरानी नहीं रखी।

मुख्य अभियंता, नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर ने कहा (मई 2016) कि वृक्षारोपण कार्य के लिए बजट आवंटन सीधा ही वन विभाग को आवंटित किया गया था। इसलिए, पौधों की संख्या तथा प्रजाति वन विभाग द्वारा ही निश्चित की गयी थी। उप वन संरक्षक, जालौर ने कहा (जून 2016) कि बजट आवंटन के अनुरूप वृक्षारोपण किया गया। उत्तर विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि विशिष्ट प्रजातियों के रोपण का उद्देश्य जैव-जल निकासी सुनिश्चित करना था। वन विभाग की इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी स्थानान्तरण करके, जल संसाधन विभाग परियोजना के निगरानी और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है। इसके अलावा, उप वन संरक्षक, जालौर द्वारा बजट आवंटन का केवल 47 प्रतिशत ही वृक्षारोपण के

¹⁶ अर्जुन, बबूल, जंगली कीकर, फरास, खेजड़ी इत्यादि

लिए उपयोग किया गया जो अपर्याप्त वृक्षारोपण को दर्शाता है। राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

2.1.3.2 भूमिगत और सतही पानी का संयुक्त उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया

सिंचित क्षेत्र में उच्च स्थिर भू जल की सतह, खारी/क्षारीय मिट्टी और नहर सिंचाई की शुरुआत से, वहां कुछ वर्षों के भीतर जल भराव की एक बड़ी समस्या की सम्भावना थी। इसलिये वेपकाँस ने प्रस्तावित किया (अगस्त 2007) कि निचले क्षेत्र की जल निकासी के उपायों में से एक सतही और भूमिगत जल का संयुक्त उपयोग हो सकता है। इससे सिंचाई सुविधा लागू होने के कारण होने वाला सम्पूर्ण वार्षिक भूमिगत जल पुनर्भरण, बाहर आ जावेगा। सिंचित क्षेत्र में सतही और भूमिगत जल के 30:70 अनुपात के संयुक्त उपयोग का एक अनिवार्य प्रावधान प्रस्तावित किया गया। किसानों द्वारा भूमिगत जल के साथ सतही जल का उपयोग सीधी निकासी तथा जल सतह की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाना था। परियोजना रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि किसानों को अपने खेतों में भूमिगत जल उपयोग के लिए कुएं खोदने होंगे तथा फव्वारा पाईप के माध्यम से डिग्गी से सतही जल को काम में लेंगे। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए अपेक्षित कुओं की संख्या के विरुद्ध मौजूदा डग कम बोर कुओं की स्थिति निम्नप्रकार थी:

विवरण	प्रवाह क्षेत्र ¹⁷		लिफ्ट क्षेत्र ¹⁸	योग
	सामान्य	नेड		
जोन क्षेत्र में आवश्यक डग कम बोर कुओं की संख्या	5063	3428	9134	17625
मौजूदा कुओं की संख्या	3068	87	3694	6849
आवश्यक कुओं की संख्या में अंतर	1995	3341	5440	10776

स्रोत: परियोजना प्रतिवेदन एवं मुख्य अभियंता, नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर द्वारा प्रदत्त सूचना।

उपरोक्त स्थिति संकेत करती है कि बड़ी संख्या में कुओं को खोदने की आवश्यकता थी। परियोजना रिपोर्ट में यह परिकल्पित किया गया था कि किसानों को अधिक कुएं खोदने तथा भूजल का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए

¹⁷ क्षेत्र जिसमें पानी प्राकृतिक प्रवाह से प्रवाहित होता है।

¹⁸ क्षेत्र जिसमें पानी निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र को पम्प की सहायता से उठाया जाता है।

प्रेरित किया जाएगा। यह भी देखा गया कि विभाग द्वारा सतही तथा भूजल के संयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

राज्य सरकार ने कहा कि परियोजना में सीमित स्टाफ की उपलब्धता के कारण, परियोजना क्षेत्र में मौजूदा कुओं की संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। उत्तर स्वयं संकेत करता है कि जल भराव को रोकने के लिए सतही तथा भूजल का संयुक्त उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया।

यह सिफारिश की जाती है कि निर्दिष्ट प्रजातियों के पेड़ों के रोपण के अलावा परियोजना रिपोर्ट के प्रावधानों के अनुसार भूजल तथा सतही जल का संयुक्त उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

2.1.3.3 भूमिगत जल की गुणवत्ता और पुर्नभरण की निगरानी नहीं करना

परियोजना रिपोर्ट के अनुच्छेद 17.23 में परियोजना क्षेत्र में भूमिगत जल की गुणवत्ता एवं पुर्नभरण की नियमित निगरानी के लिए पीजोमीटर कुओं की स्थापना की परिकल्पना की गयी थी। इस प्रयोजन के लिए, परियोजना रिपोर्ट में परियोजना के सिंचित क्षेत्र में 277 पीजोमीटर कुओं की स्थापना के लिए ₹ 2.14 करोड़ का प्रावधान रखा गया था लेकिन पीजोमीटर कुओं की स्थापना नहीं की गई।

राज्य सरकार ने कहा कि भूजल के स्तर को भूजल विभाग द्वारा मापा जा रहा था। विभाग ने यद्यपि सूचित किया (जून 2016) कि पीजोमीटर कुओं की स्थापना नहीं की गयी थी। उत्तर में यह वर्णित नहीं किया गया कि बिना पीजोमीटर कुओं की स्थापना किये, परियोजना क्षेत्र में भूजल की गुणवत्ता और पुर्नभरण की निगरानी कैसे रखी जा रही थी।

2.1.4 अनुबन्ध प्रबन्धन

2.1.4.1 अतिरिक्त लेमिना के निर्माण पर परिहार्य व्यय

अरनियाली लिफ्ट माइनर किमी 16.700 से 17.000 पर अतिरिक्त लेमिना¹⁹ के निर्माण कार्य के तकनीकी प्राक्कलन राशि ₹ 38.64 लाख को अधिशाषी अभियन्ता, नर्मदा नहर परियोजना, खण्ड IV, सांचौर द्वारा स्वीकृत किया गया (जुलाई 2014)। तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त लेमिना तैयार करने का कारण यह था कि इस विशेष रीच में नहरी हिस्सा भारी फिलिंग²⁰ में था तथा

¹⁹ कार्बनिक अथवा अन्य पदार्थ की अवसादी शैल की परत

²⁰ तीन मीटर से अधिक मिट्टी का भराव

क्षेत्र में तेज हवाओं के बहने से नहर के किनारे क्षतिग्रस्त हो गये थे। अतिरिक्त लेमिना का कार्य पूरा कर लिया गया (दिसम्बर 2014) तथा संवेदक को राशि ₹ 38.34 लाख का भुगतान किया गया (फरवरी 2015)।

अधीक्षण अभियन्ता, नर्मदा नहर परियोजना, वृत्त-II के मुख्य अभियन्ता, नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर के साथ किये गये पत्र व्यवहार (14 जून 2013) में पाया गया कि ऊपर कथित कारण तथ्यों पर आधारित नहीं थे। अतिरिक्त लेमिना लेने का मुख्य कारण यह था कि नहर साइफन²¹ के लिए परिकल्पित शुद्ध हेड का अन्तर 0.640 मीटर²² निकाला गया जबकि स्थल पर यह अन्तर केवल 0.380 मीटर था। जिसके कारण नहर साइफन के माध्यम से पानी डिजाइन प्रवाह से बह नहीं सका था। यह भी देखा गया कि अतिरिक्त लेमिना के निर्माण के लिए किया गया निर्णय इस समस्या का केवल अस्थायी समाधान था तथा उपचारात्मक समाधान के लिए राशि ₹ 3.70 करोड़ का प्राक्कलन अगस्त 2014 में अनुमोदन के लिए अधीक्षण अभियन्ता, नर्मदा नहर परियोजना, वृत्त-II, सांचौर को भेजा गया था। जिसका अनुमोदन अक्टूबर 2016 तक लम्बित था। यदि नहर को ठीक से डिजाइन किया जाता तो अस्थायी रूप में किये गये ₹ 38.34 लाख के व्यय से बचा सकता था। इसके अतिरिक्त, नहर की दोषपूर्ण डिजाइन के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

राज्य सरकार ने कहा कि नहर के किनारों को स्थिर और सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त लेमिना का कार्य किया गया था। उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं था जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि नहर के किनारों का निर्माण उचित डिजाइन के पश्चात किया जाता तो अतिरिक्त लेमिना की आवश्यकता नहीं होती।

2.1.4.2 अनुबन्ध के कलाज 2 और 5 के अधीन कार्यवाही का अभाव

अनुबन्ध के कलाज 2 के अधीन, संवेदक कार्य की यथानुपात प्रगति को बनाए नहीं रखने के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए जिम्मेदार था। कलाज 5 के अधीन, कार्य के निष्पादन में अपरिहार्य बाधा के आधार पर, संवेदक बाधा की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रभारी अभियन्ता को कार्य पूरा करने के लिए समय के विस्तार के लिए आवेदन करेगा। सक्षम प्राधिकारी संवेदक से आवेदन प्राप्त होने

²¹ निचले स्तर पर एक कन्टेनर से दूसरे तक तरल खींचने के लिए इस्तेमाल की गयी नाली

²² नहर किमी 17.000 (45.555 मीटर) तथा किमी 18.850 (44.915 मीटर) के पूर्ण भण्डारण स्तर का अन्तर

की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर इस तरह के विस्तार की अनुमति देगा और कार्य के पूरा होने की प्रतीक्षा नहीं करेगा।

यह देखा गया है कि 18 कार्य (परिशिष्ट 2.2) पूरा होने की निर्धारित तिथी के समाप्त होने के बाद भी प्रगतिरत थे। यद्यपि, विभाग द्वारा संवेदक के विरुद्ध कार्य की यथानुपात प्रगति नहीं बनाए रखने पर क्लाज 2 के तहत न तो कार्यवाही की गयी तथा न ही अनुबन्ध के क्लाज 5 के तहत कोई समय विस्तार प्रदान किया गया।

राज्य सरकार ने कहा कि 18 में से 12 कार्य परीक्षण के लिए बिजली उपलब्ध नहीं कराने के कारण लम्बित थे। पांच कार्यों में सिविल कार्यों के साथ-साथ यांत्रिक कार्य प्रगति पर थे तथा एक कार्य के सम्बन्ध में, समय विस्तार पर विचार किया जा रहा था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि अनुबन्ध के प्रावधान के अनुसार अवधि-अनुसार समय विस्तार प्रदान करना चाहिए था अथवा संवेदक को कार्य की अवधि-अनुसार प्रगति बनाए नहीं रखने के लिए दण्डित करना चाहिए था।

इसी प्रकार, नर्मदा नहर परियोजना की बालेरा वितरिका, (ऑफ टेकिंग किमी 16 से) की विभिन्न माइनर, सब-माइनर तथा वांक वितरिका (ऑफ टेकिंग किमी 7.88 से) की बासन सब-माइनर के कार्यों²³ का निष्पादन टर्न-की आधार पर संवेदक²⁴ को ₹ 12.48 करोड़ में आवंटित किया गया था। कार्य प्रारम्भ तथा समाप्त करने की निर्धारित तिथि क्रमशः 22 दिसम्बर 2011 तथा 21 दिसम्बर 2012 थी। विभाग द्वारा कई नोटिस जारी करने के बावजूद संवेदक कार्य को शुरू करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा अनुबन्ध के क्लाज 2 के अधीन संवेदक पर ₹ 1.25 करोड़ की शास्ति लगायी गई (अगस्त 2012)। अनुबन्ध के क्लाज 3(सी) के अधीन संवेदक से जोखिम और लागत पर कार्य पूरा करने की भी कार्यवाई की गयी। यह पाया गया कि बयाना राशि में से ₹ 7.65 लाख शास्ति की राशि वसूल कर ली गई तथा शेष राशि ₹ 1.17 करोड़ संवेदक से अभी तक वसूल करने थे (अक्टूबर 2016)।

²³ मिट्टी का कार्य, एकल पीसीसी ब्लॉक लाईनिंग, पक्का स्ट्रक्चर, पम्प रुम, सम्पवेल तथा सप्लाईंग, लेइंग, जोईनिंग, टेस्टिंग एण्ड कमिशनिंग ऑफ डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क, डिजाईनिंग तथा मेकेनिकल कार्य ले आउट सहित

²⁴ मै. बैंकों कन्स्ट्रक्शन, ग्वालियर

राज्य सरकार ने कहा है कि लोक मांग वसूली (पीडीआर) अधिनियम के अधीन संवेदक से शेष राशि ₹ 1.17 करोड़ की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है।

2.1.4.3 गलत बेसिक अनुसूची दर के स्वीकार करने के कारण अधिक भुगतान

कोथरा लिफ्ट माइनर किमी 0.400 तथा गुडामालानी लिफ्ट माइनर किमी 17.100 पर पम्पिंग स्टेशन के निर्माण का कार्य ₹ 1.41 करोड़ में आवंटित किया गया (अगस्त 2009)। कार्य ₹ 1.01 करोड़ की लागत से पूरा किया गया (नवम्बर 2011)।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण के दौरान, मिट्टी की खुदाई (29747.73 घमी) का भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग की बेसिक अनुसूची दर (बीएसआर), 2008 के आधार पर किया गया। मिट्टी के कार्य की दर सार्वजनिक निर्माण विभाग की बीएसआर की तुलना में जल संसाधन विभाग की बीएसआर से अधिक थी, परिणामस्वरूप, संवेदक को ₹ 25.12 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

राज्य सरकार ने कहा है कि जल संसाधन विभाग की बीएसआर में स्पष्ट दिया गया है कि भवन कार्यों के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की बीएसआर में दी गई दरें लागू होंगी तथा पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कार्य एक भवन कार्य है, इसलिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की बीएसआर की दरें लागू की गयी थी। आगे यह भी कहा गया कि यदि जल संसाधन विभाग की बीएसआर को लागू करते तो विभाग को खुदाई की गयी मिट्टी के निस्तारण के लिए अतिरिक्त लीड देनी होती। उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं था क्योंकि पम्पिंग स्टेशन के मामले में मिट्टी का कार्य बड़े क्षेत्र में किया गया था न कि नीव में जैसा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की बीएसआर में दिया गया है। इसके अलावा, दोनों बीएसआर में प्रारम्भिक लीड के समान प्रावधान थे इसलिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग की बीएसआर को लागू करना सही नहीं था।

2.1.4.4 सीमेंट कंक्रीट कार्यों के लिए मिक्स डिजाइन परीक्षण आयोजित नहीं करना

संविदा की विशिष्ट शर्त के क्लोज 4.5 कहता है कि प्रारम्भिक टेस्ट के आधार पर कंक्रीट मिश्रण डिजाइन किया जावेगा।

विभिन्न संवेदकों को आवंटित कार्यों²⁵ में, कंक्रीट मिश्रण सामग्री में सामग्री अर्थात् सीमेंट, पानी, बजरी तथा एग्रीगेट का अनुपात प्राक्कलनों में पूर्व निर्धारित किया गया था। लेकिन, प्रारम्भिक परीक्षण नहीं किये गये थे तथा कंक्रीट मिश्रण तदनुसार डिजाइन नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने कहा कि संविदा में जहाँ सीमेंट कंक्रीट कम मात्रा में थी, डिजाइन मिक्स के प्रावधान अव्यवहारिक होने के कारण अनुबन्ध में शामिल नहीं किये गये थे। इसके अलावा, जहाँ सीमेंट की खपत प्रति घन मीटर का न्यूनतम स्तर 250 किलोग्राम से कम था, मिक्स डिजाइन आयोजित नहीं करना था। उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं था क्योंकि, अनुबन्ध में उपरोक्त मानदण्ड शामिल किए जाने के बावजूद कंक्रीट मिक्स डिजाइन नहीं किया गया था। कंक्रीट मिक्स के डिजाइन के अभाव में, सामग्री के सही अनुपात यथा कंक्रीट की विशिष्ट शक्ति, व्यवहार्यता और स्थायित्व सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

2.1.5 वित्तीय नियंत्रण और निगरानी

नर्मदा नहर परियोजना के लिए निधि को पूंजीगत शीर्ष के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित बजट आवंटन के माध्यम से प्रदान किया जाता है। भारत सरकार से भी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता के रूप में निधि प्राप्त की जाती है।

2.1.5.1 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से अंश लागत की कम प्राप्ति

परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित किया गया कि पेयजल आपूर्ति योजना के लिए नर्मदा के पानी के उपयोग के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अंश लागत ₹ 246.65 करोड़ देय थी। अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि अंश लागत के विरुद्ध, केवल ₹ 10 करोड़ ही नर्मदा नहर परियोजना शीर्ष को समायोजित किया गया, ₹ 100 करोड़ नर्मदा नहर परियोजना खण्ड-I सांचौर में शीर्ष 8443 निक्षेप-III के अधीन अप्रैल 2013 से असमायोजित पड़े हुए थे तथा ₹ 136.65 करोड़ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से प्राप्त नहीं हुए।

विभाग ने कहा कि इसके अतिरिक्त, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से ₹ 5 करोड़ और प्राप्त हुए तथा ₹ 131.65 करोड़ की शेष राशि की वसूली के लिए राज्य सरकार के स्तर पर प्रयास किये जा रहे थे।

²⁵ विभिन्न वितरिकाओं/माईनर/सब-माईनर के मिट्टी का कार्य, पक्का स्ट्रक्चर तथा एकल पीसीसी ब्लॉक लाइनिंग एवं डिगिंगों, पम्प रुम, सम्पवेल, बाउण्डरी वाल इत्यादि का निर्माण

2.1.5.2 निधियों का विपथन**परियोजना रिपोर्ट में बिना प्रावधानों के मदों पर व्यय**

जैव-जल निकासी के माध्यम से भूजल पुनर्भरण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मुख्य नहर, वितरिकाओं और माइनर के दोनों तरफ पेड़ों के वृक्षारोपण के प्रावधान परियोजना रिपोर्ट के एम-वृक्षारोपण उप शीर्ष के अधीन लिये गये थे।

अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि भवनो जैसे सहायक वन संरक्षक का निवास, वन चौकी, वनपाल का कार्यालय इत्यादि के निर्माण तथा वाहनों, कम्प्यूटर और प्रिंटर के क्रय पर ₹ 1.22 करोड़ व्यय किया गया जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है, को एम-प्लानटेशन उप शीर्ष में उपगत किया गया जिसके लिए परियोजना रिपोर्ट में कोई प्रावधान नहीं था।

(₹ लाखों में)

क्र.स.	कार्य का नाम	उप वन संरक्षक बाड़मेर	उप वन संरक्षक जालौर
1	भवन निर्माण	12.52	53.21
2	वाहन	14.02	29.96
3	कार्यालय और संचार प्रबन्धन	1.00	10.96
	कुल	27.54	94.13

स्रोत: उप वन संरक्षक बाड़मेर व जालौर द्वारा प्रदत्त सूचना

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने सितम्बर 2014 में विभाग को इन मदों पर किसी प्रकार के व्यय को उपगत नहीं करने के निर्देश दिये थे, लेकिन इससे पहले ही उपर्युक्त राशि ₹ 1.22 करोड़ उपरोक्त मदों पर व्यय कर दी गयी थी जिसके परिणामस्वरूप परियोजना पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

2.1.5.3 निगरानी में चूक के कारण बैंक प्रत्याभूति की समाप्ति

अधिशायी अभियन्ता, नर्मदा नहर परियोजना, खण्ड V, सांचौर द्वारा भीमगुडा वितरिका के मिट्टी का कार्य, पक्का स्ट्रक्चर तथा ब्लॉक लाईनिंग के निष्पादन का कार्य संवेदक²⁶ को ₹ 19.67 करोड़ में आवंटित किया गया। कार्य 18 जून

²⁶ मै. मेपा भाई मंडन (अब एमएमसी प्रोजेक्ट), गांधीधाम

2007 तक पूर्ण होना था। संवेदक फर्म ने सुरक्षा निक्षेप के समर्थन में बैंक ऑफ बड़ौदा, केएफटीजेड शाखा (कच्छ) द्वारा जारी ₹ 75.00 लाख (दिसम्बर 2006) व ₹ 50 लाख (फरवरी 2007) की बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत की। बैंक गारन्टी 18 जून 2008 तक वैध थी।

जल संसाधन विभाग ने कार्य के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि को 28 फरवरी 2008 तक बढ़ा दी (अक्टूबर 2007)। संवेदक फर्म ने कार्य पूरा नहीं किया तथा इस तरह अनुबन्ध के क्लॉज 2 के अधीन ₹ 35.17 लाख की शास्ति लगायी गयी तथा अनुबन्ध के क्लॉज 3(सी) के अधीन संवेदक के जोखिम और लागत पर कार्य पूर्ण करने की कार्यवाही की गयी (जनवरी 2011)। शेष कार्य ₹ 9.33 करोड़ में दूसरे संवेदक को आवंटित किया गया।

बैंक प्रत्याभूति की वैधता, हालांकि, 18 जून 2008 के बाद तक नहीं बढ़ाई गयी थी। बैंक ने बैंक प्रत्याभूति के नकदीकरण से यह कहते हुए मना कर दिया कि बैंक प्रत्याभूति की वैधता की अवधि के समाप्त होने के बाद भुगतान करने की उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। यदि बैंक प्रत्याभूति का नवीकरण यथासमय किया गया होता, तो अनुबन्ध की धारा 3(सी) के अधीन आरोपित शास्ति राशि ₹ 6.18 करोड़ में से ₹ 1.25 करोड़ की वसूली हो सकती थी।

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम 595 के नीचे टिप्पणी-1 उपबन्धित करती है कि बैंक प्रत्याभूति रजिस्टर खण्ड कार्यालय में खण्ड अधिकारी की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखा जायेगा व अवधि के बढ़ाये जाने या प्रतिभूति के नकदीकरण के लिए समय पर कार्रवाई, जो अपेक्षित हो, करने के लिए, रजिस्टर का पुनर्विलोकन करेगा। सम्बन्धित अधिकारी के स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी।

राज्य सरकार ने कहा कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रगतिरत थी।

2.1.5.4 बाढ़ के कारण नुकसान के लिए जाँच आयोजित नहीं करना

आपदा प्रबंधन और राहत विभाग, राजस्थान द्वारा 2015 में मानसून के मौसम में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त मुख्य नहर/वितरिका के नुकसान के तत्काल राहत/पुनर्वास के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी थी (अक्टूबर 2015)।

राज्य सरकार द्वारा ₹ 15.96 करोड़ का बजट आवंटन किया गया (मार्च 2016)। वर्ष 2015-16 के दौरान बाढ़ से क्षतिग्रस्त नहरों के तत्काल मरम्मत और पुनर्वास पर जारी स्वीकृति के विरुद्ध ₹ 15.87 करोड़ का व्यय उपगत किया गया।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली के नियम 21 के अनुसार बाढ़ चक्रवात, आग, भूकंप इत्यादि के मामलों में हानि की मात्रा तथा सीमा के बारे में जांच आयोजित किया जाना चाहिए तथा इसकी रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग/सरकार को प्रस्तुत की जानी चाहिए। यद्यपि यह देखा गया है कि इस तरह की कोई जांच आयोजित नहीं की गयी तथा विभाग ने भी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए और भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया।

2.1.5.5 प्रशासनिक निरीक्षण

जल संसाधन की नियमावली मैनुअल के अनुच्छेद 3.4.9 तथा 3.5.5 उपबन्धित करते हैं कि अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशाषी अभियन्ता सभी महत्वपूर्ण तथा प्रमुख निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। विभाग ने परिपत्र जारी कर कार्यों के निरीक्षण तथा मुख्यालय से बाहर रात्रि विश्राम के लिए वार्षिक मानदण्डों²⁷ को तय किया। मानदण्डों के विरुद्ध उपलब्धियों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है

तालिका 1: निरीक्षण और रात्रि विश्राम के सम्बन्ध में मानदण्डों के विरुद्ध उपलब्धि का विवरण

वर्ष	उपलब्धि (निरीक्षण)			उपलब्धि (रात्रि विश्राम)		
	अअ- II (कमी का प्रतिशत)	अअ- IV (कमी का प्रतिशत)	अअ- V (कमी का प्रतिशत)	अअ- II (कमी का प्रतिशत)	अअ-IV (कमी का प्रतिशत)	अअ- V (कमी का प्रतिशत)
2011-12	88(8.33)	75(21.88)	96(-)	24(66.67)	35(63.54)	72(-)
2012-13	91(5.21)	81(15.63)	96(-)	22(69.45)	56(22.23)	72(-)
2013-14	88(8.03)	72(25.00)	101(-)	24(66.67)	71(1.39)	11(84.73)
2014-15	86(10.42)	48(50.00)	113(-)	30(58.34)	40(44.45)	52(27.78)
2015-16	89(7.30)	102(-)	84(12.5)	28(61.11)	72(-)	77(-)

स्रोत: मुख्य अभियन्ता, नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर द्वारा प्रदत्त सूचना।

²⁷ कार्यों के निरीक्षण के मानदण्ड मुख्य अभियन्ता-30, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-90, अधीक्षण अभियन्ता-90, अधिशाषी अभियन्ता-96 तथा रात्रि विश्राम के लिए मानदण्ड मुख्य अभियन्ता-20, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-60, अधीक्षण अभियन्ता-60, अधिशाषी अभियन्ता-75

2011-16 के दौरान, अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा निरीक्षण तथा रात्रि विश्राम के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये। खण्ड-II की रात्रि विश्राम की कमी 58.34 से 69.45 प्रतिशत थी; खण्ड-IV की कमी 63.54 प्रतिशत तक थी; तथा खण्ड-V में यह 84.73 प्रतिशत तक थी। अधीक्षण अभियन्ताओं, तथा अधिशाषी अभियन्ता-I और अधिशाषी अभियन्ता-III ने सूचनाएँ प्रदान नहीं की।

राज्य सरकार ने कहा कि सभी अभियन्ता मानदंडों के अनुसार काम का निरीक्षण कर रहे थे। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि नर्मदा नहर परियोजना के विभिन्न खण्डों में संधारित अभिलेख निरीक्षण/रात्रि विश्राम में कमी दर्शाते हैं।

2.1.6 निष्कर्ष

कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कार्य पूरा होने की अवधि में 2003 से 2013 तक विस्तार हुआ तथा पांच बार से अधिक बार कुल लागत में वृद्धि हुई है। मार्च 2016 तक विभिन्न गतिविधियों जैसे वितरिका, माईनर तथा सब-माईनर के सिविल कार्य; भूमि अधिग्रहण; मिट्टी के कार्य; यांत्रिक कार्य जैसे पाइपलाइन की आपूर्ति, बिछाने, जोड़ने, चालू करना तथा मोनो ब्लॉक पम्प सेट की स्थापना करना; एवं डिगियों के बिजली के कनेक्शन के कार्य मार्च 2016 तक पूर्ण नहीं किये गये।

मार्च 2016 तक 2.15 लाख हैक्टर (87.40 प्रतिशत) सिंचित क्षेत्र दिखाया गया जबकि केवल 1193 डिगियों (55 प्रतिशत) का ही विद्युतीकरण किया गया। इससे यह पता चलता है कि दिखाया गया सिंचित क्षेत्र वास्तव में फव्वारा अथवा ड्रिप सिंचाई प्रणाली से सिंचित नहीं किया गया था, जो कि परियोजना का प्रमुख तत्व था। किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के बजाय अपने स्वयं के पानी के पम्प से व्यवस्था कर माईनर से पानी लेते हुए क्षेत्र को सिंचित किया गया, जिसको गलत ढंग से सिंचित कृषि क्षमता क्षेत्र की उपलब्धियों के रूप में शामिल किया गया था। नहर, वितरिकाओं, माईनर तथा सब-माईनर के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि को जल संसाधन विभाग के नाम पर उत्परिवर्तन नहीं किया गया था।

2236 जल उपभोक्ता संघ का गठन किया जाना था, उनमें से केवल 2145 का ही गठन किया गया तथा 1885 संघों को परिसम्पत्तियाँ जैसे डिगियाँ, पाइपलाइन तथा मोनो ब्लॉक पम्प सौंप दिये गये थे। किसी भी जल उपभोग क्षेत्र में वितरिका तथा परियोजना समिति का गठन नहीं किया गया था। डिगियों के विद्युतीकरण (45 प्रतिशत) तथा जल प्रभार के संग्रह के अभाव में जल उपभोक्ता संघ बड़े पैमाने पर गैर कार्यात्मक रहे हैं। सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंधन को मजबूत

करने के लिए राजस्थान में किसानों की सिंचाई प्रणाली में भागीदारी अधिनियम, 2000 के नियमों में आवश्यक संशोधन नहीं किये गये थे। भागीदारी प्रबंधन में जल प्रभार की वसूली एक महत्वपूर्ण तत्त्व था तथा वसूली का अभाव/कम वसूली विभाग द्वारा निगरानी की कमी का संकेत देती है। इसके अलावा, इसमें रखरखाव और परियोजना की स्थिरता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। नर्मदा मुख्य नहर तथा इसकी वितरिकाओं एवं माईनर के पास के किसानों, जो नहरों से मोटर पम्पों द्वारा पानी उठा कर अपने खेतों को सिंचित करते हैं, द्वारा पानी की चोरी की समस्या का सामना करना पड़ा।

कम वृक्षारोपण तथा परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित प्रजाति से भिन्न प्रजाति के पौधों के रोपण के कारण सिंचित क्षेत्र में जैव-जल निकासी उपलब्ध कराने के उद्देश्य पर प्रतिकूल असर पड़ा। परियोजना प्राधिकारियों ने जैव-जल निकासी के सन्दर्भ में पेड़ों की विशिष्ट प्रजाति के वृक्षारोपण की निगरानी नहीं रखी। निचले क्षेत्र की जल निकासी के लिए सतह और भूमिगत जल का संयुक्त उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

अध्याय III
अनुपालना लेखापरीक्षा

अध्याय III

अनुपालना लेखापरीक्षा

पर्यावरण विभाग

3.1 संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों की योजना, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

परिचय

संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपीज) को विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों से उत्पन्न होने वाले उच्छिष्ट के सामूहिक या केन्द्रीकृत उपचार के लिए एक व्यावहारिक उपचार का साधन माना जाता है। सीईटीपीज विभिन्न उद्योगों के सामूहिक अपशिष्ट जल को कम इकाई लागत पर उपचार करने में सशक्त मदद करते हैं। ये अपशिष्ट जल निर्वहन मानकों के साथ सुगमता से बेहतर निगरानी और अनुपालना में भी मदद करते हैं।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को इसके अपशिष्ट, चाहे वह जलधारा, भूमि, सीवेज या समुद्र में विसर्जित किया जा रहा हो, के निपटान से पहले पर्याप्त उपचार प्रदान करना होता है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (मण्डल) सीईटीपीज को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन तथा निगरानी प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है तथा समन्वय का कार्य करता है। अधिनियम की धारा 17 (1)(एफ) के अनुसार राज्य बोर्ड के कार्यों में, सीवेज/उद्योग उच्छिष्ट, सीवेज तथा उद्योग उच्छिष्ट के उपचार के लिए कार्यों एवं संयंत्रों का निरीक्षण करना, पानी के उपचार के लिए स्थापित संयंत्रों से सम्बन्धित योजनाएं, विनिर्देशों या अन्य आंकड़ों तथा सीवेज या उद्योग उच्छिष्ट के निस्तारण के तंत्र की समीक्षा करना है अथवा इस अधिनियम के द्वारा वांछित किसी भी प्रकार की सहमति प्रदान करना है।

सीईटीपी के प्रबन्धन हेतु उपयुक्त कानून के अंतर्गत पंजीकृत एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) होना चाहिए। सीईटीपी का संचालन और रखरखाव उपयुक्त कानून के अंतर्गत पंजीकृत ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है।

निधिकरण स्वरूप

समूहों में स्थित लघु उद्योगों से उत्पन्न उच्छिष्ट के उपचार के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने 1991 में सीईटीपीज के लिए एक अभिनव योजना शुरू की। योजना में मार्च 2012 में संशोधन किया गया जिसके अनुसार केन्द्र,

राज्य तथा प्रस्तावक का अंश 50:25:25 तय किया गया। इसके पूर्व यह अंश 25:25:50 था। वर्तमान में केन्द्र का अंश बिना शून्य जल निस्तारण (जीरो लिक्विड डिस्चार्ज) वाले सीईटीपीज के लिए ₹ 1.50 करोड़ प्रति मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) जो कि ₹ 15 करोड़ की अधिकतम सीमा तक सीमित था तथा शून्य जल निस्तारण वाली परियोजना के लिए ₹ 4.50 करोड़ एमएलडी जो कि 20 करोड़ रुपये अधिकतम सीमा तक सीमित था।

राजस्थान में पांच जिलों में 1983 से मार्च 2016 की अवधि में 14 सीईटीपीज स्थापित किये गये थे, पाली में पांच, बाड़मेर में छः तथा अलवर, जयपुर तथा जोधपुर प्रत्येक में एक।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र

अवधि 2011-12 से 2015-16 के लिए सभी 14 सीईटीपीज के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालयों¹, मण्डल के मुख्यालय तथा केन्द्रीय प्रयोगशाला के अभिलेखों की संवीक्षा की गई (मार्च-मई 2016)। अभिलेखों की जाँच यह देखने के लिए की गई कि क्या सीईटीपी की आवश्यकता का मूल्यांकन तथा सीईटीपी स्थापित करने के लिए योजना पर्याप्त थी। पर्यावरण प्रदूषण पर योजना के प्रभाव और सीईटीपी की कार्यप्रणाली की निगरानी में मण्डल की भूमिका की भी संवीक्षा की गई थी।

अनुच्छेद को अंतिम रूप देते समय राज्य सरकार से प्राप्त जवाब (अगस्त 2016) को ध्यान में रखा गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.1 योजना

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम) 1974 के अनुसार मण्डल के मुख्य कार्यों में से एक राज्य में नदियों और कुओं के प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा कमी के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाना तथा उसका निष्पादन सुनिश्चित करना था। जल प्रदूषण से सम्बन्धित सूचना को एकत्रित और प्रसारित करना तथा जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा कमी से सम्बन्धित कोई भी सामग्री/विषयवस्तु पर राज्य सरकार को सलाह देना भी मण्डल से अपेक्षित था।

¹ जयपुर, पाली, भिवाड़ी, बालोतरा व जोधपुर

3.1.1.1 सीईटीपी स्थापना के लिए आंकड़ों की कमी एवं व्यापक कार्यक्रम का अभाव

यह देखा गया कि उन क्षेत्रों में जहां बड़ी संख्या में लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग उच्छिष्ट के समुचित उपचार के बिना कार्य कर रहे हैं, मण्डल ने सीईटीपीज स्थापित करने के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार नहीं किया। राज्य में जल प्रदूषण में योगदान करने वाले उद्योगों की पहचान करने के लिए मण्डल ने नियतकालिक सर्वेक्षण करने के लिए भी कोई नीति तैयार नहीं की। सूचनाएं जैसे कि राज्य में चल रहे उद्योगों की श्रेणीवार संख्या, उच्छिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) अथवा सीईटीपी में किसी से भी जुड़े हुए उद्योगों की संख्या, प्रतिदिन निस्तारित उच्छिष्ट की गुणवत्ता/मात्रा, तुलनात्मकता की जांच करने के पश्चात बेहतर उपचार के तरीके अपनाने के लिए उठाये गये कदम इत्यादि मण्डल ने उपलब्ध नहीं कराई। प्रासंगिक आंकड़ों एवं सूचनाओं के अभाव में मण्डल जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा कमी से सम्बन्धित अपने अधिदेश को पूरा करने की स्थिति में नहीं था। यह सीईटीपी स्थापित करने के लिए किसी नीति या व्यापक कार्यक्रम के अभाव को भी व्यक्त करता है जिनकी अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

राज्य सरकार ने कहा कि प्रदूषणकारी इकाइयों की पहचान एक सतत प्रक्रिया है और क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अपने नियमित निरीक्षण के दौरान नई इकाइयों की पहचान की जाती है। आगे यह भी कहा गया कि मण्डल राज्य के प्रमुख कपड़ा समूहों में स्थापित सभी जल प्रदूषण करने वाली इकाइयों का भी रिकार्ड रखता है। सरकार का जवाब विश्वसनीय नहीं था क्योंकि प्रतिदिन निस्तारित उच्छिष्ट की गुणवत्ता/मात्रा से सम्बन्धित आंकड़े/अभिलेख तथा बेहतर उपचार के विकल्प को अपनाने के लिए उठाये गये कदम इत्यादि मण्डल द्वारा संधारित नहीं किये गये थे।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उन क्षेत्रों में जहां बड़ी संख्या में लघु/मध्यम उद्योग उच्छिष्ट का समुचित उपचार किये बिना क्रियाशील हैं, संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। इसको प्रदूषणकारी इकाइयों की पहचान करने व नियतकालिक सर्वेक्षण करने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए।

3.1.1.2 सीईटीपीज की स्थापना के लिए योजना बनाने की कमी

सांगानेर, जयपुर में सीईटीपी की स्थापना नहीं करना

जयपुर जिले में सांगानेर क्षेत्र पारम्परिक हाथ से मुद्रित कपड़े के उत्पादन के लिए एक केन्द्र के रूप में जाना जाता है। मण्डल के सदस्यों, जिला प्रशासन, जिला

उद्योग केन्द्र तथा राजस्व विभाग के दल द्वारा किये गये संयुक्त सर्वेक्षण (29 अप्रैल 2013 से 2 मई 2013) के अनुसार सांगानेर और आसपास के क्षेत्र में लगभग 893 कपड़ा रंगाई तथा छपाई की इकाईयां संचालन में थी। इन इकाईयों द्वारा प्रतिदिन लगभग 12.3 मिलियन लीटर उच्छिष्ट खुली भूमि पर और द्रव्यवती नदी में बिना किसी उपचार के निस्तारित किया जा रहा था।

उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों के अभाव में औद्योगिक अपशिष्ट बिना उपचार के निरन्तर खुली भूमि पर छोड़ा जा रहा था जिसके कारण भूमिगत जल की गुणवत्ता में निरन्तर गिरावट आ रही थी। कपड़ा इकाईयों द्वारा खतरनाक रसायनों का द्रव्यवती नदी में निस्तारण भी विभिन्न रोगों का कारण था तथा क्षेत्र के निवासियों के समक्ष स्वास्थ्य के लिए खतरा था। विभिन्न अध्ययनों² से ज्ञात हुआ है कि सब्जियों और अनाज फसलों में भारी धातुओं जैसे निकल, सीसा और कैडमियम की सांद्रता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुज्ञेय सीमा से ऊपर थी। भारी धातुओं के ऊंचे स्तर के साथ पदार्थों की खपत से शरीर में उच्च स्तर का संचय हो सकता है जो स्वास्थ्य विकार जैसे मतली, उल्टी, उच्च रक्तचाप, छिटपुट बुखार, एनीमिया, हृदय पतन और मृत्यु का कारण हो सकते हैं।

माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया (मई 2015) कि इसके पिछले आदेश (मार्च 2004) की अनुपालना में प्रदूषणकारी इकाईयों को सीईटीपी स्थापित होने तक बन्द कर दिया जाना चाहिए अथवा अन्य स्थान पर पुनर्स्थापित कर दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया (अप्रैल 2015) कि वे सभी इकाईयां जो मण्डल से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना चल रही हैं उनको तुरन्त बन्द कर दिया जाना चाहिए। इन आदेशों की अनुपालना में मण्डल ने (2010-14 तथा अप्रैल 2015 के मध्य) सभी 893 इकाईयों को बन्द करने तथा बिजली व पानी की आपूर्ति को काटने के निर्देश जारी किये। अप्रैल 2015 से अगस्त 2015 के दौरान 893 में से केवल 51 इकाईयों के बिजली सम्बन्ध काटे गये।

इस प्रकार, मण्डल ने सिवाय नोटिस जारी करने के ऐसी प्रदूषणकारी इकाईयों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की और न ही प्रदूषणकारी इकाईयों द्वारा सीईटीपी स्थापित करने के लिए समयबद्ध रूप से कोई ठोस उपाय किये।

² (i) विज्ञान, अभियांत्रिकी व तकनीकी पर अभिनव अध्ययनों पर अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल (जुलाई 2015)
(ii) भूगर्भशास्त्र, पृथ्वी व पर्यावरण विज्ञान पर अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल (जनवरी-अप्रैल 2014)

उच्छिष्ट उपचार संयंत्र का परिचालन नहीं करना

सांगानेर कपड़ा रंगाई छपाई एसोसिएशन ने माननीय उच्च न्यायालय को एक हलफनामे द्वारा आश्वासन दिया (अगस्त 2015) कि एक वर्ष की अवधि (अगस्त 2016) में सीईटीपी स्थापित होने तक प्रत्येक इकाई दो चरणों में व्यक्तिगत उच्छिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) स्थापित कर लेगी:

- 1000 किलो लीटर प्रतिदिन से अधिक उच्छिष्ट निस्तारण करने वाली बड़ी इकाईयों में 30 दिन के अन्दर उनके कार्यशील ईटीपी होंगे।
- अन्य सभी इकाईयों का अगले 30 दिन में उनका अपना ईटीपी होगा।

माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया (अगस्त 2015) कि मण्डल ईटीपी की स्थापना के साथ ही सीईटीपी के निर्माण का निरीक्षण एवं निगरानी करना जारी रखेगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल दो महीने की समाप्ति पर हुई प्रगति पर तुरन्त एक रिपोर्ट दाखिल करेगा। कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में, जिला प्रशासन, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा मण्डल के अधिकारियों और एसोसिएशन के प्रतिनिधि की एक संयुक्त टीम ने 776 सदस्य इकाईयों में से 221 इकाईयों का निरीक्षण अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016 के दौरान किया, हालांकि, समय सीमा पहले ही अक्टूबर 2015 में समाप्त हो चुकी थी। इनमें से 165 इकाईयों ने ईटीपी स्थापित कर लिया था, 21 इकाईयां ईटीपी स्थापित करने की प्रक्रिया में थी और 35 इकाईयों ने ईटीपी स्थापित नहीं किया था। आगे, 165 स्थापित ईटीपीज में से केवल 22 (13 प्रतिशत) ईटीपीज कार्यशील पाये गये। ईटीपीज के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए, दिसम्बर 2015 और जनवरी 2016 के दौरान मण्डल द्वारा 24 इकाईयों के नमूने एकत्र और विश्लेषित किये गये। उक्त 24 इकाईयों में से 23 के परिणाम दर्शाते थे कि नमूने प्रदूषण के मानकों से अधिक थे। दोषियों पर मण्डल द्वारा की गई कार्यवाही अभिलेखों में नहीं पायी गयी।

राज्य सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि सभी 776 सदस्य इकाईयों ने व्यक्तिगत ईटीपीज स्थापित कर लिये थे और सांगानेर में सीईटीपी स्थापित करने के लिए कायदेशि जारी कर दिया गया था (सितम्बर 2016) लेकिन निर्माण अभी तक आरम्भ नहीं हुआ था। उत्तर तथ्यों से मेल नहीं खाता क्योंकि स्थापित 776 ईटीपीज में से मात्र 296 ईटीपीज ही कार्यशील (नवम्बर 2016) थे। सीईटीपी के निर्माण तथा ईटीपीज के परिचालन के अभाव में वस्त्र उद्योग लगातार ब्रव्यवती नदी में या खुली भूमि पर उच्छिष्ट का निस्तारण कर रहे थे।

3.1.1.3 तीन जिलों में सीईटीपीज की स्थापना नहीं करना

मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन (2010-11) में तीन जिलों³ के औद्योगिक समूहों में आठ नए सीईटीपीज स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। सीईटीपीज की स्थापना के लिए मण्डल द्वारा उद्योगों को प्रेरित किया जाना अपेक्षित था।

यह देखा गया कि सीईटीपीज की स्थापना के लिए अब तक कोई प्रगति नहीं की गई। इन जिलों में स्थापित ईटीपीज की संख्या, निस्तारित उच्छिष्ट की मात्रा, उच्छिष्ट का रासायनिक चरित्र व स्थान जहां उच्छिष्ट का निस्तारण किया जा रहा है, के सम्बन्ध में मण्डल द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई।

इन आठ सीईटीपीज की स्थापना पर राज्य सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया।

इन जिलों में आवश्यकतानुसार सीईटीपीज की स्थापना के अभाव के कारण जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं कमी का उद्देश्य प्रभावित हुआ।

3.1.2 कार्यान्वयन

सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों और मण्डल में सीईटीपीज के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु देखे गये।

पाली जिले में सीईटीपीज

औद्योगिक शहर पाली में लघु उद्योग इकाईयां हैं जो अधिकांशतः इसके चार औद्योगिक क्षेत्रों अर्थात् मण्डिया रोड, रीको-1⁴ और II तथा पुनायता में स्थित हैं। वहां लगभग 550 लाल श्रेणी⁵ की इकाईयां हैं जो कि कपड़ा प्रसंस्करण जैसे सूती और सिंथेटिक कपड़े की ब्लीचिंग, मर्सेराइजिंग, रंगाई व छपाई में लगी हुई हैं। पाली में सभी पांच सीईटीपीज पाली जल प्रदूषण नियंत्रण, उपचार और अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित हैं। वर्तमान (जुलाई 2016) में सीईटीपी इकाई-I व III (मण्डिया व पुनायता रोड) क्रमशः जुलाई 2015 एवं नवम्बर 2015 से उन्नयन कार्य के कारण बन्द थी।

3.1.2.1 परिवहन प्रणाली

परिवहन प्रणाली, संयंत्र संचालन में आसानी के अलावा उपचार की लागत प्रभावशीलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाली जिले में, जहाँ लगभग

³ अलवर (पांच), बीकानेर (दो) व हनुमानगढ़ (एक)

⁴ राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम

⁵ उच्च प्रदूषण वाली इकाईयां

550 लाल श्रेणी की कपड़ा इकाईयां सीईटीपी से जुड़ी हुई थी, इन इकाईयों से निस्तारित उच्छिष्ट (पुनायता रोड स्थित इकाईयों को छोड़कर) टैकर्स के द्वारा सीईटीपी ले जाया जा रहा था। पाली के उद्योग, परिवहन पर प्रतिमाह लगभग ₹ 3 करोड़ व्यय कर रहे थे जो कि कन्ड्यूट पाईपलाइन से अधिक महंगा था। उपचार के पश्चात पानी खुले नाले के माध्यम से बांडी नदी में निस्तारित किया जा रहा था।

यह देखा गया कि प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण की अध्यक्षता में हुई बैठक (जुलाई 2011) में, जिसमें मण्डल अध्यक्ष भी उपस्थित थे, पाली जल प्रदूषण नियंत्रण, उपचार और अनुसंधान संस्थान को रीको औद्योगिक क्षेत्र प्रथम व द्वितीय और मण्डिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में कन्ड्यूट पाईपलाइन डालने के लिए निर्देशित किया गया था। तत्पश्चात जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई निगरानी समिति की बैठक (सितम्बर 2013) में पाली जल प्रदूषण नियंत्रण, उपचार और अनुसंधान संस्थान द्वारा रीको औद्योगिक क्षेत्र प्रथम व द्वितीय और मण्डिया रोड में पाईपलाइन डालने का निर्णय लिया गया। यद्यपि, लगभग पांच वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद कोई कार्य नहीं किया गया (जुलाई 2011)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी यह सिफारिश की थी (8 अक्टूबर 2015) कि रीको को व्यक्तिगत उद्योगों से उच्छिष्ट के परिवहन के लिए बंद कन्ड्यूट प्रणाली का निर्माण करना चाहिए।

पाली में पाईप प्रणाली से परिवहन व्यवहारिक, उपयुक्त और कम खर्चीला हो सकता था क्योंकि सभी समरूप सदस्य उद्योग एक दूसरे के समीप स्थित हैं। कन्ड्यूट पाईपलाइन के अभाव में टैकर्स द्वारा परिवहन से उच्छिष्ट का बिना उपचार किये निस्तारित होने अथवा नदी, बांध या खुली नालियों में छोड़े जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मण्डल द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया कि उच्छिष्ट सीईटीपी के इनलेट में ही निस्तारित हो, कहीं अन्यत्र नहीं।

राज्य सरकार ने कहा कि वह इस मुद्दे के प्रति जागरूक है तथा शेष क्षेत्रों में बन्द कन्ड्यूट पाईपलाइन डाली जाए इसे सुनिश्चित करने के लिए ट्रस्ट के साथ आगे की कार्यवाही की जा रही थी।

3.1.2.2 उच्छिष्ट का अतिप्रवाह

क्षेत्रीय अधिकारी, पाली के अभिलेखों में यह देखा गया कि पाली में औद्योगिक इकाईयों ने मण्डल द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक उच्छिष्ट निस्तारित किया जिसके

कारण अतिप्रवाह उच्छिष्ट शहरी गंदे नाले के साथ मिलकर बांडी नदी में बह रहा था। कई मामलों में अतिप्रवाह के कारण रीको की नालियां तथा शहर की कई सड़कें भी उच्छिष्ट से भरी हुई थी।

अतिप्रवाह की समस्या को दूर करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सदस्य इकाईयां निर्धारित मात्रा से अधिक उच्छिष्ट योगदान नहीं करें और औद्योगिक उच्छिष्ट को निर्धारित मानकों की सीमा के अनुरूप उपचार करें, मण्डल ने पाली जल प्रदूषण नियंत्रण, उपचार और अनुसंधान संस्थान को क्षमता का 50 प्रतिशत तक सीईटीपी संचालित करने के निर्देश दिये (सितम्बर 2013) ताकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निर्धारित मानकों को पूरा कर सके और यह सुनिश्चित करें कि सदस्य इकाईयां कम की गई (50 प्रतिशत) क्षमता पर चलें। मण्डल ने यह सीमा आगे (फरवरी 2014) 60 प्रतिशत तक बढ़ा दी।

पाली जल प्रदूषण नियंत्रण, उपचार और अनुसंधान संस्थान ने सदस्य इकाईयों पर लगाये गये निस्तारण प्रतिबन्ध को कार्यान्वित करने सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। इसके अभाव में आदेश की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा सकी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की विभिन्न रिपोर्ट्स के परिणामों ने यह संकेत दिया कि सीईटीपीज द्वारा निस्तारित उपचारित उच्छिष्ट में निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण समाविष्ट है। मण्डल द्वारा यह जांचने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया कि क्या सीईटीपीज व सदस्य इकाईयां निस्तारण प्रतिबन्ध का पालन कर रही थी।

राज्य सरकार ने कहा कि उसने ट्रस्ट को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये हैं कि सदस्य इकाईयां अनुमति की मात्रा से अधिक उच्छिष्ट का निस्तारण नहीं करें। यह भी कहा गया कि क्षेत्रीय अधिकारी, पाली यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्छिष्ट की मात्रा प्रतिबन्धित मात्रा के अन्दर रहे, नियमित रूप से निरीक्षण तथा निगरानी कर रहे थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था जैसा कि एनजीटी ने अक्टूबर 2016 में आदेश जारी किया था कि जब तक सीईटीपीज का संयुक्त निरीक्षण नहीं किया जाता तब तक बांडी नदी में उच्छिष्ट का निस्तारण करने वाली इकाईयों को बन्द कर दिया जावे। यह सिद्ध करता है कि अतिप्रवाह की समस्या बनी हुई थी (अक्टूबर 2016)।

3.1.2.3 निर्धारित मापदण्डों की उपलब्धि प्राप्त नहीं करना

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के दिशा निर्देश (मार्च 2012) के अनुसार, उपचार के प्रकार जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक पर ध्यान दिये

बिना सीईटीपी को प्रवेश व निकास के मानकों का पालन करना चाहिए। मण्डल ने सम्बन्धित सीईटीपी ट्रस्ट को जारी (26 नवम्बर 2015) 'संचालन की सहमति' में मानक निर्धारित किये थे।

केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा तैयार विश्लेषण के परिणामों की जांच से विदित हुआ कि सीईटीपी I, II, III, व IV से एकत्रित अगस्त 2012 से जनवरी 2016 के दौरान 240 नमूनों तथा यूनिट VI से 2015-16 के दौरान चार नमूनों में से 87 प्रतिशत नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे और कुल निलम्बित ठोस (टीएसएस), जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी), रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सीओडी), तेल तथा ग्रीस निर्धारित मानकों से अधिक थे (परिशिष्ट 3.1)। यह दर्शाता है कि पाली जिले में सभी सीईटीपीज की कार्यपद्धति असंतोषजनक थी एवं अपशिष्ट जल का उपचार निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा था। परिणामतः सीईटीपीज अभी भी बांडी नदी में प्रदूषित जल का निस्तारण कर रहे थे। यह सुनिश्चित करने के लिए मण्डल द्वारा कोई ठोस कदम नहीं लिये गये कि उच्छिष्ट मानकों को हासिल कर लिया जावे।

राज्य सरकार का उत्तर लेखापरीक्षा से सम्बन्धित नहीं था।

3.1.2.4 प्रौद्योगिकी का उन्नयन

इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाईनेंशियल सर्विसेज इकोस्मार्ट लिमिटेड की रिपोर्ट (सितम्बर 2009) के अनुसार उपचार प्रौद्योगिकी के संभावित संयोजन पर पहुंचने के लिए उच्छिष्ट की विशेषताओं के आधार पर उपयुक्त प्रौद्योगिकी की पहचान की जानी चाहिए।

सीईटीपी यूनिट्स I, II, III, व IV द्वितीयक स्तर⁶ तक तथा यूनिट VI तृतीयक⁷ स्तर तक उपचार करने के लिए डिजाइन की गई थी। यह भी देखा गया था कि यूनिट I व III तृतीयक उपचार हेतु उन्नयन कार्य के कारण कार्यशील नहीं थी। इस प्रकार, केवल यूनिट्स II, IV एवं VI चल रही थी और यूनिट V निर्माणाधीन (जुलाई 2016) थी। सीईटीपी ट्रस्ट ने यूनिट II और IV को तृतीयक स्तर तक प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रस्तावित किया (फरवरी और मार्च 2016) और यूनिट V व VI शून्य जल निस्तारण के लिए प्रस्तावित (जनवरी 2015) की गई। अधिकांश सीईटीपीज 1983-2009 के मध्य स्थापित की गई थी और यह सुनिश्चित

⁶ द्वितीयक उपचार में रोगाणुओं से जुड़ी कार्यवाही के साथ अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण शामिल है।

⁷ तृतीयक उपचार में मिट्टी छानने, क्रियाशील कार्बन को छानने, सूक्ष्म सिंचाई, अल्ट्रा छनाई, अतिसूक्ष्म छनाई, विपरीत परासरण, आयन बदलना, वाष्पीकरण, यू.वी. छनाई आदि शामिल हैं।

करने के लिए कि उच्छिष्ट निर्धारित मानकों को प्राप्त करें, इनका उन्नयन आवश्यक था।

राज्य सरकार ने कहा कि मण्डल सीईटीपीज के उन्नयन और पुनः संयोजन हेतु ट्रस्ट को निरन्तर प्रेरित कर रहा है ताकि उपचारित उच्छिष्ट निर्धारित मानकों को पा सकें। यह भी अवगत कराया गया कि सीईटीपी यूनिट-III का उन्नयन और पुनः संयोजन हाल ही में पूर्ण हुआ है और नवनिर्मित सीईटीपी-VI के परिणाम लगातार सुधर रहे थे। तथापि, सरकार के उत्तर में इस बात का विशिष्ट उल्लेख नहीं था कि क्या उपचारित अपशिष्ट जल निर्धारित मानकों के अन्दर था।

सीईटीपीज द्वारा बांडी नदी में निस्तारित उपचारित जल निकास मानकों को प्राप्त करने में विफल रहा जिसके कारण नदी के पानी की गुणवत्ता में अधोपतन हुआ।

मण्डल को उन इकाईयों के विरुद्ध जो निर्धारित मानकों को प्राप्त करने में नियमित रूप से विफल रही है, कार्यवाही शुरू करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब तक निर्धारित मानदण्ड प्राप्त नहीं होता, उपचारित जल मुख्यधारा में नहीं छोड़ा जाए। इसको उच्छिष्ट के अधिक निस्तारण और अतिप्रवाह से होने वाली समस्याओं पर ध्यान से निगरानी करनी चाहिए और दोषी इकाईयों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करनी चाहिए।

भिवाड़ी में सीईटीपी (अलवर)

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक उच्छिष्ट का उपचार करने के लिए रीको द्वारा एक 6 एमएलडी की क्षमता की सीईटीपी की स्थापना (2004) की गई थी। सीईटीपी का संचालन और रखरखाव भिवाड़ी जल प्रदूषण निवारण एवं अनुसंधान समिति को हस्तान्तरित (जून 2007) किया गया था। समिति ने एक न्यास विलेख का निष्पादन (फरवरी 2011) किया और भिवाड़ी जल प्रदूषण निवारण ट्रस्ट नाम रखा। सीईटीपी का तृतीयक स्तर तक उपचार के लिए उन्नयन किया गया (2009) और क्षमता 9 एमएलडी तक उन्नयन की गई।

3.1.2.5 उपचारित जल का अवैज्ञानिक निपटान

संवीक्षा में विदित हुआ कि सीईटीपी (औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी) से उपचार के बाद उच्छिष्ट बंद कन्ड्यूट पाईपलाइन से पम्प द्वारा साबी नदी तक लाया जा रहा था। जैसाकि 2012-13 से सीईटीपी द्वारा निकास के मानक⁸ पूरे नहीं किये गये थे और

⁸ टीएसएस, सीओडी, बीओडी आदि

प्रदूषित जल निरन्तर किसानों की जमीन को प्रभावित कर रहा था, स्थानीय किसानों द्वारा विरोध स्वरूप खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में बंद कन्ड्यूट पाईपलाइन को अवरूद्ध कर दिया गया। पाईपलाइन के अवरूद्ध होने के कारण उपचारित जल खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में रीको की खाली भूमि पर बह रहा था (मार्च 2016)। निरीक्षण रिपोर्ट्स⁹ की जाँच में आगे विदित हुआ कि उपचारित जल खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों द्वारा छोड़े जा रहे अनुपचारित जल के साथ मिश्रित हो रहा था।

यह भी देखा गया कि मण्डल ने भिवाड़ी जल प्रदूषण निवारण ट्रस्ट को नोटिस¹⁰ जारी किये थे तथापि, निकास के परिणाम नहीं सुधरे थे। इस प्रकार खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में खुली भूमि पर उच्छिष्ट का अवैज्ञानिक निपटान और इसके अनुपचारित खतरनाक अपशिष्ट के जल में मिश्रण से क्षेत्र में सीईटीपी स्थापित करने का उद्देश्य विफल रहा।

राज्य सरकार ने कहा कि उपचारित उच्छिष्ट के निपटान से सम्बन्धित मुद्दे को हल करने के लिए मण्डल ने सभी संभावित कदम उठाये हैं। भिवाड़ी जल प्रदूषण निवारण ट्रस्ट ने तृतीयक स्तर उपचार एवं उन्नयन प्रक्रिया आरम्भ कर दी है तथा विगत दो महीनों से मण्डल द्वारा निर्धारित निस्तारण के मानक भी प्राप्त कर लिये हैं। उत्तर विश्वास योग्य नहीं है क्योंकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने उनकी जांच रिपोर्ट्स में पुष्टि की थी (सितम्बर 2016) कि सीईटीपी द्वारा निकास के मानक प्राप्त नहीं किये गये थे।

3.1.2.6 खतरनाक गाद का अवैज्ञानिक भण्डारण

‘स्थापित करने की सहमति’ में दी गई शर्त के अनुसार सीईटीपी से उत्पन्न गाद को ढके हुए शेड में संग्रहित किया जाना था और ‘खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हैंडलिंग) नियम, 2000’ के प्रावधानों के अनुसार निपटान किया जाना था।

अभिलेखों की समीक्षा और सीईटीपी की कार्यप्रणाली की जांच के लिए लेखापरीक्षा द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण (अप्रैल 2016) में यह प्रकट हुआ कि सूखी खतरनाक गाद की भारी मात्रा एक आवासीय क्षेत्र के निकट बिना ढके हुए शेड में खुली कच्ची भूमि पर पड़ी हुई थी। गाद रखने के उद्देश्य से बनाया गया एक ढका टिन शेड खाली पड़ा था। सीईटीपी संचालकों द्वारा यह प्रक्रिया लगातार

⁹ सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण मंडल भिवाड़ी की निरीक्षण रिपोर्ट।

¹⁰ 5 सितंबर 2011, 13 दिसंबर 2012, 31 मार्च 2014, 4 जून 2014, 7 सितंबर 2015 एवं 13 जनवरी 2016

अपनाई जा रही थी। मण्डल ने भी अपनी विभिन्न निरीक्षण प्रतिवेदनों¹¹ में यह उल्लेख किया था कि खतरनाक गाद खुली भूमि पर रखी जा रही थी। मण्डल ने सीईटीपी को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया था (दिसम्बर 2014)। तथापि, यह स्थिति अपरिवर्तित रही (जुलाई 2016)।

राज्य सरकार ने तथ्यों की पुष्टि की और कहा (अगस्त 2016) कि क्षेत्रीय अधिकारी, भिवाड़ी ने ट्रस्ट को यह निर्देशित करते हुए एक पत्र लिखा था (मई 2016) कि खुले क्षेत्र में गाद के भण्डारण की प्रथा को बन्द करें।



फोटो: भिवाड़ी सीईटीपी के बाहर आवासीय क्षेत्र के नजदीक पड़ी सूखी खतरनाक गाद

भिवाड़ी में उपचारित जल खुली भूमि पर छोड़ा जा रहा था जहां यह अनुपचारित उच्छिष्ट के साथ मिश्रित हो रहा था। इसके अतिरिक्त, वहां गाद का वैज्ञानिक भण्डारण नहीं था, बड़ी मात्रा में खतरनाक गाद खुली कच्ची भूमि पर बिना शेड के पड़ी हुई पायी गयी। यह पर्यावरण के लिए खतरा थी और निवासियों के लिए हानिकारक हो सकती थी।

सीईटीपी जोधपुर

20 एमएलडी हाईड्रोलिक उपचार क्षमता के साथ जोधपुर में मैसर्स जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट द्वारा कपड़ा मिलों के 15 एमएलडी क्षारीय उच्छिष्ट और स्टील री-रोलिंग मिलों के 5 एमएलडी अम्लीय उच्छिष्ट के उपचार के लिए एक सीईटीपी स्थापित की गई (2004)। अम्लीय अपशिष्ट जल एचडीपीई पाईपलाइन के द्वारा प्राप्त किया जाता है एवं क्षारीय अपशिष्ट जल रीको की खुली नाली और

¹¹ 13 नवंबर 2014, 28 फरवरी 2015 एवं 12 जनवरी 2016

जुलाई-अगस्त 2015 में डाली गई कन्ड्यूट पाईपलाईन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। रीको खुली नाली जो सीईटीपी के समीप है, औद्योगिक गन्दे पानी और रास्ते में पड़ने वाली आवासीय बस्तियों से उत्पन्न घरेलू अपशिष्ट जल को एकत्र करने के अलावा औद्योगिक नालियों से क्षारीय अपशिष्ट जल को एकत्रित करती है। सीईटीपी वर्तमान में तृतीयक स्तर तक अपशिष्ट का उपचार करता है।

3.1.2.7 सीईटीपी का कमतर उपयोग

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के दिशानिर्देशों (मार्च, 2012) के अनुसार पूर्ण डिजाइन भार पर प्रदर्शन की गारंटी मण्डल द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। जांच में पता चला कि सीईटीपी को कभी भी 20 एमएलडी की पूर्ण क्षमता पर संचालित नहीं किया गया। वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान औसत उपचारित उच्छिष्ट क्रमशः 9.32, 9.16 एवं 11.59 एमएलडी था जो कि इसकी क्षमता से बहुत नीचे था।

इंगित किये जाने पर, जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट ने सूचित किया कि सीईटीपी के हाईड्रोजन पोटेन्शियल (पीएच) के प्रवेश मानदण्ड सीईटीपी के डिजाइन मानदण्डों से मेल नहीं खाते थे। एक के बाद एक उन्नयन के काम किये गये थे और अतिरिक्त व्यवस्था के अभाव में पूर्व में सीईटीपी ने अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया था। उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि सीईटीपी की सदस्य इकाईयों द्वारा प्रवेश मानदण्डों का पालन नहीं करने से सीईटीपी का कमतर उपयोग हुआ था। तथापि, मण्डल द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने कहा कि सीईटीपी के समुचित संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए ट्रस्ट ने अब एक विशेषज्ञ एजेन्सी नियुक्त कर दी थी और यह उम्मीद थी कि निकट भविष्य में सीईटीपी इसकी अधिकतम क्षमता पर संचालित की जाएगी।

3.1.2.8 अतिप्रवाहित उच्छिष्ट का खुली नाली से निस्तारण

क्षेत्रीय अधिकारी, जोधपुर के अभिलेखों की जांच के दौरान अनुपचारित उच्छिष्ट के अतिप्रवाह की एक बड़ी समस्या देखी गई। क्षेत्रीय अधिकारी, मण्डल, जोधपुर की निरीक्षण रिपोर्ट (जून 2014) में यह उल्लेखित किया गया था कि क्षारीय अपशिष्ट जल का कुल प्रवाह 46.478 एमएलडी¹² था। उसी समयावधि में उपचारित क्षारीय

¹² 16 जून 2014 (दोपहर 1 बजे) से 17 जून 2014 (दोपहर 12 बजे) तक

अपशिष्ट जल की मात्रा 10.468 एमएलडी थी और शेष 36 एमएलडी रीको की खुली नाली द्वारा जोजरी नदी में छोड़ा जा रहा था। अन्य निरीक्षण रिपोर्ट्स और दस्तावेजों से भी उच्छिष्ट को बिना उपचार के छोड़ने की पुष्टि हुई। जून 2010 से नवम्बर 2015 के दौरान बोर्ड द्वारा विश्लेषित किये गये 50 नमूनों में से 37 में निकास मानदण्ड प्राप्त नहीं हुए थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि अनुपचारित अपशिष्ट जल के छोड़े जाने से जोजरी नदी में प्रदूषण हो रहा था।

आगे यह देखा गया कि सम्भागीय अधिकारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने भी यह इंगित किया (अगस्त 2012) कि रीको नाली से प्राप्त होने वाला करीब 50 प्रतिशत उच्छिष्ट बिना उपचार के बाहर ही जोजरी नदी में छोड़ा जा रहा था। उच्छिष्ट को छोड़ने से रोकने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को निर्देश जारी (अप्रैल 2013) किये गये थे। मण्डल को सीईटीपी ट्रस्ट को निर्देश जारी किये जाने थे और अनुपालना सुनिश्चित की जानी थी। मण्डल ने सीईटीपी ट्रस्ट को कारण बताओं नोटिस¹³ जारी किये थे। तथापि, अनुपचारित जल को छोड़ने की समस्या जारी रही (मार्च 2016)। मण्डल, इस प्रकार औद्योगिक इकाइयों के अतिप्रवाह को रोकने में असफल रहा। परिणामतः अनुपचारित अपशिष्ट जल की बहुत बड़ी मात्रा जोजरी नदी में निस्तारित की जा रही थी।

राज्य सरकार ने कहा कि रीको खुली नाली में बहने वाला अपशिष्ट जल अधिकतर औद्योगिक इकाइयों और निकटवर्ती आवासीय क्षेत्रों का घरेलू उच्छिष्ट था। सरकार का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था जैसा कि मण्डल की निरीक्षण रिपोर्ट (सितम्बर 2016) से स्पष्ट होता है कि रीको खुली नाली में अनुपचारित औद्योगिक उच्छिष्ट बह रहा था।

औद्योगिक इकाइयों द्वारा निस्तारित अतिप्रवाहित अनुपचारित उच्छिष्ट खुली रीको नाली के माध्यम से जोजरी नदी में प्रवाहित हो रहा था और उसके कारण जल प्रदूषण हो रहा था।

3.1.2.9 सदस्य उद्योगों द्वारा पूर्व उपचार का अभाव

औद्योगिक प्रक्रिया के उच्छिष्ट को आगे उपचार के लिए सीईटीपी में भेजने से पहले कुछ तरह के पूर्व उपचार की आवश्यकता होती है। जंग और अवरोध को कम करने के लिए और विषाक्त घटकों के कारण जैविक उपचार प्रक्रिया की क्षमता में कमी को रोकने के लिए यह आवश्यक है।

¹³ 31 मार्च 2010, 4 फरवरी 2011, 30 नवंबर 2012 एवं 22 मई 2015

जोधपुर में, जहां विषम उद्योग संचालित हो रहे थे, अलग-अलग उद्योगों में सीईटीपी के संचालन और रखरखाव के लिए पूर्व उपचार अधिक अनुकूल होता। मण्डल के प्रतिनिधि के साथ एक संयुक्त निरीक्षण (अप्रैल 2016) में लेखापरीक्षा ने देखा कि सदस्य इकाईयों द्वारा पूर्व उपचार नहीं किया जा रहा था और सीईटीपी में पहुंच रहा उच्छिष्ट प्रवेश मानदण्डों के अनुरूप नहीं था। यह देखा गया कि एसिडिक ग्रिट चैम्बर में उच्छिष्ट का पीएच आवश्यक 5.5 एवं 9 के मध्य होने के स्थान पर केवल एक था और चैम्बर लगभग 3 फीट तक ठोस गाद से भरा हुआ था। पूर्व उपचार के अभाव में सीईटीपी ने अपनी उपचार क्षमता का कभी पूरा उपयोग नहीं किया था और निकास मानदण्ड भी प्राप्त नहीं हुए थे। मण्डल के द्वारा सदस्य उद्योगों के प्रवेश मानदण्डों की जांच के लिए कोई निगरानी तंत्र विकसित नहीं किया गया था। दोषी इकाईयों के विरुद्ध की गई कार्यवाही भी रिकार्ड पर नहीं मिली।

राज्य सरकार ने कहा कि यह सुनिश्चित करेंगे कि इकाईयों द्वारा प्राथमिक उपचार सुविधायें ठीक तरह से संचालित की जावे ताकि सीईटीपी का संचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो।

3.1.2.10 उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की कमी

पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशों (मई 2014) के अनुसार तृतीयक स्तर तक उपचार के बाद सम्पूर्ण उपचारित जल का पुनः उपयोग किया जाना चाहिए।

यह देखा गया था कि सीईटीपी जोधपुर का तृतीयक स्तर तक उन्नयन किया गया था। सीईटीपी उसी चैनल में उपचारित अपशिष्ट जल निस्तारित कर रहा था जहां से वह अनुपचारित अपशिष्ट जल निकाल रहा था। परिणामतः उपचारित अपशिष्ट जल अनुपचारित अपशिष्ट जल के साथ मिश्रित हो रहा था। सीईटीपी परिसर के भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि उपचारित अपशिष्ट जल रीको नाली में प्रवाहित हो रहा था। सीईटीपी संचालक ने यह सूचित किया कि उपचारित अपशिष्ट जल रासायनिक रचना और बागबानी में इस्तेमाल किया जा रहा था। यह स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इसके समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं था कि सम्पूर्ण उपचारित जल उपरोक्त उद्देश्यों के लिए पुनः काम में लिया जा रहा था।

राज्य सरकार ने कहा कि उपचारित उच्छिष्ट कृषि/बागबानी के लिए उपयोग लिया जा सकता है और ट्रस्ट को आवश्यक व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है।

3.1.3 वित्तीय प्रबन्धन

3.1.3.1 मण्डल द्वारा धन के निर्गमन में देरी

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने पाली में दो सीईटीपीज (V व VI) के निर्माण के लिए ₹ 7.02 करोड़ के केन्द्रीय अंश की स्वीकृति (मार्च 2010) दी थी। मण्डल ने राज्य अंश के ₹ 7.58 करोड़ की स्वीकृति (फरवरी 2010) दी। स्वीकृत राशि के विरुद्ध भारत सरकार ने दोनों सीईटीपीज के लिए ₹ 41.13 लाख प्रत्येक की प्रथम किश्त जारी की (मार्च 2010)। तथापि, मण्डल द्वारा, यह राशि क्रियान्वयन एजेन्सी को 35 से 45 महीने की देरी से जारी (जनवरी 2013/जनवरी 2014) की गई थी। मण्डल ने राज्य अंश के ₹ 2.00 करोड़ (₹ 1.00 करोड़ प्रत्येक दोनों सीईटीपीज के लिए) क्रियान्वयन एजेन्सी को फरवरी 2010 में और ₹ 3.13 करोड़ 2015-16 के दौरान जारी किये थे। इस प्रकार, भारत सरकार का अंश और राज्य का अंश क्रमशः ₹ 6.20 करोड़ एवं ₹ 2.45 करोड़ कम प्राप्त हुआ।

राज्य सरकार ने कहा कि भारत सरकार ने प्रत्येक सीईटीपी के लिए मार्च 2010 में ₹ 41.13 लाख जारी कर दिये थे जो प्रगति सुनिश्चित करने के पश्चात जैसा कि योजना में अधिनियमित किया गया है तदोपरान्त ट्रस्ट को हस्तान्तरित कर दिये गये थे। आगे, यह कहा गया कि पाली इकाई-VI का राज्य अंश पर्यावरण विभाग राजस्थान से भुगतान को जारी करने की वैधता तिथि को बढ़ाने के अभाव में मण्डल के पास लम्बित था। तथ्य तथापि यह है कि इससे सीईटीपीज-V एवं VI के निर्माण में देरी¹⁴ हुयी जो कि 2010 तक नियत थी।

3.1.4 निगरानी

3.1.4.1 प्रयोगशाला का अभाव

दिसम्बर 2009 में मण्डल के पुनर्गठन और मजबूती के अवयव के रूप में वायु तथा जल के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए राज्य सरकार ने आठ¹⁵ नई क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की थी।

¹⁴ सीईटीपी V निर्माणाधीन एवं VI अगस्त 2015 में पूर्ण

¹⁵ बालोतरा (बाड़मेर), भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, किशनगढ़ (अजमेर), पाली एवं सीकर

जांच के दौरान यह देखा गया था कि बालोतरा और पाली में प्रयोगशालाएं स्थापित नहीं की गई थी (मई 2016) जबकि राजस्थान में स्थापित 14 सीईटीपीज में से 11 सीईटीपीज बालोतरा और पाली जिले में संचालित किए जा रहे थे। जिला मजिस्ट्रेट, पाली ने भी क्षेत्रीय अधिकारी पाली को तीन दिन के अन्दर प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए निर्देश (जुलाई 2013) दिया था। तथापि, अभी तक कोई प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गई थी (मई 2016)।

राज्य सरकार ने कहा कि क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं निर्माणाधीन थी और जनवरी 2017 तक क्रियाशील कर दी जाएगी।

3.1.4.2 प्रेरक शिविरों/कार्यशालाओं का आयोजन नहीं करना

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मण्डल को किये गये संप्रेषण (मार्च 2012) के अनुसार मण्डल से केन्द्रीय प्रायोजित योजना का प्रचार किया जाना अपेक्षित था। यदि आवश्यकता हो तो लघु उद्योगों के साथ उनको योजना की बारीकियों के साथ परिचय कराने हेतु शिविर/कार्यशालाएं भी आयोजित की जानी थी ताकि अधिकाधिक लघु उद्योग लाभ ले सकें।

यह देखा गया कि ऐसे कोई शिविर/कार्यशालाएं आयोजित नहीं की गई। इसके अभाव में योजना के लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक प्रचार नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने कहा कि विभिन्न वित्त पोषित योजनाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए उसने सभी संभव कार्यवाही की है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिससे पुष्टि हो सके कि मण्डल द्वारा प्रेरक शिविर/कार्यशालाएं आयोजित की गई थी।

3.1.4.3 संचालन की सहमति पूर्ववर्ती प्रभाव के साथ जारी करना

मण्डल द्वारा प्रस्तावक को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं 26 के अंतर्गत तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (4) के अंतर्गत स्थापना/संचालन की अनुमति दी जाती है। खतरनाक अपशिष्ट को एकत्रित करने, निपटान, भण्डारण, परिवहन और उपचार के लिए 'खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, हैण्डलिंग और सीमा के पार गतिविधि) नियम, 2008' के अंतर्गत अनुज्ञप्ति दी जाती है। आवेदन करने की दिनांक से चार महीने के अन्दर स्थापना/संचालन की सहमति और गाद प्रबन्धन की अनुज्ञप्ति 120 दिन के अन्दर दी जाती है। इसमें विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए यह वैध होती है।

यह देखा गया कि 2009-10 से 2014-15 के दौरान 30 मामलों में, सहमति जारी करने में अत्यधिक देरी हुयी जो 24 से 1612 दिनों तक की थी। छः मामलों में गाद प्रबन्धन की अनुज्ञप्ति जारी करने में भी 72 से 1863 दिनों की देरी थी। आगे यह भी देखा गया कि संचालन की अनुमति/अनुज्ञप्ति आवेदन करने की दिनांक से पूर्ववर्ती प्रभावी दी गई थी, जबकि उस समयावधि में सीईटीपीज क्रियाशील रही थी।

राज्य सरकार ने कहा कि मण्डल इस मुद्दे को हल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था।

3.1.4.4 तृतीय पक्ष निगरानी का अभाव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा निर्देशों (मार्च 2012) के अनुच्छेद 7.10.7 के अनुसार एक तीन स्तरीय¹⁶ निगरानी तंत्र विकसित किया जाना था। यह पाया गया कि तृतीय पक्ष निगरानी तंत्र विकसित नहीं किया गया था। मण्डल ने कहा कि तृतीय पक्ष निगरानी का कोई प्रावधान नहीं था, जो सही नहीं था।

राज्य सरकार ने यद्यपि कहा कि वह सीईटीपी द्वारा तीसरे पक्ष से विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी।

3.1.4.5 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल को नियमित रूप से तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करना

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1)(ब) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सभी सीईटीपीज की कम से कम प्रत्येक तिमाही में निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत करने हेतु मण्डल को निर्देश (सितम्बर 2008) जारी किये थे। दोषी उद्योगों/सीईटीपी के विरुद्ध जिसने निर्धारित मानकों की अनुपालना नहीं की थी, अनुवर्ती कार्यवाही किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया था। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल को कार्यवाही रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जानी थी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने मण्डल को नियमित रूप से कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के बारे में पत्र लिखे (दिसम्बर 2013 और अगस्त 2015) थे।

राज्य सरकार ने अवगत कराया कि राज्य और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल सर्वर पर ऑनलाईन डेटा हस्तान्तरित किये जा रहे थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि तिमाही कार्यवाही रिपोर्ट के अनुसार जो सूचनाएँ प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी वे

¹⁶ उद्योग स्तर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल स्तर एवं तृतीय पक्ष स्तर पर

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल सर्वर पर ऑनलाईन हस्तान्तरित नहीं की जा रही थी।

3.1.4.6 जीपीआरएस आधारित प्रवाह मीटर की देर से स्थापना और आईटी आधारित लिंकेज की स्थापना नहीं किया जाना

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी (मार्च 2012) दिशा निर्देशों के अनुसार, सीईटीपी की सदस्य इकाइयों को उच्छिष्ट के निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों और प्रवाह दर की दैनिक आधार पर निगरानी करनी थी। उनको निगरानी आंकड़े नियमित रूप से सीईटीपी संचालक को प्रस्तुत करने थे। सीईटीपी संचालक को सीईटीपी के निकास पर निर्दिष्ट गुणवत्ता मानक और प्रवाह दर की दैनिक आधार पर निगरानी करनी थी और सीईटीपी संचालक द्वारा मण्डल को आईटी आधारित लिंकेज उपलब्ध कराना था। सीईटीपी संचालक को निगरानी आंकड़े नियमित रूप से मण्डल को भी प्रस्तुत करने थे। मण्डल को अपनी वेबसाइट पर आंकड़ों का 24 घंटे प्रदर्शन सुनिश्चित करना था। मण्डल ने सीईटीपी तथा सभी सदस्य उद्योगों के प्रवेश और निकास पर जीपीआरएस आधारित प्रवाह मीटर की स्थापना के लिए निर्देश (दिसम्बर 2014) जारी किये थे।

यह देखा गया कि 14 में से 12¹⁷ सीईटीपीज में पांच वर्षों की अत्यधिक देरी के साथ (जनवरी 2016) जीपीआरएस आधारित प्रवाह मीटर स्थापित किये गये थे। आगे, यह देखा गया कि तीन¹⁸ जिलों में सीईटीपी की सदस्य औद्योगिक इकाइयों द्वारा आईटी आधारित लिंकेज स्थापित नहीं किये गये थे, जबकि बाड़मेर जिले में यद्यपि सदस्य औद्योगिक इकाइयों द्वारा एक सुपरवाईजरी कंट्रोल एवं डेटा एक्वीजिशन प्रणाली स्थापित कर ली थी पर कोई डेटा सृजित नहीं हो रहे थे (मई 2016) इस प्रकार, मण्डल प्रवेश मानदण्डों और उच्छिष्ट की प्रवाह दर की पालना की पर्याप्त निगरानी करने की स्थिति में नहीं था।

राज्य सरकार ने कहा कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने निर्देश जारी किये थे (मार्च 2014) और 31 मार्च 2015 की अन्तिम समय सीमा लागू की थी जिसे आगे सितम्बर 2016 तक बढ़ा दिया गया था। सीमित इन्टरनेट कनेक्टिविटी के कारण प्रक्रिया में देरी हुई थी और अब सीईटीपी से ऑनलाईन डेटा राज्य बोर्ड सर्वर पर प्राप्त हो रहे थे। सीईटीपीज की सदस्य इकाइयों द्वारा आईटी आधारित

¹⁷ सीईटीपी-II, IV, VI पाली, सीईटीपी-I, II, III बालोतरा, सीईटीपी बिथूजा, सीईटीपी-I एवं II जसोल, सीईटीपी जोधपुर, सीईटीपी भिवाड़ी, सीईटीपी माचेडी, जयपुर

¹⁸ अलवर, जयपुर एवं जोधपुर।

लिंगेज स्थापित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया था।

3.1.4.7 केन्द्रीय और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा नमूना परीक्षण में कमी

मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशों (मार्च 2014) के अनुसार केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर और क्षेत्रीय प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा प्रत्येक सप्ताह सीईटीपीज¹⁹ से उपचारित उच्छिष्ट के नमूने एकत्रित और विश्लेषण किये जाने थे। मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी को इनकी साप्ताहिक आधार पर निगरानी करनी थी।

यह देखा गया कि केन्द्रीय (जयपुर) और क्षेत्रीय (जोधपुर) प्रयोगशाला उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही। 2014-15 और 2015-16 के दौरान 941 नमूनों की आवश्यकता के विरुद्ध 11 सीईटीपीज के केवल 131 नमूने ही एकत्रित और विश्लेषित किये गये थे जिसके कारण 64 से 100 प्रतिशत तक कमी रही।

मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी ने उत्तर में बताया (फरवरी 2016) कि मानवशक्ति के अभाव में लक्ष्यों को संशोधित किया गया था और विश्लेषण मासिक आधार पर किया जाना था। उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि जो लक्ष्य दिसम्बर 2015 में संशोधित किये गये थे वे आगे के लिए लागू किये जाने थे। नमूनों की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने में कि निर्धारित उच्छिष्ट मानक प्राप्त कर लिये गये हैं, नमूना परिणामों में भारी कमी मण्डल की ओर से विफलता दर्शाता है।

मंडल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रावधानों के अनुसार संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र से उपचारित उच्छिष्ट के नमूने एकत्रित एवं विश्लेषण किये जावे तथा निर्धारित मानदंड प्राप्त हो।

3.1.5 निष्कर्ष

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने उन क्षेत्रों के लिए जहां उच्छिष्ट के समुचित उपचार के बिना बड़ी संख्या में लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योग क्रियाशील थे, संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार नहीं किया था। राज्य में जल प्रदूषण में योगदान करने वाले उद्योगों की पहचान करने हेतु नियतकालिक सर्वेक्षण करने के लिए इनके पास नीति नहीं थी। सांगानेर, जयपुर में समयबद्ध तरीके से सीईटीपी स्थापित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने में मण्डल विफल रहा।

¹⁹ पाली, जोधपुर, बालोतरा, बिथूजा एवं जसोल

पाली जिले में सभी संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों की कार्यपद्धति असंतोषजनक थी क्योंकि उपचारित उच्छिष्ट जल निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था। परिणामतः संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र प्रदूषित जल बांडी नदी में निस्तारित कर रहे थे। संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र भिवाड़ी में बड़ी मात्रा में सूखी खतरनाक गाद एक आवासीय क्षेत्र के निकट बिना छाया के शेड में खुली कच्ची भूमि पर पड़ी हुई थी। संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र, जोधपुर कभी भी इसकी पूर्ण क्षमता पर संचालित नहीं हुआ। आगे, औद्योगिक इकाईयों द्वारा उच्छिष्ट का अधिक निस्तारण किया जा रहा था और बड़ी मात्रा में अनुपचारित जल जोजरी नदी में छोड़ा जा रहा था। संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र, जोधपुर उपचारित अपशिष्ट जल को उसी चैनल में निस्तारित कर रहा था जहां से वह अनुपचारित जल ले रहा था, परिणामतः उपचारित अपशिष्ट जल का अनुपचारित अपशिष्ट जल के साथ मिश्रण हो रहा था।

संचालन की सहमति/अनुज्ञप्ति, सहमति पत्र में सम्मिलित शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित किये बिना पूर्ववर्ती प्रभाव से दी जा रही थी। कोई तृतीय पक्ष निगरानी तंत्र विकसित नहीं किया गया था। निर्धारित उच्छिष्ट मानक प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने हेतु नमूनों को एकत्र और विश्लेषित करने में भारी कमी थी।

जल संसाधन विभाग

3.2 राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना

परिचय

राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना (राजामिप) को जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेटिव एजेंसी (जायका) की सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा मार्च 2005 में अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में मौजूदा सिंचाई सुविधाओं का पुनरुद्धार और जल प्रबंधन एवं कृषि पद्धतियों में सुधार कर कृषि उत्पादकता बढ़ाना था जिससे कृषि आय में वृद्धि एवं गरीबी कम हो। इस क्रम में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तीन घटक अर्थात् सिविल कार्य, तकनीकी और संस्थागत सहायता सेवाएं और परामर्श सेवाएं निर्धारित किये गये थे। इस परियोजना के कार्यान्वयन में मुख्य निष्पादन एजेंसी एवं केंद्र बिंदु जल संसाधन विभाग था। कृषि विभाग कृषि विस्तार गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी था और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी था।

विचार-विमर्श मिनट्स (नवम्बर 2004) के अनुसार 393 उप परियोजनाएं जिनका कृषि योग्य कमान क्षेत्र 1.54 लाख हैक्टर था पुनरुद्धार के लिए चयन किया गया। इनमें से 353 उप परियोजनाएं जिनका कृषि योग्य कमान क्षेत्र 1.48 लाख हैक्टर था में सिविल कार्य²⁰ और क्षमता निर्माण²¹ कार्यक्रम निष्पादित किये गये थे एवं शेष 40 उप परियोजनाओं में केवल क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। परियोजना को मार्च 2013 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था, जो वास्तव में जून 2015 में पूर्ण किया गया।

वित्तीय प्रबंधन

परियोजना की मूल लागत ₹ 612.29 करोड़ थी जिसमें से ₹ 481.45 करोड़ का वित्त पोषण जायका द्वारा भारत सरकार एवं जायका के मध्य ऋण अनुबंध (31 मार्च 2005) के नियम एवं शर्तों²² के अधीन किया जाना था और शेष ₹ 130.84 करोड़ (प्रशासनिक लागत एवं कर) राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाना था। परियोजना के तहत जून 2015 तक ₹ 431.34 करोड़ व्यय किया गया था।

उप परियोजनाओं पर वर्ष 2005-06 से 2015-16 के दौरान निधियों का आवंटन और किये गये व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से थी

तालिका-1: निधियों का आवंटन एवं किये गये व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ों में)

वर्ष	जल संसाधन विभाग		कृषि		चिकित्सा एवं स्वास्थ्य		कुल	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2005-11	178.17	27.64	0.36	0.19	0.09	0.00	178.62	27.83
2011-12	104.07	79.61	4.90	1.32	0.22	0.05	109.19	80.98
2012-13	141.52	131.73	3.40	2.00	0.25	0.03	145.17	133.76
2013-14	131.10	98.86	3.00	2.71	0.45	0.13	134.55	101.70
2014-15	92.34	70.82	2.38	1.45	0.28	0.23	95.00	72.50
2015-16	15.00	14.57	-	-	-	-	15.00	14.57
योग	662.20	423.23	14.04	7.67	1.29	0.44	677.53	431.34

स्रोत: अधीक्षण अभियंता, परियोजना प्रबंधन इकाई, राजामिप, जयपुर द्वारा प्रदान की गई सूचना।

²⁰ (i) बांधो एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं की वितरण व्यवस्था का पुनरुद्धार, नवीनीकरण और उन्नयन सम्बंधित सर्वेक्षण, अनुसंधान और रूपांकन कार्य।

²¹ जल उपभोक्ता संगठनों को पुस्तान्कन में समर्थ बनाने में मदद, जल प्रबंधन, तकनीकी मामलों, नेतृत्व, समान जल वितरण कृषि गतिविधियों के साथ उनके कार्यक्रमों के निष्पादन में योग्य बनाना एवं कृषि उत्पादकता बढ़ाना।

²² जापान सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया ऋण एक ओवरसीज डवलपमेंट ऐजेंसी ऋण है जो आसान शर्तों पर 1.3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से उपलब्ध करवाया गया और पुर्नभुगतान की अवधि 30 वर्ष, 10 वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित रखी गयी।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

जल संसाधन विभाग के 35 खंडों में से 8 खण्डों²³ का चयन सरल रेन्डम सेम्पलिंग पद्धति से करके वर्ष 2011-12 से 2015-16 के अभिलेखों की नमूना जांच की गई (फरवरी-मई 2016)। इसके अलावा मुख्य अभियंता, (जांच, रुपांकन और अनुसंधान), सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोटा और अधीक्षण अभियंता, परियोजना प्रबंधन इकाई, राजामिप के अभिलेखों की भी जांच की गई। जैसा कि परियोजना को 2005 में शुरू किया गया था, लेखापरीक्षा का मुख्य ध्यान इस पर केन्द्रित करना था कि क्या परियोजना को पूरी तरह से तैयार कार्ययोजना के अनुसार लागू किया गया था। तकनीकी एवं संस्थागत सेवाएं इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के संदर्भ में उपलब्ध कराई गई थीं तथा कार्ययोजना के संदर्भ में परियोजना की प्रगति की निगरानी की गई थी।

राज्य सरकार के उत्तर (अगस्त 2016) को इस मुद्दे को अंतिम रूप देते समय विचार किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.1 आयोजना

कार्ययोजना के क्रियान्वयन में रही कमियों का अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है।

3.2.1.1 जायका ऋण का आंशिक उपयोग

विचार विमर्श मिनिट्स (एमओडी) के अनुसार राजस्थान सरकार को उप परियोजनाओं के सुधार के लिए सीमित समयावधि को ध्यान में रखते हुए उचित नियोजन और पर्याप्त निगरानी द्वारा परियोजना का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करना चाहिये।

यह विदित हुआ कि राजामिप के लिए जायका द्वारा ₹ 481.45 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत की गई थी। इसमें से केवल राशि ₹ 304.18 करोड़ (63.18 प्रतिशत) का ही उपयोग किया गया था। जिसका पुनर्भरण मार्च 2007 से जुलाई 2015 के मध्य किया गया। ऋण के उपयोग में कमी का कारण सभी तीनों कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् जल संसाधन विभाग, कृषि व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बजट का अनुपयोजन था।

²³ अजमेर, भीलवाड़ा-II, बून्दी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर एवं सिरोंही।

राज्य सरकार ने अवगत कराया कि एमओडी में मूल्यवृद्धि, भौतिक आकस्मिकता और निर्माण के दौरान ब्याज के रूप में राशि ₹ 79.34 करोड़ का प्रावधान किया गया था एवं अधिकांश कार्यों के कार्यादेश “जी” अनुसूची²⁴ दर से कम पर देने के कारण इस राशि का उपयोग नहीं किया जा सका और न ही जायका द्वारा पुनर्भरण किया गया। उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं था क्योंकि योजना के अन्तिम पूर्णता प्रतिवेदन (मई 2015) के साथ संलग्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार सभी सिविल कार्यों की लागत राशि ₹ 303.47 करोड़ थी जबकि इन कार्यों का संविदा मूल्य ₹ 364.89 करोड़ दर्शाया गया था, जो कि “जी” अनुसूची दरों की तुलना में अधिक था। इसके अलावा विभाग ने कई मामलों में मूल्यवृद्धि की राशि का भुगतान किया था। इसके अतिरिक्त अनेक परियोजनाएं अपूर्ण थीं जिनकी अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.2.1.2 परियोजना के पूरा होने में देरी

एमओडी की टर्म्स ऑफ रेफरेन्स²⁵ (अनुलग्नक 10) के अनुसार अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन सलाहकार, राजस्थान सरकार की सहायता के लिए कार्य करने के लिये नियुक्त किये जाने थे जिनमें (क) तकनीकी आंकलन, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं के संदर्भ में उप परियोजनाओं का चयन एवं मूल्यांकन (ख) अभियांत्रिकी कार्य जिनमें सर्वे, अनुसंधान, डिजाइन, अनुमान, निविदा तैयारी, मूल्यांकन, निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण सहित सभी कार्य (ग) समीक्षा, अनुश्रवण, प्रशिक्षण का मूल्यांकन और संस्थागत सुदृढीकरण गतिविधियां (घ) जल उपभोक्ता संगठनों को मार्गदर्शन, अनुश्रवण, सूचना एवं क्षमता निर्माण (च) समीक्षा, कृषि विस्तार का अनुश्रवण, गरीब समर्थक और स्वास्थ्य घटकों की समीक्षा एवं अनुश्रवण तथा (छ) समग्र परियोजना प्रबंधन।

परियोजना की पूर्णता की अपेक्षित तिथि कार्ययोजना अनुसार एमओडी के साथ संलग्न है। विभिन्न गतिविधियों के पूरा होने की वास्तविक तिथि आगे तालिका में दर्शाई गई है।

²⁴ यह संविदा प्रपत्र के साथ संलग्न मात्रा व मूल्यों की अनुसूची है।

²⁵ अभियांत्रिकी एवं प्रबंध सलाहकार, जायका के साथ संवाद एवं समन्वय स्थापित करने में राजस्थान सरकार की मदद करेगा तथा परियोजना के क्रियान्वयन के लिये जायका की कार्यविधि के बारे में राजस्थान सरकार को आवश्यक सुझाव देगा और जायका से मांग अदायगी तैयार करने में मदद करेगा।

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	उत्तरदायी व्यक्ति/एजेंसी	एमओडी के अनुसार पूर्णता की निर्धारित दिनांक	वास्तविक पूर्णता की दिनांक
1	प्रबंधन अभियांत्रिकी एवं सलाहकार का चयन	मुख्य अभियंता (आई डी एण्ड आर) और परियोजना प्रबंधन इकाई	अक्टूबर 2005	मार्च 2008
2	सर्वे अनुसंधान एवं डिजाइन का निष्पादन	परियोजना प्रबंधन इकाई	जनवरी 2008	दिसम्बर 2011
3	पुनरुद्धार कार्य की पूर्णता	परियोजना प्रबंधन इकाई	दिसम्बर 2011	जून 2015
4	जल उपभोक्ता संगठन का निर्माण प्रारम्भ	परियोजना प्रबंधन इकाई	फरवरी 2006	अक्टूबर 2007
5	कृषि विस्तार	कृषि विभाग	मार्च 2012	मार्च 2015
6	स्वास्थ्य घटक	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	मार्च 2012	मार्च 2015
7	जल उपभोक्ता संगठन एवं सरकारी कर्मियों को प्रशिक्षण	परियोजना प्रबंधन इकाई एवं कृषि प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान	मार्च 2012	जून 2015

स्रोत: सलाहकार का अंतिम पूर्णता प्रतिवेदन 31 मई 2015 व अधीक्षण अभियंता, परियोजना प्रबंधन इकाई, राजामिप, जयपुर द्वारा प्रदत्त सूचना।

यह देखा जा सकता है कि अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति में 30 माह की देरी हुई थी जिसका प्रतिकूल प्रभाव सिविल कार्य घटक जैसे उप परियोजनाओं का चयन एवं मूल्यांकन, सर्वे, अनुसंधान, रुपांकन, अनुमान एवं निविदा तैयारी पर पड़ा। परिणामस्वरूप, परियोजना में देरी हुई और निर्धारित पूर्णता दिनांक (मार्च 2013) के बजाय जून 2015 में पूर्ण हुई। अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति में देरी का कारण निविदा प्रक्रिया में देरी तथा जल संसाधन विभाग एवं जायका में समन्वय का अभाव रहा।

राज्य सरकार ने कहा कि अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन सलाहकार, जल संसाधन विभाग में प्रथम बार लगाया गया एवं अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्ति में सामान्यतया 12 से 18 माह लगने आवश्यक थे। तथ्य यह है कि एमओडी के अनुसार अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन सलाहकार के लिए नियुक्ति की तिथि अक्टूबर 2005 तय थी जबकि अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति में असामान्य रूप से लम्बा समय लगा।

3.2.1.3 भूमि की उपलब्धता के बिना भवनों के निर्माण कार्य का आवंटन

एमओडी के अनुलग्नक 6 के अनुसार परियोजना, परियोजना क्षेत्र में जल उपभोक्ता संगठनों के गठन और क्षमतावर्धन में सहायता करेगी। जल उपभोक्ता संगठन, लघु सिंचाई परियोजना की सम्पूर्ण व्यवस्था का प्रबंधन व रख-रखाव को संभालेंगे। जल उपभोक्ता संगठनों के सुचारु संचालन के लिए भवनों के निर्माण के लिए प्रावधान, कार्य योजना में शामिल किया गया था। लोक निर्माण वितीय एवं लेखा नियम के नियम 351 में अनुबद्ध है कि किसी ऐसी भूमि पर कार्य प्रारम्भ नहीं करना चाहिए जिसे उत्तरदायी सिविल अधिकारियों द्वारा सम्यक रूप से सौंपा नहीं गया हो। इसके अलावा नियम 298(1) में अनुबद्ध है कि किसी कार्य की योजना और डिजाइन तैयार करने के लिए भूमि की उपलब्धता पूर्व अपेक्षा है। यह देखा गया कि 16 जल उपभोक्ता संगठन भवन²⁶ जिनकी लागत राशि ₹ 24.15 लाख थी, भूमि की अनुपलब्धता के कारण निर्माण नहीं किया जा सका। जल उपभोक्ता संगठनों के भवनों के निर्माण के लिए कार्यादेश इन मामलों में भूमि की उपलब्धता का पता लगाये बिना जारी किये गये। इससे उप परियोजना के प्रबंधन एवं रख-रखाव के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जल उपभोक्ता संगठनों के सुदृढीकरण की योजना में बाधा उत्पन्न हुई।

राज्य सरकार ने बताया कि किसानों के बीच विवाद और भूमि की अनुपलब्धता के कारण सम्बंधित ग्राम पंचायतों द्वारा उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं करायी गई।

3.2.1.4 उप परियोजनाओं का अधूरा समापन

सलाहकार²⁷ द्वारा तैयार अंतिम पूर्णता प्रतिवेदन (सिविल कार्य) के अनुसार राज्य में राजामिप के तहत पुनरूद्धार के लिए चयनित 353 उप परियोजनाएं जिनका कृषि योग्य कमान क्षेत्र 1.48 लाख हैक्टर था, में से 295 उप परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया था। पाँच उप परियोजनाओं का कार्य दायरे में निर्धारित किये गये अतिरिक्त कार्य किए बिना पूरा हो गया था। तीन उप परियोजनाएं बिना सहायक कार्य के पूर्ण हो गई और 14 उप परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर था। 36 उप परियोजनाएं जो कृषि योग्य भूमि का 14678.7 हैक्टर (9.94 प्रतिशत) क्षेत्र कवर करती हैं, जिनका अनुबन्ध मूल्य ₹ 27.22 करोड़ था, को ₹ 15.31 करोड़ (56.2 प्रतिशत) व्यय करने के बाद 23 बांध, 36 सिंचाई योजनाएं, 15 जल उपभोक्ता संगठनों के कार्यालय, 33 वाटर कोर्स लिंकेज, 29 फिक्सिंग ऑफ

²⁶ अजमेर I (11), सवाईमाधोपुर (1), भीलवाड़ा II (2) एवं बूंदी (2)

²⁷ जीटेक कन्सल्ट जीएमबीएच, जर्मनी

आउटलेट्स, 18 माप उपकरणों की स्थापना एवं 21 वाटर कोर्स कार्यों को अपूर्ण छोड़ते हुए, पुनरूद्धार कार्य समय से पहले ही बंद कर दिये गये। इन उप परियोजनाओं को छोड़ने और समय से पहले बन्द करने के कारण इस परियोजना के कृषि योग्य कमान क्षेत्र में किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराने का जो उद्देश्य परिकल्पित था हासिल नहीं किया जा सका।

दो चयनित खण्डों²⁸ में लघु सिंचाई परियोजनाओं में सुधार के लिए राशि ₹ 9.32 करोड़ के अनुबन्ध स्वीकृत किये गये। यह पाया गया कि यह परियोजनाएँ निर्धारित समय में पूरी नहीं हो सकी। परियोजना अवधि समाप्ति (जून 2015) के बाद इन परियोजनाओं को अधूरे स्तर पर पूरा मान लिया गया। इन परियोजनाओं पर राशि ₹ 3.91 करोड़ व्यय उपगत किया गया। विभाग द्वारा लघु सिंचाई परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये।

राज्य सरकार ने अवगत कराया कि 23 उप परियोजनाओं को, शेष कार्य की बार-बार निविदा आमन्त्रण के बाद भी निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण अधूरे स्तर पर अन्तिम रूप दिया गया और 8 उप परियोजनाओं को जायका की सहमति से छोड़ दिया गया। तथ्य यह है कि विभाग कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्राप्ति के बावजूद भी परिकल्पित परियोजनाओं को पूरा नहीं कर सका। परिणामस्वरूप कमान क्षेत्र में लोगों को वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

3.2.1.5 वाटरकोर्स पुनरूद्धार के कार्य पूर्ण नहीं होने के परिणामस्वरूप वांछित कृषि योग्य क्षेत्र की वृद्धि का अभाव

परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक सतही सिंचाई प्रणाली में सुधार और उपभोक्ताओं की भागीदारी की वृद्धि के माध्यम से कृषि समर्थन को मजबूत करना था। उप परियोजनाओं में वाटरकोर्स पुनरूद्धार का कार्य, जल संसाधन विभाग व जल उपभोक्ता संगठनों के मध्य सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद शुरू किया गया था। जल उपभोक्ता संगठनों को वाटरकोर्स पुनरूद्धार कार्य के सर्वेक्षण, योजना, डिजाइन और इससे सम्बंधित कार्यों के निष्पादन में भाग लेना था।

सलाहकार की रिपोर्ट के अनुसार वाटरकोर्स पुनरूद्धार कार्यों की पूर्णता तिथि 31 मई 2015 तक की संभावित स्थिति नीचे दी गई है:

²⁸ दौसा एवं सवाईमाधोपुर

संभाग का नाम	वाटरकोर्स संरचनाओं ²⁹ की संख्या		पूर्णता में कमी (प्रतिशत में)	वाटरकोर्स की लम्बाई (कि.मी. में)		पूर्णता में कमी (प्रतिशत में)
	योजना	पूर्णता		योजना	पूर्णता	
जयपुर	13679	1497	89.06	1755.25	954.80	45.60
जोधपुर	4132	166	95.98	583.21	343.00	41.19
कोटा	2755	95	96.55	468.73	404.05	13.80
उदयपुर	5241	198	96.22	1711.43	954.20	44.25
योग	25807	1956	92.42	4518.62	2656.05	41.22

स्रोत: सलाहकार की 31 मई 2015 की स्टेट्स रिपोर्ट।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त संभागों में वाटरकोर्स संरचनाओं से सम्बंधित कार्य 89.06 प्रतिशत से 96.55 प्रतिशत के बीच अधूरे रहे। लम्बाई के मामले में वाटरकोर्सेस की पूर्णता की दर 31 मई 2015 तक 13.80 प्रतिशत से 45.60 प्रतिशत के बीच रही। सलाहकार के प्रतिवेदन में कमियों के कारण जैसे स्वीकृत दरे बाजार दरो से कम होना, जल उपभोक्ता संगठनों को अग्रिम भुगतान का प्रावधान न होना, किसानों द्वारा पुनरुद्धार कार्य में भलाई नहीं देखना, किसानों द्वारा वाटरकोर्सेस के लिए भूमि देने की अनिच्छा उल्लेखित थे। वाटरकोर्सेस की संरचनाओं के अपूर्ण निर्माण के परिणामस्वरूप जल की बर्बादी पर नियन्त्रण में असफल रहने व सिंचाई योग्य क्षेत्र में वांछित सीमा तक वृद्धि न होने से निर्धारित समय में किसानों को सिंचाई सुविधाओं के लाभ से वंचित रखा गया।

राज्य सरकार ने बताया कि पहले से विद्यमान वाटरकोर्सेस के कारण जल उपभोक्ता संगठनों ने वाटरकोर्सेस के कार्य निष्पादन में अनिच्छा प्रकट की थी। यह भी कहा गया कि विद्यमान वाटरकोर्सेस का रख-रखाव सम्बंधित किसानों द्वारा किया जा रहा है। उत्तर से यह परिकल्पित होता है कि या तो किसानों को प्रेरित करने हेतु कदम नहीं उठाये गये व सलाहकार द्वारा ध्यान में लाये गये बिन्दुओं पर गौर नहीं किया गया या कार्य योजना विफल रही।

3.2.1.6 माप उपकरणों के माध्यम से पानी के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य की प्राप्ति का अभाव

माप उपकरण³⁰ पानी का उचित आवंटन और सही गणना के लिए उपयोगी है। यह देखा गया था कि चयनित खण्डों में माप उपकरण लगाने में ₹ 1.10 करोड़ उपगत किए गये। माप उपकरणों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए

²⁹ इसमें भूमि सिंचाई के लिए किसानों द्वारा निर्मित क्रॉस ड्रेनेज एवं नाका सम्मिलित है।

³⁰ किसी चीज की विस्तार, मात्रा या डिग्री बताने का यंत्र

वाराबंदी³¹ अनुसूची तैयार की जानी थी और पानी के प्रवाह का अभिलेख जल उपभोक्ता संगठनों द्वारा रखा जाना था। अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना प्रबंधन इकाई ने माप उपकरणों के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किये थे (अक्टूबर 2012)। पानी के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उप परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में माप उपकरणों को लगाने का प्रावधान था। परियोजना प्रबंधन इकाई को माप उपकरणों को लगाने की प्रगति प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया गया था और माप के लिए व्यास मापन प्रक्रिया कनिष्ठ/सहायक/अधिशाषी अभियन्ता स्तर पर अपनाई जानी थी।

माप उपकरणों के सम्बन्ध में खण्डों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना की संवीक्षा से यह विदित हुआ है कि किसी भी जल उपभोक्ता संगठन द्वारा वाराबंदी अनुसूची तैयार कर इसका कार्यान्वयन नहीं किया गया। जल उपभोक्ता संगठनों द्वारा पानी के प्रवाह के अनुश्रवण के साथ काश्तकारों के बीच जल वितरण के अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया। परिणामस्वरूप पानी के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने का उद्देश्य प्रभावित हुआ और माप उपकरणों को लगाने पर उपगत व्यय ₹ 1.10 करोड़ का कोई लाभ नहीं मिला।

राज्य सरकार ने कहा कि वाराबंदी अनुसूची का माप उपकरणों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। ये केवल पानी वितरण के आउटलेट के नीचे लगाए जाते हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वाराबंदी अनुसूची पानी के न्यायोचित और मितव्ययता से उपयोग के लिए आवश्यक थी और जल उपभोक्ता संगठन माप उपकरणों से ही पानी की माप व प्रवाह को नियंत्रण करते थे।

3.2.1.7 परियोजना पूरी होने के बाद देयता सृजित होना

निर्धारित समयावधि के अनुसार परियोजना मार्च 2013 को पूरी होनी थी लेकिन निर्धारित समय में कार्य पूरे नहीं होने से पूर्णता अवधि जून 2015 तक बढ़ाई गई। जल संसाधन विभाग ने जुलाई 2015 में निर्देश जारी किये थे कि 23 जुलाई 2015 तक सभी दावे प्रस्तुत कर दिये जावे अन्यथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा। यह पाया गया कि अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खंड द्वितीय, भीलवाड़ा ने ₹ 67.66 लाख के दावे प्रस्तुत नहीं किए। समय पर दावे प्रस्तुत नहीं करने के कारण विभाग ने राज्य सरकार पर ₹ 67.66 लाख का दायित्व निर्धारण कर दिया।

³¹ वाराबंदी जल वितरण की एक योजना है जिसमें जल उपभोक्ताओं को पानी का आवंटन अनुमोदित समय सूची, अवधि व आपूर्ति का समय पूर्व अनुमोदित होता है।

राज्य सरकार ने कहा कि वित्त विभाग की अनुमति के बाद सरकारी कोष से बकाया देयताओं का भुगतान किया जावेगा, यह भी कहा गया कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रक्रियाधीन थी।

3.2.1.8 नहर में दूषित पानी की मिलावट और चोरी की रोकथाम के लिए सुरक्षित कदम उठाने का अभाव

लेखा परीक्षा द्वारा अप्रैल 2016 में विभागीय अधिकारियों के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया कि गुवारडी लघु सिंचाई परियोजना, वस्त्र फैक्ट्री³² के अन्दर से गुजरती है, और फैक्ट्री का दूषित पानी नहर में छोड़ा जा रहा था। वहां नहर के पानी के औद्योगिक उपयोग के लिए चोरी की सम्भावना भी थी। सम्बंधित सहायक अभियंता ने स्वीकारा कि नहर में दूषित पानी की मिलावट एवं चोरी रोकने के कोई प्रबंध नहीं थे। यह भी बताया कि फैक्ट्री को नहर में दूषित पानी छोड़ने से रोकने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। नहर के दूषित पानी से किसानों और कृषि उपज के उपभोक्ताओं पर गंभीर परिणाम हो सकता है।

राज्य सरकार ने बताया कि फैक्ट्री मालिक के विरुद्ध राजस्थान सिंचाई एवं ड्रेनेज अधिनियम, 1954 के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी (अगस्त 2016)।

3.2.1.9 देरी के लिए क्षतिपूर्ति व जोखिम ओर लागत की वसूली

संविदा अनुबन्ध की धारा 2 के अनुसार संवेदक द्वारा कार्य करने के लिए अनुज्ञात समय का कड़ाई से पालन किया जाएगा, यदि संवेदक निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार कार्य पूरा करने में असफल रहता है और कार्य निष्पादन में विलम्ब संवेदक की ओर से हुआ हो तो संवेदक प्रत्येक समय अवधि के लिए क्षतिपूर्ति का संदाय करने का भागी होगा। धारा 3(सी) प्रभारी अभियन्ता को यह शक्ति प्रदान करती है कि संवेदक द्वारा अनिष्पादित कार्य को माप कर दूसरे संवेदक से पूरा करने के लिए दे। अधिक हुए व्यय का भुगतान मूल संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। जिसकी कटौती उसके बकाया से की जावेगी।

चयनित खण्डों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 12 उप परियोजनाओं में संवेदकों द्वारा निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं किया और कार्य दूसरे संवेदकों से निष्पादित करवाया। धारा 2 के तहत क्षतिपूर्ति ₹ 48.94 लाख और धारा 3(सी) में विभाग द्वारा आरोपित राशि ₹ 3.02 करोड़ की वसूली नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने बताया कि क्षतिपूर्ति राशि की शीघ्र वसूली के प्रयास किये जा रहे थे।

³² सुपर गोल्ड सूटिंग, मंडपिया

3.2.2 तकनीकी एवं संस्थागत समर्थन गतिविधियां

3.2.2.1 स्वास्थ्य घटक के लक्ष्य की प्राप्ति का अभाव

एमओडी के अनुलग्नक II की क्र.सं. IX(3) के अनुसार स्वास्थ्य घटक मुख्यतः मलेरिया नियन्त्रण के मानदंडों के क्रियान्वयन सहित गड्डो³³ के उपचार और इस योजना के तहत विशेष मछलियों के तालाबों में पुनर्वास हेतु केन्द्रित था। मलेरिया रोग वाहक प्रजनकों पर नियंत्रण तालाबों के समीप मछलियों के लिए हैचरीज के निर्माण के माध्यम से किया जाना था।

यह देखा गया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2011-12 से 2014-15 की अवधि में 38 हैचरीज निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 33 हैचरीज का ही निर्माण किया। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग ने हैचरी निर्माण हेतु निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को ₹ 1.20 करोड़ रुपये आवंटित किये थे, लेकिन ₹ 44.26 लाख व्यय ही उपगत किया गया।

इसके अलावा, निर्मित हैचरीज की उपयोगिता एवं प्रभावशीलता के सत्यापन हेतु अजमेर, दौसा एवं जयपुर में निर्मित आठ हैचरीज का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों के साथ (अगस्त 2016) भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि सम्बंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी इन योजनाओं के लाभ और क्षेत्र से परिचित नहीं थे। परियोजना के क्षेत्र व पुनरुद्धार वाले तालाबों की अज्ञानता के कारण जल उपभोक्ता संगठनों को हैचरी से तालाबों में मछलियों के स्थानान्तरण करने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया एवं सम्बंधित क्षेत्र के जल उपभोक्ता संगठनों को क्षेत्र के तालाबों में डालने के लिए मछलियों की आपूर्ति नहीं की गई। मलेरिया रोकथाम के अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा रहा था न ही सम्बंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मलेरिया से ग्रसित मामलों के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया। हैचरी निर्माण के लक्ष्यों की पूर्णता और तालाबों में मछलियां डालने के अभाव में विशेष क्षेत्र में मलेरिया नियन्त्रण के उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सके। सलाहकार की रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि होती है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य घटक का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हुआ।

³³ निम्न स्तर क्षेत्र

3.2.2.2 परियोजना के पूरा होने से पूर्व विदेशों में प्रशिक्षित अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं सेवानिवृत्त हो जाने से प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होना

सिंचाई प्रबन्धन प्रशिक्षण संस्थान, कोटा के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि जायका के वरिष्ठ प्रतिनिधि ने अगस्त 2012 में इस शर्त के साथ अनापत्ति जारी की थी कि जर्मनी में प्रशिक्षण लेने वाले 24 प्रतिभागियों के प्रस्ताव में जल संसाधन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक प्रतिभागी विदेशी प्रशिक्षण से लौटने के बाद तीन वर्ष की अवधि तक (ऋण की समाप्ति तक) इस परियोजना में सेवा देगा। इसकी अनुपालना में सिंचाई प्रबन्धन प्रशिक्षण संस्थान, कोटा द्वारा 24 अधिकारियों के लिए जर्मनी में 24 सितम्बर 2012 से 4 अक्टूबर 2012 एवं 22 अक्टूबर 2012 से 1 नवम्बर 2012 तक दो विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये थे।

परियोजना प्रबन्ध इकाई द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना की संवीक्षा में यह पाया गया कि योजना समाप्ति की निर्धारित अवधि से तीन वर्ष पूर्व ही विदेश में प्रशिक्षण लेने वाले 24 अधिकारियों में से 15 अधिकारी सेवानिवृत्त हो गये एवं 3 अधिकारी उप परियोजना से सम्बंधित पदों से असम्बंधित पद पर स्थानान्तरित कर दिये गये। इससे प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया और इस पर उपगत हुआ ₹ 72.00 लाख का व्यय अंशतः निष्फल रहा।

राज्य सरकार ने अवगत कराया कि 24 प्रतिभागियों में से 2 प्रशासनिक सेवा के थे जिनका स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा किया गया और 22 जो जल संसाधन विभाग से थे सेवा अवधि में परियोजना में सेवा कर रहे हैं या सेवा की है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जायका ने विदेशी प्रशिक्षण के लिए उन्हीं अधिकारियों के लिए अनुमति दी थी जिनकी सेवा पूर्णतया परियोजना में तीन वर्ष के लिए उपयोग में ली जावे।

3.2.2.3 जल प्रभारों के संग्रहण का अभाव

एमओडी के अनुलग्नक 6 के अनुसार यह परियोजना, परियोजना क्षेत्र में जल उपभोक्ता संगठनों के गठन व क्षमता निर्माण में मदद करेगी। जल उपभोक्ता संगठन में वे सभी जल उपभोक्ता शामिल हैं जो लघु सिंचाई योजना की पूरी व्यवस्था के प्रबन्धन एवं रख-रखाव सहित जल प्रभारों के निर्धारण व संग्रहण में हिस्सा लेंगे।

चयनित खण्डों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जल उपभोक्ता संगठनों द्वारा जल प्रभार संग्रहण नहीं किया जा रहा था। केवल खण्ड भीलवाडा द्वितीय के गोवटा गांव के एक जल उपभोक्ता संगठन ने वर्ष 2011-13 में ₹ 1.13 लाख की वसूली की थी। जल उपभोक्ता संगठनों के जल प्रभारों की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप उप परियोजनाओं के संचालन व रख-रखाव के लिए निधियों का अभाव रहा जो अन्ततः राज्य के खजाने पर बोझ होगा।

राज्य सरकार ने कहा कि जल उपभोक्ता संगठनों ने जल प्रभार का संग्रहण करना शुरू कर दिया है और समय के साथ अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से निर्वह करेंगे। तथ्य यह है जल उपभोक्ता संगठनों को मजबूत करने के अभाव में 393 उप परियोजनाओं में से केवल 13 में ही जल प्रभारों का संग्रहण किया गया था।

राज्य सरकार को परियोजना के तहत निर्मित संरचनाओं के संचालन एवं रख-रखाव के लिए निधि का आंकलन करना चाहिए। जल उपभोक्ता संगठनों को मजबूत करना चाहिए एवं उप परियोजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव के लिए जल प्रभारों को वसूला जाना चाहिए।

3.2.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

3.2.3.1 प्रभाव आकलन

अनुरक्षण एवं मूल्यांकन का कार्य डी एच वी इंडिया प्रा. लि. को 23 फरवरी 2010 को दिया गया था और संविदा अनुबन्ध 2 मार्च 2010 को हस्ताक्षरित किया गया। इस नियत कार्य का उद्देश्य परियोजना के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहित आधारभूत अध्ययन और नमूना उप परियोजनाओं के प्रभाव का मध्यावधि मूल्यांकन करना था।

सलाहकार ने परियोजना पूर्णता प्रतिवेदन 26 मई 2015 को प्रस्तुत की थी। सलाहकार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्टतया दर्शित किया कि इस परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन निम्न कारणों से समय से पहले था।

- कुछ मामलों में प्रणाली विकृत होना शुरू हो गयी थी और यहां तक कि हस्तांतरण से पहले ही क्षतिग्रस्त हो रही थी।
- प्रणाली के साथ अन्य मूलभूत सुविधाएं जैसे जल उपभोक्ता संगठन कार्यालय भवन, आदि औपचारिक रूप से जल उपभोक्ता संगठनों को स्थानान्तरित नहीं किये जा सके।

➤ योजना के औपचारिक हस्तांतरण के बाद भी कम से कम एक वर्ष तक जल उपभोक्ता संगठन पदाधिकारियों को गहन मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति के अभाव में योजना जो उपभोक्ता संगठनों पर पूरी तरह से आधारित थी विफल हो सकती है।

इस पर जोर दिया गया कि अपने मौजूदा स्वरूप में बिना वित्तीय आधार, प्रवर्तन शक्ति और अधिकार के साथ कोई भी योजना लम्बे समय तक सफल नहीं हो सकती। कोई भी नमूना परियोजनाओं को औपचारिक रूप से और पूरी तरह से जल उपभोक्ता संगठनों को हस्तांतरित नहीं किया जा सका। योजना का स्वतंत्र रूप से प्रबन्धन अनुभव लगभग नहीं के बराबर है। संरचना हस्तांतरण से पहले क्षति के लक्षण बताते हैं कि लम्बे समय में ये इस परियोजना की स्थिरता को प्रभावित करेंगे, लघु सिंचाई परियोजनाएं बहुत छोटी होती हैं और इनमें पर्याप्त राजस्व नहीं होता है। इसलिए इनकी सतत स्थिरता के लिए सरकार या निकाय से नियमित बाह्य वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

राज्य सरकार ने कहा कि परियोजना उल्लेखनीय सफलता के साथ पूरी हो चुकी है और उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में इस परियोजना का असर काफी प्रभावशाली एवं सकारात्मक था। उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि सलाहकार द्वारा तैयार किया गया अंतिम पूर्णता प्रतिवेदन यह दर्शाता है कि परियोजना के परिणाम का मूल्यांकन समय से पहले था। इसके अलावा विभाग द्वारा अन्य प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन नहीं करवाया। इसलिए विभाग परियोजना के बुनियादी उद्देश्यों की प्राप्ति के निष्कर्ष की स्थिति में नहीं था।

3.2.3.2 गुणवत्ता टिप्पणियों की अनुपालना के अभाव के परिणामस्वरूप अधोस्तर कार्य का निष्पादन

यह आवश्यक था कि निर्माण कार्य इस स्थायित्वता के साथ निष्पादित किये जाने थे कि निर्माण मानकों की प्राप्ति स्थिरता, विश्वसनीयता और कार्य रूप में दीर्घकालीन हो। निर्माण कार्य निष्पादन में गुणवत्ता मानकों की सुनिश्चितता के क्रम में अभियांत्रिकी व प्रबन्धन सलाहकार द्वारा गुण नियन्त्रण मैनुअल तैयार किया गया था।

अभिलेखों और सलाहकार की रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि सलाहकार के कार्यस्थल प्रभारी अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान बताई गई 16014 खराब गुणवत्ता टिप्पणियों में से 2465 गुणवत्ता टिप्पणियों की अनुपालना जल संसाधन विभाग द्वारा करना नहीं पाया गया (मई 2015)। गुणवत्ता

और नियंत्रण प्रणाली की कमी के कारण गुणवत्ता टिप्पणियों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

राज्य सरकार ने कहा कि परियोजना की पूर्णता से पहले जल संसाधन विभाग के गुण नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा सभी गुणवत्ता टिप्पणियों की अनुपालना सुनिश्चित कर ली गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सलाहकार द्वारा परियोजना पूर्णता प्रतिवेदन मई 2015 में ही प्रस्तुत कर दी थी और परियोजना जून 2015 में पूर्ण हुई थी। विभाग द्वारा गुणवत्ता टिप्पणियों की अनुपालना के अभाव में संवेदकों के भुगतान योग्य ₹ 0.74 लाख रोकना इस विचार की पुष्टि करता है कि गुणवत्ता टिप्पणियों की अनुपालना नहीं की गई थी।

3.2.4 निष्कर्ष

उप परियोजना के पुनरूद्धार के माध्यम से, सतही जल के उपयोग का उद्देश्य, सिविल कार्य घटक के तहत गतिविधियों के पूरा होने में देरी के कारण पूरी तरह हासिल नहीं हुआ। कार्यकारी एजेंसियों द्वारा बजट का कम उपयोग करने के कारण जापान इंटरनेशनल कॉ-ऑपरेटिव एजेंसी द्वारा प्रदत्त ऋण का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा सका। परियोजनाओं के समय से पूर्व बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप जल भण्डारण क्षमता और कृषि कमान क्षेत्र का कम निर्माण हुआ। वाटरकोर्स संरचनाओं का निर्माण कार्य पूरा न होने के परिणामस्वरूप पानी की बर्बादी रोकने, वांछित हद तक कृषि क्षेत्र में वृद्धि, किसानों को सिंचाई सुविधाओं का लाभ का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। जल उपभोक्ता संगठनों की जल प्रभार वसूली की विफलता के परिणामस्वरूप उप परियोजनाओं के रख-रखाव के लिए धन की अनुपलब्धता रही। सलाहकार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से संकेत दिये कि इस परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन समय से पहले था एवं योजना की सफलता के लिए वित्तीय आधार, प्रवर्तन की शक्ति और योजना को चलाने का अनुभव आवश्यक था।

वन विभाग

3.3 नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण

परिचय

नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना (1962) में प्रारम्भ की गई थी। यह केन्द्रीय प्रवर्तित योजना थी। राजस्थान में चार³⁴ नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिनके 52 जलग्रहण क्षेत्रों में³⁵ जलग्रहण गतिविधियां³⁶ संचालित हैं।

वर्ष 2012-13 तक नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकलचर योजना के तहत एवं इसके पश्चात् राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किए गये। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जलग्रहण क्षेत्र में बहुआयामी उपचार द्वारा भूमि के अधोपतन एवं भूमी कटाव को रोकना, आद्रता की प्रवृत्ति को सुधारना, अनुकूल भूमि उपयोग प्रोत्साहित करना, बहुउद्देशीय जलाशयों को गाद से भरने को कम करना था।

भारत सरकार ने वर्ष 2008 में ऑपरेशनल दिशानिर्देश विकसित किये जो कि केन्द्रीय प्रवर्तित नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि संरक्षण योजना के कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु भिन्न-भिन्न अन्तरालों पर जारी भिन्न-भिन्न दिशानिर्देशों की कठिनाइयों के मध्यनजर थे।

योजना के तहत गतिविधियां निम्नलिखित तीन चरणों में विभाजित हैं:

प्रारम्भिक चरण :

इसमें ग्रामीण समुदाय के साथ सम्बन्ध स्थापित करने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने एवं संस्थागत तथा क्षमता निर्माण के लिए प्रवेश गतिविधियां³⁷ शामिल हैं।

³⁴ दांतीवाड़ा, साबरमती, माही एवं चम्बल

³⁵ आबूरोड (24), बांसवाड़ा (11), बेगू (15), झालावाड़ (2)

³⁶ एक क्षेत्र जो विभाजन से सतही तौर पर घिरा हुआ हो तथा जो अंततः एक विशेष वाटरकोर्स या पानी के श्रोत से जुड़ा हो।

³⁷ इसमें स्थानीय समुदाय की जरूरी आवश्यकताओं पर आधारित गतिविधियां, वर्तमान में स्थापित संरचनाओं की मरम्मत, पुर्नउद्धार, उन्नयन एवं उत्पादन में वृद्धि की गतिविधियां शामिल हैं।

जलग्रहण क्षेत्र के कार्यों का चरण :

इसमें जलग्रहण विकास कार्य जैसे कि भूमि उपचार, मेडबन्दी, भू-जल पुर्नभरण हेतु गेबियन³⁸ संरचनाओं का निर्माण, गाद अवरोधक संरचनायें, भूमि में जल पुर्नभरण हेतु जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, सम्पत्ति विहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका विकास हेतु गतिविधियां तथा उत्पादन प्रणाली एवं लघु उद्योग जैसे पशुधन सुधार, मत्स्य विकास शामिल है।

समेकन :

इसमें परियोजना के बाद की अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबन्धन के पूरा होने तक की गतिविधियां शामिल है।

संगठनात्मक ढांचा

वन विभाग, राजस्थान इस योजना की कार्यान्वयन संस्था थी। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-संरक्षण) का इस योजना पर प्रशासनिक नियंत्रण था तथा उनका कार्य राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार के साथ सामन्जस्य बनाये रखा था। मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक परियोजना (भू-संरक्षण), कोटा के अधीन योजना का कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण था एवं उप वन संरक्षक, परियोजना आबूरोड (सिरोही) बांसवाड़ा, बेंगू (चित्तौड़गढ़) एवं झालावाड़ द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

निधिकरण स्वरूप

मैक्रो मनेजमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-13 में विकासात्मक गतिविधियों पर व्यय में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के अंशदान का अनुपात 90:10 था। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में केन्द्र का अंशदान 100 प्रतिशत संशोधित किया गया तथा अक्टूबर 2015 से केन्द्र एवं राज्य अंशदान का अनुपात 60:40 किया गया। बजट आबंटन एवं व्यय का ब्यौरा आगे तालिका 1 में दिया गया है।

³⁸ पानी को रोकने की दीवार

तालिका 1 : बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ों में)

वर्ष	आवंटन			व्यय
	केन्द्र	राज्य	कुल	
2011-12	11.68	1.30	12.98	12.98
2012-13	11.59	1.29	12.88	12.88
2013-14	05.88	-	05.88	5.64
2014-15	16.82	-	16.82	16.14
2015-16	11.75	5.10	16.85	15.98
योग	57.72	7.69	65.41	63.62

स्रोत: मुख्य वन संरक्षक, कोटा व तीन खण्डों द्वारा प्रदत्त सूचना।

लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र

अवधि 2011-12 से 2015-16 की लेखा परीक्षा (फरवरी-मई 2016), चारों खण्डों आबूरोड, बांसवाड़ा, बेगू एवं झालावाड़³⁹ को सम्मिलित करते हुए की गई। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू-संरक्षण जयपुर, मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक परियोजना (भू-संरक्षक), कोटा के अभिलेखों का भी परीक्षण किया गया। लेखा परीक्षा, परियोजना के सफल संचालन में संस्थागत व्यवस्थाओं की पर्याप्तता देखने के लिए तथा यह जानने के लिए की गई थी कि भूमि एवं जल संरक्षण गतिविधियां दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई हैं एवं उनका पर्याप्त अनुश्रवण किया गया था।

प्रकरण को अंतिम रूप देते समय राज्य सरकार के उत्तर (सितम्बर 2016) पर विचार किया गया।

भौतिक स्थिति

योजना के तहत भूमि उपचार हेतु निर्धारित क्षेत्र एवं संरचना निर्माण के लिए लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण आगे तालिका 2 में दिया गया है।

³⁹ झालावाड़ में जलग्रहण गतिविधियां वर्ष 2012-13 में समाप्त हो गयी।

तालिका 2: वर्षवार भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियों की स्थिति

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि		कमी प्रतिशत में	
	क्षेत्र(हेक्टर)	संरचनाएं (संख्या)	क्षेत्र(हेक्टर)	संरचनाएं (संख्या)	क्षेत्र(हेक्टर)	संरचनाएं (संख्या)
2011-12	16085	8053	11635	4536	27.66	43.67
2012-13	13449	9187	7980	4343	40.66	52.73
2013-14	5469	4900	1494	2632	72.68	46.29
2014-15	11792	6628	11420	6577	3.15	0.77
2015-16	10800	5163	10023	4775	7.19	7.52

स्रोत: मुख्य वन संरक्षक, कोटा व तीन खण्डों द्वारा प्रदत्त सूचना

वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में भूमि उपचार हेतु निर्धारित क्षेत्र के सम्बन्ध में क्रमशः 40.66 प्रतिशत एवं 72.68 प्रतिशत कमी रही। संरचना निर्माण के सम्बन्ध में कमी वर्ष 2011-12 से 2013-14 में 43.67 प्रतिशत से 52.73 प्रतिशत थी। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में भूमि उपचार के सम्बन्ध में उपलब्धि क्रमशः 96.85 प्रतिशत एवं 92.81 प्रतिशत रही तथा संरचना निर्माण के सम्बन्ध में उपलब्धि क्रमशः 99.23 प्रतिशत तथा 92.48 प्रतिशत रही। उप वन संरक्षक आबूरोड एवं बेगूं ने अपने उत्तर में बताया कि मुख्यतः बजट आवंटन के विरुद्ध कम राशि जारी करने के कारण उपलब्धियों में कमी रही। उप वन संरक्षक बांसवाड़ा ने कोई उत्तर नहीं दिया।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष

3.3.1 योजना

जलग्रहण क्षेत्र गतिविधियां क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2012-13 तक वार्षिक कार्ययोजना, परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी, वन विभाग द्वारा तैयार की गई एवं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मैक्रो मैनेजमेन्ट योजना के तहत अनुमोदित की गयी। राज्यों को गतिविधियों के निष्पादन एवं योजना तैयार करने में स्वायत्तता एवं लचीलापन प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 से राज्य स्तरीय नोडल संस्था कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कार्य योजनाएँ अनुमोदित की गईं।

3.3.1.1 परियोजना स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाओं का अभाव

जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना के लिए कॉमन दिशा-निर्देश के अनुच्छेद संख्या 5.3 एवं ऑपेशनल दिशा-निर्देश के अनुच्छेद संख्या 14 के अनुसार परियोजना क्रियान्वन एजेन्सी द्वारा जलग्रहण क्षेत्र विकास दल का गठन, जलग्रहण क्षेत्र समितियों को जलग्रहण क्षेत्र कार्य योजना तैयार करने, समितियों के गठन एवं कार्यक्षेत्र में ग्राम सभा को सहयोग करने, प्रयोक्ता समूह एवं स्वयं सहायता के पोषण एवं आयोजन, आधारभूत भागीदारी सर्वेक्षण संचालित करना, प्रशिक्षण एवं दक्षता निर्माण में मार्गदर्शन देने हेतु किया जाना था। प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्र विकास दल के गठन में कम से कम चार सदस्य होंगे जो कृषि, सामाजिक विज्ञान, जल प्रबन्धन, भू-संरक्षण एवं संस्थागत निर्माण क्षेत्र में अनुभव एवं गहन जानकारी रखते हों। जलग्रहण क्षेत्र विकास दल में कम से कम एक महिला सदस्य होनी आवश्यक थी।

यह देखा गया कि चार खण्डों में से दो खण्ड बांसवाड़ा तथा बेगू में वर्ष 2011-16 के दौरान जलग्रहण विकास दलों का गठन नहीं किया गया। आबूरोड व झालावाड़ में वर्ष 2011-12 व 2012-13 में जलग्रहण विकास दलों का गठन नहीं किया गया। झालावाड़ में वर्ष 2012-13 में जलग्रहण गतिविधियां समाप्त हो गई। आबूरोड में, वर्ष 2013-14 में जलग्रहण विकास दल का गठन किया गया लेकिन वह मानदण्ड अनुसार नहीं था। जलग्रहण विकास दल सदस्यों के रूप में विभागीय कर्मचारियों को शामिल किया गया। विस्तृत संसाधन विकास योजनाएं विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार नहीं की गई। जलग्रहण समितियां वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने तथा जलग्रहण क्षेत्र गतिविधि संचालन में विशेषज्ञ मार्गदर्शन से वंचित रही।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना के लिए जो कॉमन दिशा-निर्देश 2008, में जारी हुए थे वे परियोजना में जो कार्य संपादित हुए हैं उन पर लागू नहीं होते क्योंकि सभी नदी घाटी परियोजनाएं इन दिशा-निर्देशों के जारी होने से पूर्व ही स्वीकृत हो गई थी। साथ ही कहा कि मैक्रो मेनेजमेन्ट ऑफ एग्रीकलचर, 2008 के संशोधित दिशा-निर्देश इन कार्यों पर लागू होंगे जिनमें जलग्रहण विकास दलों के गठन का कोई प्रावधान नहीं था। यह भी कहा गया कि अलग से विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि विभागीय कर्मचारी को भूमी एवं जल संरक्षण कार्यों की गहन जानकारी थी।

उत्तर विश्वसनीय नहीं था। विभिन्न अन्तरालों पर जारी तीन⁴⁰ दिशा-निर्देशों के आधार पर कार्यक्रम कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में ग्यारहवीं पंचवर्षिय योजना में भूमि संरक्षण के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित योजना हेतु ऑपरेशनल दिशा-निर्देश विकसित किये गये। इनका उद्देश्य उपचार को अधिक फोकस करने, लागत प्रभावी तथा कार्यक्रम में जन सहभागिता को शामिल करते हुए मल्टी डिस्सीप्लिनरी एप्रोच विकसित करना था इनमें जलग्रहण समिति/ग्राम पंचायत की सक्रिय भागीदारी भी शामिल थी। जारी किये गये ऑपरेशनल दिशा-निर्देश में जलग्रहण विकास दल के गठन का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, सभी जलग्रहण परियोजनाएं, 2008 के बाद स्वीकृत हुई थी एवं जलग्रहण परियोजना के लिए जो जलग्रहण परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये गये इनमें उल्लेखित था कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऑपरेशनल एवं कॉमन दिशानिर्देश लागू होंगे। इस प्रकार जलग्रहण विकास दलों का गठन न किया जाना दिशा-निर्देशों के विकेन्द्रीकरण के मुख्य सिद्धांत के विरुद्ध था। जलग्रहण एवं अन्य गतिविधियों के संपादन में परियोजना, आवश्यक विशेषज्ञता से वंचित रही। कार्य योजना अनियमित ढंग से संपादित की गयी एवं परियोजना प्रभावित हुई जैसा कि आगे के अनुच्छेदों में देखा गया है।

यह सिफारिश की जाती है कि कॉमन दिशा-निर्देश और ऑपरेशनल दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार विषय विशेषज्ञों के ज्ञान का लाभ उठाने के लिए जलग्रहण विकास दलों का गठन किया जाना चाहिए।

3.3.1.2 अनियोजित ढंग से पक्की संरचनाओं का निर्माण

ऑपरेशनल दिशा-निर्देश, 2008 के अनुच्छेद संख्या 10.3 के अनुसार पक्की संरचनाओं⁴¹ का निर्माण परियोजना कार्यान्वयन के दूसरे अथवा तीसरे वर्ष में किया जाना है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रथम वर्ष में शुरू किये गये वनस्पति मृदा संरक्षण उपचार कन्दूर/ग्रेडेड बंडस का निर्माण जो कि वानस्पतिक भू-संरक्षण उपायों से सपोर्टेड हो, दूसरे अथवा तीसरे वर्ष में पूरक यांत्रिकी संरचनाओं से पूर्व निश्चित आकार प्राप्त करले।

⁴⁰ आर.वी.पी. एवं एफ.पी.आर. की योजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश, 2008, मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, 2008 जलग्रहण विकास परियोजना के लिए कॉमन गाईड लाईन, 2008

⁴¹ गेबियन, गाद अवरोधक संरचना, जल संचयन संरचना

तीन खण्डों आबूरोड, बांसवाड़ा एवं बेगूं के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि दिशा-निर्देशों के विपरीत परियोजना के प्रथम वर्ष में 192⁴² पक्की संरचनाएं राशि ₹ 2.36 करोड़ की निर्मित की गई।

राज्य सरकार ने कहा कि जलग्रहण क्षेत्र के स्थाईकरण के पश्चात ही प्रथम वर्ष में पक्की संरचनाएं निर्मित की गई एवं 61 गेबियन संरचनाएं जो कि ढीले पत्थर की संरचनाएं थी गाद को रोकने हेतु निर्मित की गई। उत्तर विश्वसनीय नहीं था। गेबियन के अतिरिक्त पक्की संरचनाओं का निर्माण, उपचार वर्ष के प्रथम वर्ष में कराया जाना दिशा-निर्देशों के विपरीत था। जिससे वानस्पतिक भू-संरक्षण कार्यों के अभाव में बहुउद्देशीय जलाशयों में गाद जमा होने की संभावना को रोकने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

यह सिफारिश की जाती है कि जलाशयों में सतही वर्षा जल भंडारण बढ़ाने और गाद रोकने के लिए वानस्पतिक भू-संरक्षण कार्यों का आकार सुनिश्चित किया जाने बाद ही पक्की संरचनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।

3.3.2 कियान्वयन

3.3.2.1 स्वयं सहायता समूह एवं प्रयोक्ता समूहों का गठन नहीं किया जाना

जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए कॉमन दिशा-निर्देश के अनुच्छेद संख्या 6.1 एवं 6.2 के अनुसार जलग्रहण समिति जलग्रहण विकास दल के सहयोग से जलग्रहण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का गठन करेगी। स्वयं सहायता समूह के सदस्य छोटे एवं सीमान्त किसान, भूमिहीन/परिसम्पत्ति विहीन, गरीब खेतिहर मजदूर, महिलायें, चरवाहा और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के व्यक्ति होंगे। स्वयं सहायता समूह समान प्रकार के, समान पहचान एवं रुचि रखने वाले होंगे एवं अपनी आजीविका के लिए जलग्रहण क्षेत्र पर निर्भर रहने वाले होंगे। जीवनस्तर में सुधार के लिये नोडल मंत्रालय द्वारा एक निर्धारित रिवोल्विंग निधि स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध करायी जावेगी। प्रयोक्ता समूह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के सहयोग से परियोजना के तहत बनाई गई सभी परिसम्पत्तियों के रख रखाव के लिए जिम्मेदार होंगे।

यह देखा गया कि सभी खण्डों में जलग्रहण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का गठन नहीं किया गया, उनकी अनुपस्थिति में लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार

⁴² आबू रोड (12; ₹ 10.37 लाख), बांसवाड़ा (81; ₹ 1.09 करोड़), बेगूं (99; ₹ 1.17 करोड़)

हेतु रिवोल्विंग निधि खेती एवं सम्बन्ध गतिविधियों के क्रियान्वित करने के लिए वितरित नहीं की गई। इससे योजना का उद्देश्य भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका विकसित करना, उत्पादक प्रणाली एवं सूक्ष्म उद्योगों में सुधार अपूर्ण रहा। यह देखा गया कि सभी खण्डों में प्रयोक्ता समूहों का गठन नहीं किया गया जिससे परियोजना के तहत बनाई गई परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख-रखाव का कार्य पूर्ण नहीं हुआ।

राज्य सरकार ने कहा कि मैक्रो मैनेजमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर के संशोधित दिशा-निर्देशों में स्वयं सहायता समूह व प्रयोक्ता समूहों के गठन का प्रावधान न होने के कारण इनका गठन नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कॉमन दिशा-निर्देशों में स्वयं सहायता समूह व प्रयोक्ता समूहों के गठन का प्रावधान था। सभी खण्डों के उप वन संरक्षकों ने भी स्वीकार किया (मार्च/अप्रैल/मई 2016) कि स्वयं सहायता समूहों व प्रयोक्ता समूहों का गठन नहीं किया गया। उप वन संरक्षक, बेगू ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों का वर्ष 2016-17 में गठन कर दिया जावेगा।

यह सिफारिश की जाती है कि स्वयं सहायता समूहों का लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए गठित किये जाने की आवश्यकता है तथा सम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए प्रयोक्ता समूहों का गठन किया जाना चाहिए।

3.3.2.2 जलग्रहण समितियों का गठन मानदण्डों के अनुसार नहीं किया जाना

जलग्रहण विकास परियोजनाओं के लिए कॉमन दिशा-निर्देश के अनुच्छेद संख्या 6.3 एवं आपरेशनल दिशा-निर्देश के अनुच्छेद संख्या 16 के अनुसार ग्राम सभा जलग्रहण विकास दल के तकनीकी सहयोग से जलग्रहण परियोजनाओं को लागू करने के लिए जलग्रहण समितियों का गठन करेगी। समिति में कम से कम 10 सदस्य होंगे जिनमें आधे स्वयं सहायता समूह और प्रयोक्ता समूहों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय, महिला और गांव के भूमिहीन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। समिति में जलग्रहण विकास दल का एक सदस्य प्रतिनिधित्व करेगा।

यह देखा गया कि दिशा-निर्देशों के विपरीत चार खण्डों के 52 जलग्रहण क्षेत्रों में गठित 52 जलग्रहण समितियों में स्वयं सहायता समूह और प्रयोक्ता समूहों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। नौ⁴³ जलग्रहण समितियों में शामिल सदस्यों की संख्या

⁴³ वाटेरा (आबूरोड), हरियागढी (बांसवाड़ा), कुलांटिया, धामन्चा, धोराकुरी, मुवान्डा, फूटतालाब, रथकांकारा, एवं नयागांव (बेगू)

10 से कम थी, पांच⁴⁴ जलग्रहण समितियों में महिला सदस्यों की भागीदारी नहीं थी तथा आबूरोड में 2011-12 और 2012-13 में जलग्रहण विकास दल का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। जलग्रहण समितियों का गठन मानदण्ड अनुसार न किये जाने से सामुदायिक भागीदारी एवं योजना, बजट, जलग्रहण परियोजना के प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन में प्राथमिक हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि मैक्रो मनेजमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर के संशोधित दिशा-निर्देशों में जलग्रहण समिति के गठन का प्रावधान नहीं था इसलिये जलग्रहण समिति के स्थान पर जलग्रहण विकास समितियों का गठन किया गया। उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि दिशा-निर्देशों में वर्णित मानदण्डों के अनुसार जलग्रहण समितियों का गठन नहीं किया गया।

3.3.3 क्षमता निर्माण

जलग्रहण विकास परियोजनाओं से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए क्षमता निर्माण समर्थन एक महत्वपूर्ण घटक है। जलग्रहण विकास परियोजनाओं की कॉमन गाईडलाइन्स में क्षमता निर्माण के लिए वार्षिक कार्य योजना, संसाधन व्यक्तियों का विकास, अच्छी तरह से तैयार प्रशिक्षण माड्यूल, पठन सामग्री और प्रभावी एवं अनुवर्ती निगरानी तंत्र शामिल है।

3.3.3.1 कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाना

➤ कॉमन दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 10.1 एवं ऑपरेशन दिशा-निर्देश के अनुच्छेद 19.1 के अनुसार अधिकारियों, गैर सरकारी संगठन और किसानों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी थी। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भविष्य की योजना एवं नये महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा के लिए प्रत्येक नदी घाटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दल प्रमुख, परियोजना के प्रमुखों के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का वर्ष में एक बार आयोजित की जावेगी। कार्यशाला से तात्पर्य जलग्रहण परियोजना के सम्बन्ध में समस्याएँ और उपायों का गहराई से विश्लेषण करने के लिए एक अवसर प्रदान करना था।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर द्वारा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए पिछले पांच वर्षों यानी 2011-16 दौरान एक भी राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया। कॉमन

⁴⁴ कांकरली, वाटेरा, कालाखेतर (आबूरोड) धामन्चा, सुदर्शनपुरा (बेगूं)

दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद संख्या 10.1 एवं ऑपरेशनल दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद संख्या 19.2 के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रम निष्पादन प्रभारी) के लिए क्षेत्रीय/जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने थे एवं प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्र के लिए कम से कम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। क्षेत्रीय/जिला स्तर पर पिछले पांच वर्षों यानि 2011-16 के दौरान परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के लिए कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गये।

➤ कॉमन दिशा-निर्देश के अनुच्छेद संख्या 10.1 एवं ऑपरेशनल दिशा-निर्देश के अनुच्छेद संख्या 19.3 के अनुसार वर्ष में एक बार परियोजना स्तर पर कृषक कार्यशाला आयोजित की जावेगी, जिसमें सरकारी पदाधिकारी, जलग्रहण प्रबन्ध परियोजना के प्रभारी एवं स्थानीय समुदाय के सदस्य भाग लेंगे। लगभग 25 प्रतिभागी प्रति जलग्रहण परियोजना से प्रति वर्ष कार्यशाला में शामिल किये जाने थे।

परियोजना स्तर पर 2011-15 के दौरान बांसवाड़ा, बेगू एवं झालावाड़ खण्डों में कोई भी कृषक कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया। उपरोक्तानुसार कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने के कारण पदाधिकारियों के कौशल एवं ज्ञान को बढ़ाने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका।

राज्य सरकार ने कहा कि 2011-12 एवं 2013-14 के दौरान राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए एवं अधिकारी प्रशिक्षित किये गये; और बांसवाड़ा खण्ड में 2015-16 के दौरान परियोजना स्तर पर कृषक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि आयोजित किये गए कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गए और परियोजना स्तर पर किसी भी खण्ड में 2011-15 के दौरान कृषक कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया।

यह सिफारिश की जाती है कि पदाधिकारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

3.3.3.2 कॉरपस निधि को उपयोग न लेना

आबूरोड, बांसवाड़ा और बेगू खण्डों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि निर्मित संरचनाओं के रख रखाव के लिए अवधि 1990-91 से 2012-13 में जलग्रहण समितियों के बैंक खातों में जमा कराया गया कॉरपस निधि सावधि जमा

के रूप में अनुपयोगी पड़ा था। मार्च 2016 को सावधि जमा राशि मय ब्याज राशि ₹ 2.08⁴⁵ करोड़ थी।

राज्य सरकार ने कहा कि कॉरपस निधि का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि कोई भी संरचना क्षतिग्रस्त नहीं हुई और किसी भी जलग्रहण समिति ने क्षतिग्रस्त संरचना की मरम्मत करने के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया इसलिए यह सावधि जमा के रूप में बैंक में पड़ा हुआ था। तथ्य यह है कि प्रयोक्ता समूहों के गठन के अभाव में सम्पत्तियों की मरम्मत सुनिश्चित नहीं की जा सकी व कारपस निधि जो सम्पत्तियों की मरम्मत के लिए थी, अनुपयोगी पड़ी हुई थी।

3.3.3.3 प्रयोक्ता प्रभार की वसूली का अभाव

जलग्रहण विकास परियोजना के लिए कॉमन दिशा-निर्देश, 2008 के अनुच्छेद संख्या 9.5 के अनुसार ग्राम सभा को जलग्रहण समिति के माध्यम से लाभार्थियों से प्रयोक्ता प्रभार एकत्रित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए। निजी या सार्वजनिक भूमि पर किये गये कार्य के लिए भूमिहीन, विकलांग/विधवा से कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा। एकत्र प्रयोक्ता प्रभार परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए जलग्रहण विकास कोष में जमा किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि सभी चार खण्डों में प्रयोक्ताओं से परियोजना के तहत निर्मित संरचनाओं के रख-रखाव हेतु प्रयोक्ता प्रभार एकत्रित नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने कहा कि मैक्रो मनेजमेन्ट ऑफ एग्रीकलचर के संशोधित दिशा-निर्देशों में प्रयोक्ता समूहों के गठन एवं प्रयोक्ता प्रभार एकत्रित करने के प्रावधान के अभाव में प्रयोक्ता समूहों का गठन नहीं किया गया और प्रयोक्ता प्रभार एकत्रित नहीं किया गया। उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि कॉमन दिशा-निर्देशों में प्रयोक्ता समूह के गठन का प्रावधान था इसलिए परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए प्रयोक्ता प्रभार की वसूली आवश्यक थी।

यह सिफारिश की जाती है कि परिसम्पत्तियों के रख रखाव के लिए प्रयोक्ता प्रभार संग्रहित किया जाना चाहिए।

⁴⁵ आबूरोड (₹ 49.67 लाख), बांसवाड़ा (₹ 94.64 लाख) बेगूं (₹ 64.16 लाख)

3.3.4 निगरानी और मूल्यांकन

3.3.4.1 ऑन-लाइन वेब-आधारित निगरानी प्रणाली विकसित न किया जाना

कॉमन दिशा-निर्देश के अनुच्छेद संख्या 11.1(85) और ऑपरेशनल दिशा-निर्देश के अनुच्छेद संख्या 21 और 22 में प्रावधान है कि निगरानी प्रणाली में सुधार हेतु भारत-सरकार द्वारा, भूमि संरक्षण की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना की निगरानी प्रणाली पर एक वेब-साइट बनाई गई जिसमें राज्य सरकार द्वारा चालू जलग्रहण क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में जलग्रहण क्षेत्र एवं गतिविधि-वार आंकड़े भरे जाने चाहिए थे। परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा तिमाही प्रगति प्रतिवेदन (जलग्रहण समिति द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित) जलग्रहण क्षेत्र सैल सह डाटा केन्द्र को आगे राज्य स्तरीय नोडल संस्था को अग्रेषित करने हेतु भेजा जाना था। राज्य स्तरीय नोडल संस्था द्वारा प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजना आवश्यक था।

यह देखा गया कि विभाग में या जलग्रहण समिति स्तर (कार्यान्वयन का बुनियादी स्तर) पर वेब साइट पर आंकड़े भरने/अद्यतन करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। चालू कार्यों के लिए प्रबन्धन से किसी निर्देश के अभाव में जलग्रहण क्षेत्र एवं गतिविधि-वार आंकड़े वेब साइट पर नहीं भरे गये। राज्य सरकार ने कहा कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से उच्च अधिकारियों को भेजे गए और प्रशिक्षित स्टाफ और संसाधनों की उपलब्धता की कमी के कारण वेब आधारित निगरानी प्रणाली विकसित नहीं की जा सकी।

3.3.4.2 तृतीय पार्टी मूल्यांकन एवं आवधिक निरीक्षण नहीं किया जाना

राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के ऑपरेशनल दिशा-निर्देश के अनुच्छेद संख्या 12.3 के अनुसार राज्य द्वारा वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं में से 25 प्रतिशत परियोजनाएं अनिवार्य रूप से तृतीय पार्टी मूल्यांकन हेतु लिया जाना आवश्यक था।

राज्य सरकार ने कहा कि तृतीय पार्टी मूल्यांकन की जिम्मेदारी नोडल संस्था यानि कृषि विभाग के पास निहित थी। नोडल संस्था ने कहा (मई 2016) कि कोई भी तृतीय पार्टी मूल्यांकन नहीं कराया गया।

कॉमन दिशा-निर्देश के अनुच्छेद संख्या 11.1(85) और ऑपरेशनल दिशा-निर्देश के अनुच्छेद संख्या 21.7 के अनुसार परियोजना के निरीक्षण के लिए क्षेत्रीय/राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण किए जाने आवश्यक थे। राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों द्वारा परियोजना की निगरानी के लिए कोई आवधिक निरीक्षण नहीं किये गये। क्षेत्रीय/राज्य स्तर के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में राज्य

सरकार ने अवगत कराया कि मुख्य वन संरक्षक और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किए गए।

यह सिफारिश की जाती है कि ऑन लाईन वेब आधारित प्रणाली विकसित की जानी चाहिए और चल रहे जलग्रहण कार्यों के लिए जलग्रहण क्षेत्र एवं गतिविधि-वार आंकड़े वेब साइट पर भरे जाने चाहिए। परियोजना की विभिन्न गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए तृतीय पार्टी मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

3.3.5 निष्कर्ष

परियोजना और ग्राम स्तर पर संस्थागत व्यवस्था के अभाव में परियोजना कार्य अनियोजित रूप से निष्पादित किये गये जिससे विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। जलग्रहण विकास दल गठित न किए जाने कारण जलग्रहण समितियों का गठन बिना विषय विशेषज्ञ/ज्ञानी व्यक्तियों के किया गया। यह सुनिश्चित किये बिना कि वानस्पतिक भू-संरक्षण कार्यों ने निश्चित आकार ले लिया है, पक्की संरचनाओं का अनियोजित निर्माण किये जाने के परिणामस्वरूप बहुउद्देशीय जलाशयों में सतत जल भण्डारण बढ़ाने एवं गाद रोकने का परियोजना का उद्देश्य अपूर्ण रहा। स्वयं सहायता समूहों का गठन न किए जाने से लाभार्थियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए कृषि एवं संबद्ध कार्यों के लिए रिवोल्विंग निधि का वितरण नहीं हुआ। प्रयोक्ता समूह का गठन नहीं किया गया जिसके कारण परियोजना के तहत निर्मित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव का कार्य बाधित रहा। कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जाने से पदाधिकारियों का ज्ञान एवं कौशल बढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका। कॉरपस निधि का उपयोग न किए जाने और प्रयोक्ता प्रभार एकत्रित न किए जाने से परियोजना के तहत निर्मित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव का कार्य प्रभावित हुआ।

ऑन-लाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली विकसित न किए जाने के कारण जलग्रहण-वार एवं गतिविधि-वार आंकड़े वेब साइट पर नहीं डाले गये। परियोजनाओं का तृतीय पार्टी मूल्यांकन नहीं किया गया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.4 प्रतिशत प्रभार ₹ 7.44 करोड़ को अनियमित रूप से शामिल करना

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित कार्यों पर प्रतिशत-प्रभार ₹ 7.44 करोड़ को अनियमित रूप से शामिल करना

सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-II) के परिशिष्ट 5 के नियम 5 (क) और (घ) में स्थापना व औजार एवं संयंत्र की लागत की वसूली, प्रतिशत दरों (प्रतिशत प्रभार) पर, पूंजीगत व्यय का मुख्य शीर्ष संचालित करने वाले खण्ड द्वारा तथा सरकार के अन्य विभाग के लिए कार्य करने पर, जब कार्य की लागत उन विभागों से प्रभारित/वसूलनीय हो, करने का प्रावधान है।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया (फरवरी 2012) कि यदि निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग से भिन्न अन्य संस्था यथा राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान आवासन मंडल, आवास विकास लिमिटेड आदि द्वारा निष्पादित किये जावें तो सार्वजनिक निर्माण विभाग एजेंसी प्रभार वसूल नहीं करेगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने टोंक जिले में केकड़ी-देवली सड़क पर नेगडिया उच्च स्तरीय पुल के निर्माण हेतु कृषि एवं ग्रामीण आधारभूत विकास कोष के अंतर्गत ₹ 37.86 करोड़ की स्वीकृति जारी की (सितंबर 2010)। 31 मई 2013 को ₹ 22.95 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति जारी की गई। उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को आवंटित किया गया (जून 2011)। कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथी सितंबर 2015 थी। कार्य नवंबर 2015 में ₹ 59.60 करोड़ व्यय कर पूर्ण किया गया।

यह देखा गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, टोडारायसिंह ने इस कार्य के निष्पादन के लिए मार्च 2014 और जनवरी 2015 के बीच में ₹ 33.50 करोड़ राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को जमा किये। यद्यपि, खण्ड ने राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को किये गये भुगतान के ₹ 37.86 करोड़ (₹ 4.36 करोड़ प्रतिशत प्रभार शामिल करते हुए) पूंजीगत मुख्य शीर्ष 5054-सड़क व पुल पर पूंजीगत व्यय पर भारित किये और साथ-साथ ₹ 4.36 करोड़ राजस्व व्यय शीर्ष 2059 एवं 3056 स्थापना, औजार व संयंत्र में जमा (ऋणात्मक भारित) किये। चूंकि खण्ड द्वारा उच्च स्तरीय पुल का

कार्य निष्पादित नहीं किया था, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित कार्य में प्रतिशत प्रभारों को शामिल किया जाना निर्धारित लेखांकन एवं वित्तीय नियमों का उल्लंघन था और अनियमित था। इस तरह से पूंजीगत व्यय को अनाधिकृत रूप से राजस्व व्यय के रूप में उपयोग किया।

राज्य सरकार ने बताया (अप्रैल 2016) कि सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के परिशिष्ट V के नियम 5(क) और (घ) में प्रावधान है कि जब कार्य की लागत व्यय के पूंजीगत मुख्य शीर्ष पर भारित हो तो खण्ड द्वारा प्रतिशत प्रभारों की वसूली की जायेगी। आगे, नियम 6(ज) में भी इन कार्यों पर प्रतिशत प्रभार लगाने पर निषेध नहीं किया गया है। उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि इस मामले में विभाग द्वारा कार्य निष्पादित नहीं किये गये थे और कोई स्थापना, औजार व संयंत्र कार्य पर नियोजित नहीं किया गया था। कार्य निष्पादन से संबंधित सभी गतिविधियाँ⁴⁶ राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा की गयी थी जिसके लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड ने विभाग से एजेंसी प्रभार वसूल किये थे। इस प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूंजीगत मुख्य शीर्ष को भारित करते समय प्रतिशत प्रभारों को शामिल करने की कार्यवाही अनियमित थी तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार (फरवरी 2012) नहीं थी।

दूसरे मामले में, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने धौलपुर⁴⁷ जिले में मनिया-मरेना रोड पर पुल निर्माण हेतु ₹ 24.36 करोड़ की स्वीकृति जारी की। कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को आवंटित किया गया।

यह ज्ञात हुआ (अक्टूबर 2015) कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड राजाखेड़ा ने इस कार्य के निष्पादन हेतु सितंबर 2011 से सितंबर 2015 के दौरान ₹ 23.62 करोड़ राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को जमा किये और ₹ 3.07 करोड़ प्रतिशत प्रभारों के रूप में प्रभारित किये। खण्ड द्वारा ₹ 26.69 करोड़ राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को भुगतान के रूप में पूंजीगत मुख्य शीर्ष 5054-पूंजीगत व्यय सड़क व पुल पर भारित किये। चूंकि खण्ड ने सड़क-पुल निर्माण का कार्य निष्पादित नहीं किया था, इसलिए प्रतिशत प्रभारों को शामिल करने की कार्यवाही उपरोक्त सार्वजनिक निर्माण

⁴⁶ निष्पादन यथा निविदा प्रक्रिया, आवंटन, वास्तविक निष्पादित कार्य की माप, कार्यस्थल की तकनीकी गतिविधियां, बिल तैयार करना इत्यादि।

⁴⁷ जॉब सं. 1072/5054/जिला व अन्य सड़क (मार्च 2007)।

वित्तीय एवं लेखा नियम का उल्लंघन थी और अनियमित थी। इससे पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय पर अनाधिकृत रूप से प्रयोग किया गया।

मामला विभाग की जानकारी में लाया गया (जनवरी 2016), उत्तर अपेक्षित था (अक्टूबर 2016)।

3.5 निष्फल व्यय ₹ 3.99 करोड़

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क उन्नयन कार्य पर निष्फल व्यय ₹ 3.99 करोड़

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों पर चलने वाले भारी खनिज वाहनों/अन्य भारी वाणिज्यिक वाहनों के कारण सड़कों के समय पूर्व खराब होने की समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण सड़कों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के सम्बंध में दिशानिर्देश जारी किये (मई 2011), जिनमें प्रावधान है कि:

- उच्च दबाव वाली सड़कों के रख-रखाव के अभाव में या प्रस्तावित सड़क के कम दूरी की सड़क होने की वजह से संभावित डायवर्जन की सूचना प्राप्त कर प्रस्तावित सड़क/संपर्क सड़क का स्थान और उच्च दबाव सड़कों से इसकी सम्बंधता समुचित रूप से पता की जानी चाहिए;
- यदि सड़क उन्नयन के लिए ली गई है तो तीन लगातार दिनों तक चलने वाले सामान्य यातायात (दो कार्य दिवस और एक सप्ताहंत जैसाकि यातायात सूचकांक गणना विश्लेषण के लिए निर्धारित किया गया है) की सूचना, वाहनों का वर्गीकरण, वर्गीकृत वाणिज्यिक वाहनों की लदान और बिना लदान स्थिति, अतिभार का स्तर इत्यादि यदि कोई हो सहित संग्रहित की जानी चाहिए;
- खदान क्षेत्रों में अतिभार का अधिस्तर डिजाइन में शामिल किया जाना चाहिए;
- आधार वर्ष में संभावित यातायात की गणना करते हुए इसे डिजाइन लाईफ अवधि के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। संभावित अतिरिक्त खदान यातायात को भी शामिल किया जाना चाहिए;
- चयनित सड़क के स्थान के कारण यातायात के संभावित डायवर्जन के अनुमान को ध्यान रखना आवश्यक है;
- सड़क का डिजाइन आवश्यकतानुसार तथा यह सुनिश्चित करने के बाद कि डिजाइन संभावित भारी वाहनों के परिचालन के लिये टिकाऊ है, किया गया है। डिजाइन सड़क की सामान्य यातायात और खदान, उद्योगों इत्यादि में प्रयुक्त

भारी वाहनों के यातायात सहित कार्य की मात्रा के आधार पर लागत का अनुमान किया जावेगा।

राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारत निर्माण (नियमित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)⁴⁸ के तहत ढाबादेह से कुंदायला 8.500 किमी (खैराबाद खण्ड, जिला कोटा) सड़क के उन्नयन के लिए ₹ 3.77 करोड़ की स्वीकृति जारी की (अक्टूबर 2009)। कार्य सड़क के सुदृढ़ीकरण और सुधार को ध्यान में रखकर प्रारंभ किया। चूंकि सड़क की क्रस्ट साइज अपर्याप्त थी। कार्य ₹ 3.23 करोड़ की अनुमानित लागत पर संवेदक⁴⁹ को आवंटित किया गया (मार्च 2010) और यह फरवरी 2011 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था। कार्य सड़क के भाग 0/0 से 8.150 किमी के उन्नयन के बाद पूर्ण कर लिया गया और ₹ 3.99 करोड़ का व्यय मार्च 2011 तक हुआ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, रामगंज मंडी के अभिलेखों से ज्ञात हुआ (अप्रैल 2015) कि उल्लेखित सड़क की डिजाइन अवधि 10 वर्ष थी। 38 महीनों के अन्दर (मार्च 2011 से जून 2014), दो नजदीकी सड़कों के यातायात के डायवर्जन के कारण सड़क की सतह भारी यातायात की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं थी। उक्त सड़क औद्योगिक क्षेत्र (कुंदायला रीको औद्योगिक पार्क) से भी जुड़ी हुई थी जहां रामगंजमंडी की लगभग सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियां स्थापित थी।

दोष निवारण अवधि के समाप्त होने से पूर्व (29 मार्च 2016 तक) एवं डिजाइन अवधि के 1/3 अवधि में सड़क सतह के टूट जाने से स्पष्ट था कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय उक्त दिशानिर्देशों की पालना किये बिना भारी यातायात/अतिभारित वाहनों को सहने योग्य गुणवत्ता वाली सड़क के निर्माण को सुनिश्चित नहीं किया गया।

अन्य सड़कों से यातायात के डायवर्जन एवं अतिभार के स्तर के समुचित आंकलन के अभाव तथा सामान्य यातायात व खदानों तथा उद्योग आदि में उपयोग होने वाले भारी वाहनों के यातायात के लागत अनुमान तैयार नहीं करने के कारण सड़क उन्नयन पर किया गया व्यय ₹ 3.99 करोड़ अधिकांश रूप से निष्फल रहा।

राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2016) कि अप्रैल 2013 में दो नजदीकी सड़कों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन कार्यों की स्वीकृति दी गयी थी और कार्य जून 2014 तक

⁴⁸ पैकेज संख्या आर जे-23-बी एन-यू जी-18

⁴⁹ मैसर्स एम.एम. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, तारानगर

प्रगति पर थे। इन दोनों सड़कों का यातायात इस सड़क पर डायवर्ट हो गया और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय इसका पूर्वानुमान नहीं था। यह भी बताया कि इस सड़क के पूर्ण होने के बाद कुदायला औद्योगिक क्षेत्र में कोटा स्टोन की 250 नई औद्योगिक इकाईयां स्थापित हो गयी जिससे यातायात की मात्रा में वृद्धि हुयी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, रामगंजमंडी, वृत्त, कोटा ने स्वीकार किया (जून 2014) कि कोटा जाने वाली सड़कों में से (उक्त दो को शामिल करते हुए) ढाबादेह से कुदायला सड़क सबसे कम दूरी की थी। इस तथ्य के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े होने के कारण संभावित अतिरिक्त यातायात के तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया। इस प्रकार भारी खनिज वाहनों/अन्य अतिभारित वाणिज्यिक वाहनों ने कोटा जाने के लिए सड़क का उपयोग किया जिसके कारण सड़क की सतह टूट गई।

3.6 क्षतिपूर्ति आरोपित करने का अभाव व मूल्यवृद्धि का अनियमित भुगतान

कार्य की स्पानवाइज प्रगति के संधारण के अभाव में ₹ 4.66 करोड़ की क्षतिपूर्ति के आरोपण का अभाव व मूल्य वृद्धि ₹ 0.44 करोड़ का अनियमित भुगतान

संविदा अनुबंध के क्लॉज 45 की सामान्य शर्त संख्या 7 में प्रावधान है कि मूल्य समायोजन क्लॉज केवल उस कार्य के लिए लागू होगा जो निर्धारित समय या उसके ऐसे विस्तार के भीतर किया गया हो जो ठेकेदार की ओर से नहीं है। संविदा अनुबंध के क्लॉज 2 के नीचे दिये गये नोट में प्रावधान है कि मूल्य समायोजन केवल ऐसी दरों और कार्य की लागत पर अनुज्ञेय होगा जब कार्य उस विशिष्ट समय अवधि में किया गया होता।

संविदा अनुबंध के क्लॉज 2 में प्रावधान है कि यदि ठेकेदार समय अनुसूची के अनुसार कार्य पूरा करने में असफल रहता है और विलंब ठेकेदार की ओर से हुआ हो तो ठेकेदार प्रत्येक समय अवधि पर सरकार को क्षतिपूर्ति का संदाय करने का भागी होगा। क्षतिपूर्ति की संपूर्ण राशि संविदा लागत की 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। संविदा अनुबंध के क्लॉज 3 में प्रावधान है कि यदि संवेदक कार्य पूर्ण नहीं करता है और शेष कार्य दूसरे संवेदक द्वारा अधिक लागत पर किया जाता है तो लागत के अन्तर की वसूली पुराने संवेदक से की जावेगी।

➤ अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, जोधपुर ने एस. एन. मेडिकल कॉलेज जोधपुर में निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए मार्च 2011 से अप्रैल 2012 के बीच विभिन्न ठेकेदारों को सात कार्य आदेश जारी किये। ये कार्य जुलाई 2012 से अक्टूबर 2013 के मध्य पूर्ण किये जाने थे। जारी

किये गये कार्य आदेशों और अनुसूचित समय में किये गये व्यय का कार्यवार विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है।

अधिशायी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग मेडीकल खण्ड, जोधपुर के अभिलेखों की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि सात मामलों में ₹ 1.02 करोड़ का भुगतान मूल्यवृद्धि के रूप में ठेकेदारों को किया गया (**परिशिष्ट 3.2**)। सभी सात मामलों में, ठेकेदारों ने न तो समयावधि अनुसार कार्य की मात्रा को पूर्ण किया न ही प्रभारी अभियंता ने ठेकेदार की ओर से देरी नहीं होने के आधार पर समयावधि विस्तार प्रदान किया। इस प्रकार, संविदा के उक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ठेकेदारों को मूल्यवृद्धि प्रभार देय नहीं था।

इसके अलावा, उक्त सभी सात मामलों में, ठेकेदारों ने कार्य की समयावधिवार प्रगति संधारित नहीं की। इसलिये, वे संविदा के क्लॉज 2 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिए जिम्मेदार थे। खण्ड के अभिलेखों की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि उल्लेखित क्लॉज के तहत आवश्यक क्षतिपूर्ति ₹ 3.13 करोड़ ठेकेदारों से वसूल नहीं की गई (**परिशिष्ट 3.3**)।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि मूल्यवृद्धि के मामलों में, लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेपित की गई राशि ₹ 1.02 करोड़ में से, ₹ 58.35 लाख ठेकेदारों को भुगतान योग्य थे और शेष राशि ₹ 43.57 लाख की वसूली की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई थी। क्षतिपूर्ति नहीं वसूलने के संबंध में राज्य सरकार ने बताया कि संवेदकों के बिलों से ₹ 18.45 लाख की राशि रोक ली गई थी और सक्षम अधिकारी द्वारा अंतिम समयावृद्धि प्रदान करने के बाद समुचित कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि ठेकेदारों ने उल्लेखित क्लॉज के अनुसार आवश्यक समयावधिनुसार कार्य की प्रगति संधारित नहीं की। क्षतिपूर्ति आरोपित नहीं करने व समयावृद्धि स्वीकृति के अभाव में मूल्यवृद्धि का भुगतान अनियमित था जिसके परिणामस्वरूप संवेदक को अदेय लाभ हुआ।

➤ सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर ने विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए ₹ 6.55 करोड़ की स्वीकृति⁵⁰ प्रदान की। सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड रतनगढ़ और बेगूं ने एक संवेदक⁵¹ को ₹ 5.16 करोड़⁵² लागत पर

⁵⁰ ₹ 4 करोड़ पैकेज सं. आर जे 11-04 और 05/आर आई डी एफ-XVII /एमएल-III/2011-12 और ₹ 2.55 करोड़ पैकेज संख्या आर जे 10-03/एस एच डब्ल्यू/आयोजना/2011-12

⁵¹ मैसर्स सूर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी, जयपुर

सभी पैकेजों के कार्य आवंटन किये (सितंबर 2011 से नवंबर 2011) जो कि क्रमशः फरवरी 2012 और मई 2012 तक पूर्ण किये जाने थे।

सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, रतनगढ़ और बेगू के अभिलेखों की जांच में ज्ञात हुआ कि संवेदक ने विभाग के बार-बार पत्राचार/नोटिस जारी करने के बावजूद ₹ 1.21 करोड़ (₹ 0.51 करोड़ पैकेज आर जे-11-04, ₹ 0.49 करोड़ पैकेज आरजे 11-05 और ₹ 0.21 करोड़ पैकेज आरजे 10-03) के कार्य ही पूर्ण किये। इसलिये विभाग ने उल्लेखित क्लॉज 2 व 3 प्रयोग करते हुए कार्यों को वापस ले लिया (अक्टूबर-नवंबर 2012) और शेष कार्य ₹ 1.18 करोड़⁵³ अतिरिक्त व्यय कर अन्य संवेदकों के माध्यमों से पूर्ण करवाये गये।

संविदा अनुबंध के क्लॉज 2 व 3 के अनुसार, क्षतिपूर्ति राशि क्रमशः ₹ 0.52 करोड़ और ₹ 1.18 करोड़ कुल 1.70 करोड़ (परिशिष्ट 3.4) संवेदक से वसूली योग्य थी। सम्बंधित खण्डों द्वारा संविदा अनुबंध के क्लॉज 2 के तहत केवल ₹ 0.17 करोड़⁵⁴ वसूल की गई और शेष राशि ₹ 1.53 करोड़ अक्टूबर 2012 से बकाया पड़ी हुई थी (अक्टूबर 2016)।

राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2016) कि क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए पीडीआर कानून के तहत मामला दर्ज करने के लिए जनवरी-फरवरी 2016 में जिला कलेक्टर चूरू और जयपुर को मामला दर्ज करने के लिए सूचित किया जा चुका था। तथ्य यह है कि विभाग ने क्षतिपूर्ति वसूली के लिए तीन वर्षों से अधिक समय तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। लेखापरीक्षा द्वारा मामला उजागर करने के बाद कार्यवाही प्रारंभ की।

⁵² ₹ 2.80 करोड़ पैकेज सं. आरजे 11-04 और 05/आरआईडीएफ- XVII /एमएल-III/2011-12 और ₹ 2.36 करोड़ पैकेज सं. आर जे 10-03/एसएचआर/आयोजना/2011-12

⁵³ आरजे 11-05 ₹ 33.17 लाख, आरजे 11-04 ₹ 33.85 लाख और आरजे 10-03 ₹ 51.17 लाख

⁵⁴ ₹ 0.14 करोड़ पैकेज सं. आरजे 11-04 और 05 तथा ₹ 0.03 करोड़ पैकेज सं. आरजे 10-03 हेतु

3.7 परिहार्य व्यय ₹ 2.05 करोड़

ग्रामीण गौरव पथ योजना के अनुमानों में मृदा खुदाई, ग्रेन्यूलर सब बेस का निर्माण और कंपैक्टेड ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट को बिछाने वाले आइटमों को शामिल करने से ₹ 2.05 करोड़ का परिहार्य व्यय

सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र (दिसंबर 2014) के अनुसार ग्रामीण गौरव पथ योजना के तहत सीमेंट कंक्रीट/डामर सड़क का निर्माण पूर्व में निर्मित सीमेंट कंक्रीट/बिटुमिन सड़क पर किया जावेगा जिससे कि नई सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिए नये सब बेस या ग्राउंड तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। परिपत्र में प्रावधान था कि ग्रामीण गौरव पथ योजना के तहत कायदिश देते समय विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि मृदा खुदाई, ग्रेन्यूलर सब बेस का निर्माण और कंपैक्टेड ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट को बिछाने जैसे आइटमों को तकमीना में शामिल नहीं किया जावे। क्योंकि यह योजना के प्रथम चरण के बजट को जो कि इस उद्देश्य के लिये दिया गया था बिना क्वालिटी निर्माण के समाप्त कर देगी। परिपत्र के अनुसार, लागत को कम करने के लिए और अधिक क्षेत्रों को सीमेंट कंक्रीट सड़कों से जोड़ने में धनराशि के उपयोग हेतु उपरोक्त आइटमों पर होने वाले परिहार्य व्यय पर प्रत्येक स्तर पर सावधानी रखी जानी थी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने नागौर जिले के मेड़ता सिटी व नागौर खण्डों तथा धौलपुर जिले के राजाखेड़ा खण्ड में ग्रामीण गौरव पथ योजना में सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जारी की (दिसंबर 2014)। कायदिश सम्बंधित खण्ड के अधिशाषी अभियंताओं द्वारा जारी किये गये (नवंबर-दिसंबर 2014)।

खण्डों के अभिलेखों की जांच (सितंबर-अक्टूबर 2015) में ज्ञात हुआ कि सरकार के उक्त निर्देशों के विरुद्ध, विभाग ने मृदा खुदाई, ग्रेन्यूलर सबबेस व कंपैक्टेड ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट आइटमों को कार्यों के तकमीना में शामिल किया। कार्य उसी अनुरूप आवंटित/निष्पादित किये गये। यदि विभाग ने इन आइटमों को तकमीना में शामिल नहीं किया होता और पूर्व निर्मित सीमेंट कंक्रीट/डामर सड़कों पर सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाता तो इन सड़कों पर किये गये व्यय राशि ₹ 2.05 करोड़ को बचाया जा सकता था (परिशिष्ट 3.5)। इससे विभाग को अधिक क्षेत्रों को सीमेंट कंक्रीट सड़कों से जोड़ने में राशि के उपयोग में मदद मिलती।

राज्य सरकार ने मेड़ता सिटी और नागौर खण्डों के बारे में बताया (जनवरी 2016) कि सीमेंट कंक्रीट सड़कों की डिजाइन 'मालवीय राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान' द्वारा तैयार की गई थी। आगे ग्रामीण गौरव पथ योजना में निर्मित सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी इसलिए तकनीकी अनुमानों में उक्त आइटमों का प्रावधान किया गया। राजाखेड़ा खण्ड के सम्बंध में सरकार ने बताया (अप्रैल 2016) कि सीमेंट कंक्रीट रोड का बेस तैयार करने के लिए इन आइटमों का प्रावधान लिया गया।

उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इन आइटमों को शामिल किया जाना सरकार के दिशा निर्देशों के विपरीत था। सड़कों के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के समर्थन में कोई सर्वे रिपोर्ट सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की। सरकार का मत कि सीमेंट कंक्रीट रोड की डिजाइन मालवीय नेशनल तकनीकी संस्थान द्वारा तैयार की गई थी, भी स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि मालवीय नेशनल तकनीकी संस्थान ने नया अलाइनमेंट मानते हुए इंडियन रोड कांग्रेस-62 की विशिष्टियों के अनुसार डिजाइन तैयार की थी।

3.8 अलाभकारी व्यय ₹ 1.78 करोड़

कार्य के अपूर्ण रहने से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के अभाव में ₹ 1.78 करोड़ का अलाभकारी व्यय

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 4.1 में प्रावधान है कि कार्यक्रम के उद्देश्यों को व्यवस्थित और प्रभावी लागत से प्राप्त करने हेतु समुचित कार्ययोजना आवश्यक है। आगे, अनुच्छेद 11.5 में प्रावधान है कि उन मामलों में जहां संविदा की लागत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किये गये अनुमानों से अधिक है, राज्य के लिये एक फेज/बैच में स्वीकृत किये गये कार्यों पर समग्र अंतर (टेन्डर प्रीमियम) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना/सामान्य आरक्षित तकनीकी सेना सड़क से बंगराला किलोमीटर 0/0 से 9/0⁵⁵ तक डामरीकृत सड़क के निर्माण के लिए ₹ 1.83 करोड़ की स्वीकृति जारी की (मार्च 2013)। सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग बीकानेर द्वारा ₹ 1.82 करोड़ के कार्य का तकनीकी अनुमान स्वीकृत किया (अप्रैल 2013)। कार्य ₹ 2.46 करोड़ की अनुमानित लागत पर आवंटित किया (मार्च 2014) जो नवंबर 2014 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था। कार्यादेश के नीचे नोट में उल्लेखित था कि कार्य प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति तक सीमित किया जाना था। अक्टूबर 2014 तक

⁵⁵ पैकेज संख्या आरजे -08- डब्ल्यू बी -10-01

संवेदक ने ₹ 1.78 करोड़ व्यय कर 6.9 किमी (0/300 से 7/200) लंबाई में कार्य निष्पादित किया। 2.1 किमी लंबाई का शेष कार्य कोषों की कमी के कारण निष्पादित नहीं किया जा सका।

अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त बीकानेर के अभिलेखों की नमूना जांच में ज्ञात हुआ कि प्राप्त संविदाओं की राशि स्वीकृत तकमीना से अधिक थी और शेष कार्य को करने के लिए अतिरिक्त कोषों की आवश्यकता थी। क्षेत्र अधिकारियों के बार-बार कहने (जुलाई 2014 से आगे) के बावजूद, शेष कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कोष राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये। विभाग ने ₹ 1.78 करोड़ व्यय कर कार्य अपूर्ण स्तर पर पूर्ण मान लिया।

समुचित कोषों के अभाव में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति से ऊपर कार्यादेश जारी करने के परिणामस्वरूप कार्य अपूर्ण रहा और ₹ 1.78 करोड़ व्यय के बावजूद सड़क से जोड़ने के उद्देश्यों को पूर्ण नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2016) और बताया कि कार्य प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति तक प्रतिबंधित किया गया। दिशा निर्देशों में संशोधित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति का प्रावधान नहीं था। आगे बताया (जून 2016) कि प्रस्तावित 9 किमी सड़क में से 7 किमी में निर्माण कार्य पूर्ण किया गया और सड़क के दोनों ओर की आबादी लाभान्वित हुई। यह भी बताया कि पैकेज संख्या आरजे-08-डब्ल्यूबी-10-01 में ₹ 5.00 लाख की बचत शेष 2 किमी लंबाई में ग्रेवल सड़क के निर्माण में उपयोग ली जावेगी। उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि तकमीना के साथ संलग्न तकनीकी रिपोर्ट में उल्लेखित था कि बंगराला से भिन्न कोई ओर आबादी सड़कों से नहीं जोड़ी जानी थी। आगे, शेष 2 किमी भाग में ग्रेवल सड़क के निर्माण से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देशों के तहत आबादी (बंगराला) को सभी मौसमों में उपयोगी सड़क से जोड़ने के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होगी।

3.9 कोषों का अनाधिकृत उपयोग ₹ 1.72 करोड़

तेरहवें वित्त आयोग के तहत स्वीकृत कोषों का अनाधिकृत उपयोग ₹ 1.72 करोड़

सामान्य वित्तीय एवं लेखानियम के नियम 11 में प्रावधान है कि नियंत्रण अधिकारी यह देखेगा कि खर्च करने वाली इकाईयों को आवंटित निधियां लोकहित में तथा उन उद्देश्यों पर खर्च की गई है जिनके लिए धनराशि का प्रावधान किया गया था।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने तेरहवें वित्त आयोग के तहत जोधपुर शहर में आठ सड़कों⁵⁶ के मरम्मत व नवीनीकरण हेतु ₹ 1.78 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृति के अनुसार, व्यय बजट शीर्ष 3054 - सड़क एवं पुल - 04 जिला एवं अन्य सड़कें - 800 अन्य व्यय -(02) ग्रामीण सड़कें - (03) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर संधारण कार्य - 54 संधारण (सामग्री) पर भारित योग्य था। अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड, जोधपुर ने मैसर्स जय भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के पक्ष में कार्य पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक 5 जुलाई 2013 के साथ ₹ 2.07 करोड़ का कार्यदिश जारी किया (जनवरी 2013)। कार्य ₹ 1.72 करोड़ व्यय करते हुए दिसंबर 2013 में पूर्ण किया गया।

अधिशाषी अभियंता, नगर खण्ड, जोधपुर के अभिलेखों की समीक्षा (जनवरी 2015) में ज्ञात हुआ कि उक्त सड़कें जोधपुर नगर निगम क्षेत्र की शहरी सड़कें थीं। तेरहवें वित्त आयोग के तहत उक्त उल्लेखित बजट शीर्ष के अंतर्गत स्वीकृत कोषों का उपयोग ग्रामीण सड़कों के संधारण और नवीनीकरण में किया जाना था। इस प्रकार, तेरहवें वित्त आयोग के तहत ₹ 1.72 करोड़ के कोषों का शहरी सड़कों के संधारण पर उपयोग स्वीकृति के विपरीत था।

राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2016) कि सक्षम अधिकारी द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत जारी स्वीकृति के अनुसार कार्य निष्पादन किया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निर्मित सड़कें जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में शहरी सड़कें थीं और तेरहवें वित्त आयोग के तहत जारी निधियों का उपयोग केवल ग्रामीण सड़कों के संधारण और नवीनीकरण पर दिया जाना था।

3.10 परिहार्य व्यय ₹ 1.42 करोड़

5 से 15 महीने पूर्व निर्मित सड़कों पर वित्तीय औचित्यता के नियम के विरुद्ध ₹ 1.42 करोड़ का परिहार्य व्यय

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 10 उपबन्धित करता है कि लोक निधियों से व्यय करने वाले या व्यय को प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को वित्तीय औचित्य के उच्च स्तर द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हर कदम पर वित्तीय आदेश एवं कठोर मितव्ययता लागू

⁵⁶ (1)पुरी तिराहा से बोम्बे मोटर चौराहा (2) जालोरी गेट चौराहा से ओलंपिक (3) जालौरी गेट से गोल बिल्डिंग और चौपासनी रोड (4) पावटा चौराहा से सर्किट हाउस (5) आसूजी की प्याऊ से मंडोर रेल्वे स्टेशन (6) बी.डी.ओ. ऑफिस मंडोर से गोकुलजी की प्याऊ (7) कायलाना से चौपासनी एरिया (8) नागौरी गेट से विद्याशाला रोड

करनी चाहिए। उससे यह आशा की जाती है कि लोक निधि से व्यय के सम्बंध में वह वैसी ही सतर्कता बरतेगा जो एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति अपनी स्वयं की धनराशि के व्यय के सम्बंध में बरतता है।

मुख्य अभियंता, सड़क, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने झालावाड़ जिले में ग्रामीण गौरव पथ योजना के तहत ग्रामीण भाग में 30 सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निष्पादन के लिए ₹ 20.54 करोड़ की स्वीकृति जारी की (दिसंबर 2014)। सड़कों के निर्माण का कार्य ₹ 16.76 करोड़ पर आवंटित किया (दिसंबर 2014) जोकि अगस्त 2015 तक पूर्ण किया जाना था।

अधिशायी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, झालावाड़ के अभिलेखों की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि 30 सड़कों में से, तीन सड़कें⁵⁷ अन्य योजनाओं के अंतर्गत 5 से 15 माह पूर्व स्वीकृत और निर्मित की जा चुकी थी। ये सड़कें गारंटी अवधि में थी। इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद वित्तीय औचित्यता के नियम के विपरीत ये सड़कें ग्रामीण गौरव पथ योजना में पुनः स्वीकृत की गईं और ₹ 1.42 करोड़ परिहार्य व्यय कर जुलाई 2015 में पूर्ण की गई।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जून 2016) कि आक्षेपित सीमेंट कंक्रीट सड़कों को गारंटी अवधि में होने के कारण नहीं हटाया गया और इन सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण की बजाए ग्रामीण भाग में नई सड़कों⁵⁸ का निर्माण करवाया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जैसाकि विभाग द्वारा सूचित किया है नई सड़कों के निर्माण के लिए कोई प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति नहीं थी। ग्रामीण गौरव पथ योजना में स्वीकृत सड़कों पर भारित की गयी राशि के विरुद्ध ही भुगतान किया गया। ग्रामीण गौरव पथ योजना के तहत स्वीकृत सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण से हटकर नई सड़कों का निर्माण जिनकी कोई स्वीकृति अस्तित्व में नहीं थी, यह गंभीर अनियमितता थी।

⁵⁷ द्वाबली से गैलानी (₹ 0.48 करोड़), पिडावा रामपुरिया वाया कल्यानपुरा (₹ 0.45 करोड़), ओसाव-मथानिया (₹ 0.49 करोड़)

⁵⁸ ग्राम सांगरिया में, ग्राम रामपुरिया में व ग्राम मथुरिया में

वन विभाग

3.11 ₹ 1.52 करोड़ की वसूली का अभाव

खुदाई की गई सामग्री की लागत ₹ 1.52 करोड़ की वसूली का अभाव

सड़क यातायात और राजमार्ग विभाग, भारत सरकार और सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार के बीच सहमति ज्ञापन (एमओयू) (नवंबर 2009) सम्पादित हुआ जिसके अनुसार, वर्तमान में दो लेन सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग-8⁵⁹, गौमती चौराहे से उदयपुर खण्ड का पुनरूद्धार व उन्नयन कर चार लेन सड़क बनाना था। कार्यक्षेत्र में चिरवा घाट पर 450 मीटर लम्बाई में टनल निर्माण का प्रावधान शामिल था।

एमओयू और प्रयोक्ता एजेंसी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिये गये वचन पत्र के अनुसार टनल खुदाई में निकली 'मक' मृदा और सख्त/नर्म चट्टान को शामिल (1,12,230 घनमीटर लगभग) करते हुए, का सड़क निर्माण में उपयोग किया जाना था और उसकी कीमत वन विभाग के मांग करने पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करायी जानी थी।

उप वन संरक्षक (उत्तर), उदयपुर के अभिलेखों की समीक्षा में ज्ञात हुआ (मई 2015) कि विभाग ने खुदाई में उपयोगी सामग्री की कीमत ₹ 1.52 करोड़⁶⁰ (जुलाई 2013 की बीएसआर की दरों के आधार पर) की वसूली के लिए कोई मांग नहीं की। टनल का कार्य ₹ 100.83 करोड़ की लागत में पूर्ण किया गया (दिसंबर 2015)।

उप वन संरक्षक (उत्तर) ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2015) और जुलाई 2015 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उदयपुर पर मांग जारी की, जिसकी वसूली अपेक्षित थी (अक्टूबर 2016)।

⁵⁹ किलोमीटर 177/30 से किलोमीटर 260/100

⁶⁰ ₹ 450X33669 क्यूबिक मीटर (112230 क्यूबिक मीटर का 30 प्रतिशत)

जल संसाधन विभाग

3.12 सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा

₹ 9.12 करोड़ कीमत की सरकारी भूमि के राजस्व विभाग को समर्पित नहीं करने के परिणामस्वरूप भूमि पर अवैध कब्जा

सामान्य वित्तीय एवं लेखानियम के नियम 324(2) के अनुसार, विभागों के अधिकार की भूमि उनके विभागीय प्रयोजनों के लिए ही है तथा जब भी उन्हें समनुदेशित भूमि का कोई भाग उन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित न रह जाये तो उसे राजस्व विभाग को समर्पित कर दिया जायेगा।

जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 1975-76 में डूंगरपुर जिले के गलियाकोट कस्बे के निवासियों के पुनर्वास हेतु 471.17 बीघा गैर कृषि भूमि अधिग्रहित की। यह भूमि कडाना बांध के डूब क्षेत्र से हटाये गये व्यक्तियों को बिना किसी कीमत के आवंटित की गई। पुनर्वास की संपूर्ण प्रक्रिया 1975 से 1980 की अवधि में पूर्ण कर दी गई। तत्पश्चात्, 28 वर्षों से अधिक के बाद अधिशाषी अभियंता, माही परियोजना, सागवाड़ा ने मुख्य अभियंता, माही परियोजना बांसवाड़ा को सूचित किया (अगस्त 2008) कि पुनर्वास प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ₹ 47.68 करोड़ कीमत की 100 बीघा अधिशेष भूमि जल संसाधन विभाग के अधिग्रहण में रही।

राजस्व (पुनर्वास) विभाग और वित्त (राजस्व) विभाग द्वारा सभी विभागों को अधिशेष भूमि को स्थानीय निकायों द्वारा आगे आवंटन हेतु हस्तांतरण करने के लिए निर्देश जारी किये (अक्टूबर 2009 और अप्रैल 2010)। आगे, जिला कलेक्टर डूंगरपुर और उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा ने अधिशाषी अभियंता, कडाना माही पुनर्वास खण्ड, सागवाड़ा को सीमांकन और अधिशेष भूमि को आगे आवंटन हेतु स्थानीय निकायों को हस्तांतरण करने के लिए तहसीलदार सागवाड़ा को समर्पित करने के निर्देश दिये (जनवरी 2012 और मई 2012)। अधिशाषी अभियंता, भीखाभाई सागवाड़ा केनाल खण्ड, सागवाड़ा ने मई 2012 में अधिशेष भूमि का जायजा लिया जो 76 बीघा और 4 बिस्वा मापी गयी जोकि अगस्त 2008 में की गई भूमि की माप से 23 बीघा और 16 बिस्वा कम थी।

अगस्त 2014 में राज्य सरकार के कार्यक्रम 'प्रशासन आपके द्वार' कार्यक्रम के दौरान इस भूमि पर अवैध कब्जे और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा फर्जी पट्टा जारी करने की सार्वजनिक शिकायत प्राप्त हुई। विभिन्न अन्तर्विभागीय पत्राचार में अधिशाषी अभियंता, भीखाभाई सागवाड़ा केनाल खण्ड, सागवाड़ा ने

स्टाफ और बजट की कमी की वजह से भूमि की समुचित देखरेख में कठिनाई और अवैध कब्जे के लगातार मामलों के तथ्य को स्वीकार किया। जिला कलेक्टर, डूंगरपुर के निर्देश पर अधिशाषी अभियंता ने मामले की जांच के लिए विभागीय कमेटी गठित करने का प्रस्ताव किया (दिसंबर 2014)। विभाग द्वारा इस सम्बंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई (अप्रैल 2016)।

जल संसाधन विभाग समुचित देखरेख की स्थिति में नहीं था तो इस अधिशेष भूमि को बिना उपयोग के तीन दशक तक नहीं रोककर पुर्नवास प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 1980 में ही राजस्व विभाग को समर्पित कर दी जानी चाहिये थी। इसके कारण ₹ 9.12 करोड़⁶¹ लागत की 23 बीघा और 16 बिस्वा सरकारी भूमि विभाग के कब्जे में नहीं रही और या तो उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया या फर्जी पट्टा जारी कर आवंटित कर दी गई।

मामला अक्टूबर 2015 में सरकार को प्रेषित किया गया, उत्तर अपेक्षित रहा (अक्टूबर 2016)।

3.13 मूल्य वृद्धि पर परिहार्य व्यय ₹ 6.85 करोड़

विस्तृत तकनीकी अनुमानों के निर्धारण से पूर्व कार्य आवंटन के कारण ₹ 6.85 करोड़ का मूल्यवृद्धि पर परिहार्य व्यय

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम 285(ब) और 348(अ) के अनुसार तकनीकी ब्यौरे निकालने, सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के पूर्ण होने, कार्यक्रम नक्शा/प्रारूप बन जाने के पश्चात विस्तृत तकनीकी अनुमान तैयार किये जाये और स्वीकृत कराये जाये। यह मौलिक नियम है कि कोई निर्माण कार्य तब तक प्रारंभ नहीं किया जायेगा जब तक कि समुचित रूप से विस्तृत डिजाइन और अनुमान स्वीकृत नहीं कर दिये गये हो। जल संसाधन विभाग ने विस्तृत भू-सर्वेक्षण के बाद ही तकमीना तैयार करने के बारे में कार्यालय आदेश/स्थायी आदेश/परिपत्र जारी किये (मई 2004 और जून 2008)।

जल संसाधन विभाग, कोटा ने बारंग जिले में ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना पर मिट्टी का बांध, चूटे स्पिलवे, विंग वाल, ट्रेनिंग वाल व हैड आउट स्लूस के निर्माण के लिए ₹ 20.57 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति जारी की (अक्टूबर 2007)। इसे आगे सितंबर 2011 में ₹ 47.64 करोड़ से संशोधित किया गया। निविदा प्रक्रिया के बाद कार्य ₹ 24.14 करोड़ में जनवरी 2008 में संवेदक को

⁶¹ 23.16 बीघा x 17424 = 414691 वर्ग फीट x 220 (1 अक्टूबर 2014 से लागू डीएलसी दर के आधार पर)

आवंटित किया गया जोकि जनवरी 2011 तक पूर्ण किया जाना था। फरवरी 2016 तक ₹ 56.02 करोड़ का व्यय किया जा चुका था और कार्य प्रगति पर था।

जल संसाधन विभाग, छबड़ा-II के अभिलेखों की जांच में ज्ञात हुआ कि मार्च 2007 में भू-तकनीकी अन्वेषण के बाद भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने सिफारिश की थी कि स्पिलवे की नींव, स्थल पर और प्रयोगशाला में उपमृदा की पारगम्यता और जियो-मैकेनिकल जांचों के आधार पर निर्धारित होगी।

विभाग ने अगस्त 2007 में मृदा अन्वेषण कार्य निजी फर्म⁶² को आवंटित किया जिसने दिसंबर 2007 और जनवरी 2008 के मध्य अन्वेषण कार्य किया। फर्म ने विभाग को नीवों की खुदाई के बाद भू-तकनीकी इंजीनियर/भू-विशेषज्ञ द्वारा नीव की गहराई निश्चित करने की सलाह दी। भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग के वरिष्ठ भू-विशेषज्ञ ने मार्च 2008 में कार्यस्थल का भ्रमण किया और कलकेरियस डिकम्पोज्ड बलुआ पत्थर पाया जो कि घुलनशील था और पानी इकट्ठा होने की स्थिति में नीव के लिए उपयुक्त माध्यम नहीं था। मृदा स्ट्रेटम की मिश्रित प्रकृति और नीव के विपरीत स्वभाव को देखते हुए मुख्य अभियंता, अन्वेषण, जांच और अनुसंधान ने मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जोन, कोटा को केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली की सिफारिश प्राप्त करने हेतु सलाह दी (अप्रैल 2008)। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जोन कोटा ने मामला अन्वेषण और सुधारात्मक उपायों के सुझाव सहित स्पिलवे की डिजाइन और आरेखण देने हेतु केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली को प्रेषित किया (मई 2008)। विस्तृत अन्वेषण, भ्रमण और मॉडल टेस्टिंग के बाद, केन्द्रीय जल आयोग ने जून 2011 में आरेखण और डिजाइन को फाइनल किया और इसके बाद कार्य प्रारंभ किया गया।

इस प्रकार स्पिलवे का आरेखण, डिजाइन और नीव स्ट्रेटा के निर्धारण के बिना तकनीकी स्वीकृति जारी करना और कार्य आवंटित करना उल्लेखित नियम का उल्लंघन था। इस कारण संवेदक को ₹ 6.85 करोड़ मूल्यवृद्धि के परिहार्य भुगतान के अलावा कार्य में पांच वर्षों से भी अधिक की देरी हुई।

राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2016) कि आरेखण और डिजाइन के अनुमोदन से पहले प्रभावी भौगोलिक अन्वेषण किया गया। आगे बताया कि भौगोलिक अन्वेषण हमेशा सीमित क्षेत्र में किये जाते थे जो वृहद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उल्लेखित नियम के अनुसार तकनीकी विवरणों की गणना के बाद और सर्वेक्षण व अन्वेषणों के पूर्ण होने के बाद विस्तृत तकनीकी अनुमान तैयार किये जाने थे और स्वीकृत किये जाने थे। निहित मामले में भारतीय

⁶² मैसर्स पीएनटी डिजाइन (प्रा.) लिमिटेड, कोटा

भू-सर्वेक्षण विभाग, मृदा जांच करने वाली फर्म और विभाग की अन्वेषण, जांच और अनुसंधान शाखा द्वारा निष्कर्षपूर्ण सिफारिशों के बावजूद कार्य आवंटित किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त स्थायी समिति ने इस शर्त के साथ संशोधित स्वीकृति जारी की थी कि आचरण नियम-16 के तहत जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किया जावेगा। इस सम्बंध में कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई (फरवरी 2016)।

एस. आलोक

(एस.आलोक)

महालेखाकार

जयपुर

(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

दिनांक: 10 फरवरी 2017

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक: 17 फरवरी 2017

परिशिष्ट

परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 'राजस्थान के किसान की सिंचाई प्रणाली में भागीदारी नियम, 2000' में किये जाने वाले संशोधनों की सूची

- नर्मदा परियोजना में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के नियमों का गठन 'राजस्थान के किसानों की सिंचाई प्रणाली में भागीदारी अधिनियम, 2000' के नियम 3 के अनुसार नहीं किया जा सकता क्योंकि डिग्गी से पानी के वितरण के प्रबन्धन के लिए प्रत्येक 'डिग्गी' के लिए एक जल उपभोक्ता समिति होगी। जल उपभोक्ता समिति के लिए प्रादेशिक निर्वाचन एक चक्र होगा जिसमें 'डिग्गी' स्थित होगी।
- इसके अलावा, प्रारम्भिक स्तर पर जल उपभोक्ता समिति, वहां पूरे गांव क्षेत्र के जल उपभोक्ता समितियों की समिति हो सकती है जहां प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति का कम से कम एक प्रतिनिधि सदस्य होगा। यह समिति गांव के प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति के हितों की देखभाल करेगी तथा प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति इस समिति के लिये मतदाताओं के एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में कार्य करेगी। इसके बाद वितरिका तथा परियोजना समिति अपने पहले से परिभाषित कार्यों के साथ होगी। अधिकारों, जिम्मेदारियों और जल उपभोक्ता समिति के कामकाज तथा गांव की जल उपभोक्ता समितियों के लिए तौर तरीकों पर कार्य करना होगा।
- नियम 50 को परियोजना में जल वितरण के पैटर्न के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। इस प्रणाली में वितरिका समिति का गठन होने तक डिग्गी से पूर्व खालों की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग की होगी। उसके पश्चात वितरिका स्तर तक मरम्मत तथा संधारण की भूमिका वितरिका समिति द्वारा ली जा सकती है।
- सिंचाई विभाग के अधिकारियों से लगातार सहायता की सिफारिश की गई है। किसानों ने कहा कि विभाग के प्रतिनिधि (सहायक अभियन्ता स्तर) जल उपभोक्ता समिति के साथ समिति मिटिंग में मौजूद होने चाहिये। यह धन संग्रह और बकाएदारों को सजा भी सुगम करेगी।
- जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्ध समिति में सभी जातियों के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सदभावना की दृष्टि से किसानों से यह सुझाव आया है।
- इनाम तथा सजा का सिस्टम शुरू किया जाना चाहिए। बकाएदारों को दंडित करने के लिए स्पष्ट मानदंड होने चाहिए। इस सम्बन्ध में जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध समिति के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिये। इनाम अथवा सजा या तो नकद प्रोत्साहन या हतोत्साहित (दंड) के रूप में प्रशंसा या अभाव के रूप में हो सकती है।

- जब जरूरत हो तब जल उपभोक्ता समिति के लिए सभी प्रकृति के विचार-विमर्श के लिए एक परामर्श समिति उपलब्ध होनी चाहिये। समिति में विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिंचाई, कृषि, पर्यावरण, कानूनी सलाहकार और सम्बन्धित विशेषज्ञ होने चाहिये।
- परिणाम पाने के लिए जल उपभोक्ता समिति में क्षमता निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक परियोजनाओं में अधिकारियों का प्रशिक्षण अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
- पानी के आवंटन के लिए स्पष्ट मानदण्डों को परिभाषित किया जाना चाहिए। विचार-विमर्श के दौरान तीन प्रकार के सुझाव आगे आए:
 - i. चूंकि पानी सीमित है। बड़ा अथवा छोटा किसान, सभी को बराबर पानी का आवंटन मिलना चाहिए। यह सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है।
 - ii. एक बारी में बराबर पानी दिया जा सकता है और उसके बाद जरूरत के हिसाब से शेष पानी वितरित किया जाना चाहिए।
 - iii. भूमि के आकार के हिसाब से जल आवंटित किया जाना चाहिए।
- जैसा कि महिला किसानों के रूप में संख्या सीमित है, वहां जल उपभोक्ता समिति के प्रबन्ध समिति में प्रतिनिधित्व से वंचित रहने की सम्भावना है। पंचायत प्रणाली में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए महिला किसानों के आरक्षण को नियमों में शामिल करने की सिफारिश की गई।
- इसी प्रकार, छोटे किसानों को आरक्षण, उनके लिए उचित सौदा होगा।

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 2.1.4.2; पृष्ठ 31)

उन मामलों कि सूची जिनमें कलाज 5 के अधीन समय का विस्तार नहीं चाहा गया अथवा प्रदान किया गया तथा कलाज 2 के अधीन कार्यवाही नहीं की गयी

क्र. स.	कार्य का नाम	प्रारम्भ करने की निर्धारित तिथि	समाप्त करने की निर्धारित तिथि	कार्य की स्थिति	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	विलम्ब के कारण
1.	हलिबाव माईनर, सब-माईनर किमी 0.000 से 7.600, हलिबाव "अ" सब-माईनर किमी 0.000 से 1.000 तथा "ब" किमी 0.000 से 1.425 ऑफ टेकिंग फ्रॉम किमी 3.900 लेफ्ट फ्रॉम विरावा माईनर पर मिट्टी की खुदाई एकल पीसीसी ब्लॉक लाईनिंग, पक्का स्ट्रक्चर, डिग्गी, पम्परूम, सम्पवेल तथा बाउंडरी वाल का निर्माण कार्य	14.12.2012	13.12.2013	कार्य प्रगतिरत	अ.अ. द्वारा 31.08.2014 तक समय का विस्तार प्रदान किया गया लेकिन संक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया।	खड़ी फसलें, जीआरईएफ से रोड कटिंग के लिए अनुमति चाही गयी, भूमि का मुआवजा, जनोपयोगी सेवा के हटाने पर रोक।
2.	मदराई लिफ्ट वितरिका ऑफ टेकिंग फ्रॉम 55.600 किमी की विभिन्न माईनर, सब-माईनर की मिट्टी की खुदाई, एकल पीसीसी ब्लॉक लाईनिंग, पक्का स्ट्रक्चर, डिग्गी, पम्परूम, सम्पवेल का निर्माण कार्य तथा अरनियाली लिफ्ट माईनर ऑफ टेकिंग फ्रॉम 6.310 किमी पर एचडीपीई पाइप के वितरण नेटवर्क मय विद्युत जनित मोटर एसेसरीज सहित की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा प्रवर्तन करना।	08.07.2012	07.01.2014	कार्य प्रगतिरत	अ.अ. द्वारा 30.09.2014 तक समय का विस्तार प्रस्तावित किया गया लेकिन संक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया।	भूमि का अधिग्रहण खड़ी फसलें, सामग्री जैसे बजरी की आपूर्ति
3.	सनावड़ा खुद माईनर ऑफ टेकिंग फ्रॉम डांगरिया माईनर किमी 0.050 पर मिट्टी की खुदाई, एकल पीसीसी ब्लॉक लाईनिंग, पक्का स्ट्रक्चर, डिग्गी, पम्परूम, सम्पवेल का निर्माण कार्य तथा एनडीपीई पाइप मय विद्युत जनित मोटर की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा प्रवर्तन करना	17.08.2013	16.08.2014	कार्य प्रगतिरत	-	-
अ.अ. खण्ड-III, सांचौर						
4.	रातोड़ा वितरिका की रानोदर माइनर के सिंचित क्षेत्र के अर्द्ध-स्थाई स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए एचडीपीई पाइप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेटवर्क (मुख्य तथा उप. मुख्य) को प्रवर्तन करना	08.08.2008	07.12.2008	संवेदक द्वारा कार्य छोड़ दिया गया	-	संवेदक ने कार्य रोके रखा लेकिन अनुबन्ध के खण्ड 2 तथा 3(सी) के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

5.	नर्मदा मुख्य नहर के ऑफ टेकिंग 44.225 पर रातोडा वितरिका की माइनर तथा सब-माइनर पर मिट्टी की खुदाई, पक्का स्ट्रक्चर, पम्परूम, सम्पवेल, डिग्गी का निर्माण कार्य तथा एचडीपीई पाईप मय विद्युत जनित मोटर की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेटवर्क (मुख्य तथा उप मुख्य) को प्रवर्तन करना, टर्न की आधार पर मैकेनिकल कार्य की डिजाईनिंग तथा ले आउट सहित।	08.07.2012	07.01.2014	कार्य प्रगतिरत	-	-
अ.अ. खण्ड-III, सांचौर						
6.	नर्मदा मुख्य नहर के ऑफ टेकिंग 7.88 पर एस एल डी के 34.000 किमी तक विभिन्न माइनर, सब-माइनर पर एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेटवर्क (मुख्य तथा उप मुख्य) को प्रवर्तन करना, टर्न-को आधार पर मैकेनिकल कार्य की डिजाईनिंग तथा ले आउट सहित।	17.03.2010	17.03.2012	कार्य प्रगतिरत	आवेदन किया गया लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया।	खड़ी फसले, चौरा सिस्टम के पम्पिंग हाउस का निर्माण नहीं होना, पम्पिंग हाउस का विद्युतीकरण नहीं होना
अ.अ. खण्ड-V, सांचौर						
7.	भीमगुडा वितरिका ऑफ टेकिंग फ्रॉम 74.400 नर्मदा मुख्य नहर की सुराचन्द माइनर तथा सब-माइनर पर मिट्टी की खुदाई, पक्का स्ट्रक्चर, पम्प रूम, सम्प वेल, डिग्गी का निर्माण कार्य तथा एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेट वर्क प्रवर्तन करना विद्युत जनित मोटर सहित।	04.03.2011	03.03.2012	कार्य प्रगतिरत	आवेदन किया लेकिन स्वीकृत नहीं किया।	अत्यधिक वर्षा के कारण खेत पानी से भर गये।
8.	नर्मदा मुख्य नहर के भीमगुडा वितरिका के ऑफ टेकिंग 5.375 से पानोरिया लिफ्ट वितरिका के अन्य माइनर/सब-माइनर तथा पटेल माइनर पर मिट्टी की खुदाई, एकल पीसीसी ब्लॉक लाईनिंग, पक्का स्ट्रक्चर, पम्प रूम, सम्प वेल, डिग्गी, बाउण्डरी वाल का निर्माण कार्य तथा एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेट वर्क प्रवर्तन करना विद्युत जनित मोटर सहित।	01.10.2011	30.09.2013	कार्य प्रगतिरत	आवेदन किया लेकिन स्वीकृत नहीं किया।	-
9.	नर्मदा मुख्य नहर के भीमगुडा वितरिका के ऑफ टेकिंग 5.375 से पानोरिया लिफ्ट वितरिका के अन्य माइनर/सब-माइनर पर मिट्टी की खुदाई, पक्का स्ट्रक्चर, एकल पीसीसी ब्लॉक लाईनिंग, पम्प रूम, सम्प वेल, डिग्गी, बाउण्डरी वाल का निर्माण कार्य तथा एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेट वर्क प्रवर्तन करना विद्युत जनित मोटर सहित।	02.10.2011	01.10.2013	कार्य प्रगतिरत	आवेदन किया लेकिन स्वीकृत नहीं किया।	-

10.	नर्मदा मुख्य नहर के भीमगुडा वितरिका के ऑफ टेकिंग 5.375 से पानोरिया लिफ्ट वितरिका के आखा, ओगला, दुधवासन माइनर पर मिट्टी की खुदाई, पक्का स्ट्रक्चर, एकल पीसीसी ब्लॉक लाईनिंग, पम्प रूम, सम्प वेल, डिग्गी, बाउण्डरी वाल का निर्माण कार्य तथा एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेट वर्क प्रवर्तन करना विद्युत जनित मोटर सहित।	21.07.2012	20.01.2014	कार्य प्रगतिरत	आवेदन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया।	लेकिन स्वीकृत नहीं किया।	सक्षम नहीं	ग्रेफ सड़क के स्ट्रक्चर में परिवर्तन, भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित न्यायालय में विवाद, खड़ी फसलें
11.	नर्मदा मुख्य नहर के भीमगुडा वितरिका के ऑफ टेकिंग 5.375 (आर) से पानोरिया लिफ्ट वितरिका के आखा नहर माइनर पर मिट्टी की खुदाई, पक्का स्ट्रक्चर, एकल पीसीसी ब्लॉक लाईनिंग, पम्प रूम, सम्प वेल, डिग्गी, बाउण्डरी वाल का निर्माण कार्य तथा एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेट वर्क प्रवर्तन करना विद्युत जनित मोटर सहित।	19.07.2013	18.07.2014	कार्य प्रगतिरत	आवेदन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया।	लेकिन स्वीकृत नहीं किया।	सक्षम नहीं	किसानों को मुआवजे के भुगतान में देरी, खड़ी फसलें
अ.अ. खण्ड-I, सांचौर								
12.	नर्मदा मुख्य नहर के वांक वितरिका चक वीएनके 3 (आर) किमी 4.625 से चक 5(एल), किमी 5.750 भदवाल माइनर चक बीएचडब्ल्यू 1(एल) से बीएचडब्ल्यू 10(टी) तथा नया माइनर चक नया 1(एल) से नया 5(टी) कुल 18 चक के सिंचित क्षेत्र के लिए अर्द्ध-स्थायी स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेटवर्क प्रवर्तन करना।	05.08.2007	04.11.2007	कार्य प्रगतिरत	आवेदन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया।	लेकिन स्वीकृत नहीं किया।	सक्षम नहीं	खड़ी फसलें, सिविल कार्य पूर्ण नहीं
13.	नर्मदा मुख्य नहर के इसरोल वितरिका, सिवारा माइनर चक एस डब्ल्यू डी 1(आर) से एस डब्ल्यू डी 8 तथा पालडी माइनर चक पीएलडी 1 से पीएलडी 7 के सिंचित क्षेत्र के लिए अर्द्ध-स्थायी स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेटवर्क प्रवर्तन करना।	28.12.2007	27.06.2008	कार्य प्रगतिरत	अ.अ. ने कलाज 32 के अन्तर्गत कार्य विद्वा करने तथा कलाज 3(सी) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए अनुदासित किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी।			-
14.	नर्मदा मुख्य नहर के इसरोल वितरिका सिस्टम के इसरोल माइनर तथा इसरोल माइनर 'ए' 'बी' तथा 'सी' तथा इसरोल वितरिका चक 1 से 16 कुल चक-40 तथा 4886 है. के सिंचित क्षेत्र के लिए अर्द्ध-स्थायी स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेटवर्क प्रवर्तन करना।	31.07.2008	30.01.2009	कार्य प्रगतिरत	अ.अ. ने सक्षम प्राधिकारी को समय की वृद्धि के लिये मामला भेजा लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय का विस्तार स्वीकृत नहीं किया।			खड़ी फसलें, डिग्गी पर विद्युत कनेक्शन नहीं होना

15.	नर्मदा मुख्य नहर के वांक वितरिका सिस्टम के वांक माइनर तथा भुआना तथा वांक वितरिका चक बीएनके 6 से 31 (आर) कुल चक 49 व 4951.28 है. के सिंचित क्षेत्र के लिए अर्द्ध-स्थायी स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेटवर्क प्रवर्तन करना।	31.07.2008	30.01.2009	कार्य प्रगतिरत	मु.अ. ने दिनांक 05.06.2014 विस्तार की कार्यकारी स्वीकृति प्रदान की लेकिन कार्य प्रगतिरत है।	खडी फसलें, वांक वितरिका में सिविल कार्य पूर्ण नहीं
16.	नर्मदा मुख्य नहर के 16.00 किमी पर ऑफ टेकिंग पर बाम्बी माइनर, बर्बाला माइनर, जेथा माइनर, लालजी माइनर, जान्वी माइनर कुल चक 81 तथा सीसीए 8278.71 है. के सिंचित क्षेत्र के लिए विद्युत जनित मोटर क्षैतिज अपकेन्द्री मोनो ब्लोक पम्पसेट सहित की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण तथा प्रवर्तन करना, टर्न की आधार पर।	03.12.2012	02.06.2012	कार्य प्रगतिरत	अ.अ. ने समय का विस्तार प्रकरण प्रस्तुत किया लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया।	जल उपभोक्ता समिति के चुनाव नहीं होना, विद्युत कनेक्शन नहीं होना।
17.	नर्मदा मुख्य नहर के बालेरा वितरिका के अकोडा तथा धीगपुरा माइनर के सिंचित क्षेत्र के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेटवर्क प्रवर्तन तथा विद्युत जनित मोटर क्षैतिज अपकेन्द्री मोनो ब्लोक पम्पसेट सहित।	21.02.2010	20.11.2010	कार्य प्रगतिरत	अ.अ. ने समय का विस्तार 31.03. 12 तक प्रस्तुत किया लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया।	सिविल कार्य पूर्ण नहीं थे।
18.	नर्मदा मुख्य नहर के बालेरा वितरिका कि बांडिया, टेल माइनर तथा नलधार सब-माइनर के सिंचित क्षेत्र के लिए अर्द्ध स्थायी स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, जोड़ना, परीक्षण तथा वितरण नेटवर्क प्रवर्तन तथा विद्युत जनित मोटर सहित।	21.02.2010	20.11.2010	कार्य प्रगतिरत	अ.अ. ने समय का विस्तार 31.03. 12 तक प्रस्तुत किया लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया।	सिविल कार्य पूर्ण नहीं थे।

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 3.1.2.3; पृष्ठ 47)

विश्लेषित नमूने एवं उनके परिणामों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

सीईटीपी	नमूने लेने की अवधि	नमूनों की संख्या	असफल नमूनों की संख्या	सफल नमूनों की संख्या	मानक जो पूरे नहीं किये गये
सीईटीपी-I, पाली	3.8.2012 to 18.6. 2015	53	44	09	टीएसएस,सीओडी, बीओडी
सीईटीपी-II, पाली	3.8. 2012 to 9.1. 2016	60	51	09	टीएसएस,सीओडी, बीओडी
सीईटीपी-III, पाली	3.8. 2012 to 8.9. 2015	59	49	10	टीएसएस,सीओडी, बीओडी
सीईटीपी-IV, पाली	3.8. 2012 to 9.1. 2016	64	62	02	टीएसएस,सीओडी, बीओडी, तेल व ग्रीज
सीईटीपी-VI, पाली	8.9. 2015 to 9.1. 2016	04	04	00	टीएसएस,सीओडी, बीओडी
योग		240	210	30	

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 3.6; पृष्ठ 92)

जारी कायदेशि, व्यय, संवेदकों को भुगतान की गई मूल्यवृद्धि का कार्यवार विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म का नाम	अनुबन्ध संख्या	कायदेशि संख्या	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	कार्य पूर्ण होने की राशि	मूल्यवृद्धि की राशि
1.	लेक्चर थियेटर का निर्माण	मैसर्स सैयद लुकमान एंड सन्स	01/2012-13	अ.अ.एम/जेयू/11-12/05 दिनांक 5.4.2012	15.4.2012	14.01.2013	6.4.2015	1,27,62,605	2,02,116
2.	एम डी एम अस्पताल मे पी.जी. हॉस्टल का निर्माण	मैसर्स आनन्दी लाल लालपुरिया	116/2011-12	अ.अ.एम/जेयू/11-12/1651 दिनांक 29.3.2012	8.4.2012	7.10.2013	कार्य प्रगतिरत	10,38,02,343	8,87,613
3.	एम डी एम अस्पताल मे आपातकालीन व ओपीडी का निर्माण	मैसर्स आनन्दी लाल लालपुरिया	16/2011-12	अ.अ.एम/पी.डब्ल्यू.डी. मेडिकल डिवीजन जेयू/365 दिनांक 5.9.2011	15.9.2011	14.12.2012	जनवरी 2016	8,83,35,737	13,26,003
4.	एम डी एम अस्पताल मे यू.जी. लड़कों के हॉस्टल भवन का निर्माण	मैसर्स जय कंस्ट्रक्शन कंपनी	117/2011-12	अ.अ.एम/पी.डब्ल्यू.डी. मेडिकल डिवीजन जेयू/1661 दिनांक 30.3.2011	9.4.2012	8.04.2013	25.8.2015	2,73,56,888	3,23,007
5.	एम डी एम अस्पताल मे मातृ एवं शिशु विंग का निर्माण (स्त्रीरोग की ओपीडी व शिशुओं के लिये आपातकालीन सेवा)	मैसर्स नीवन इन्फ्रा, मुम्बई	09/2011-12	अ.अ.एम/पी.डब्ल्यू.डी. मेडिकल डिवीजन जेयू/09/2011-12	18.7.2011	17.10.2012	30.9.2013	10,74,57,285	32,90,597
6.	एम डी एम अस्पताल मे मातृ एवं शिशु विंग का निर्माण (ओ.टी., कॉमन नर्सिंग व लेबर रूम तथा तीन मंजिल के लिये दो मंजिल ओ.टी.)	मैसर्स आनन्दी लाल लालपुरिया	10/2011-12	अ.अ.एम/पी.डब्ल्यू.डी. मेडिकल डिवीजन जेयू/162 दिनांक 8.7.2011	18.7.2011	17.10.2012	30.9.2013	10,49,13,921	29,88,875
7.	के.एन. चेस्ट अस्पताल, जोधपुर में संक्रामक रोग संस्थान का निर्माण	मैसर्स फजलर रहमान	17/2011-12	अ.अ.एम/पी.डब्ल्यू.डी. मेडिकल डिवीजन जेयू/400 दिनांक 10.9.2011	20.9.2011	19.07.2012	23.12.2013	6,20,79,366	11,73,880
योग									1,01,92,091

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 3.6; पृष्ठ 92)

कार्यों का विवरण जिनमें संवेदक द्वारा स्पान वाईज प्रगति संधारित नहीं की

लेक्चर थियेटर का निर्माण

समय अवधि	I 15.04.2012 to 21.05.2012	II 22.05.2012 to 29.08.2012	III 30.08.2012 to 6.11.2012	IV 7.11.2012 to 14.1.2013
कार्य जो किया जाना था	19,67,020	59,01,062	1,18,02,123	1,57,36,165
कार्य जो किया गया	-	37,87,864	45,60,561	1,15,80,195
कार्य जो नहीं किया गया	19,67,020	21,22,198	34,58,438	41,55,970
क्षतिपूर्ति की राशि	49,176	1,06,110	2,59,383	4,15,597
कुल क्षतिपूर्ति				8,30,266

एम डी एम अस्पताल में पी.जी. हॉस्टल का निर्माण

समय अवधि	I 8.04.2012 to 23.08.2012	II 24.08.2012 to 07.01.2013	III 8.01.2013 to 24.05.2013	IV 25.05.2013 to 7.10.2013
कार्य जो किया जाना था	1,30,54,730	3,91,64,191	7,83,28,382	10,44,37,843
कार्य जो किया गया	3,10,69,720	5,34,09,599	7,41,50,768	8,42,08,722
कार्य जो नहीं किया गया	-	-	41,77,614	2,02,29,121
क्षतिपूर्ति की राशि	-	-	3,13,321	20,22,912
कुल क्षतिपूर्ति				23,36,233

एम डी एम अस्पताल में आपातकालीन व ओपीडी का निर्माण

समय अवधि	I 15.09.2011 to 6.01.2012	II 7.01.2012 to 29.04.2012	III 30.04.2012 to 21.08.2012	IV 22.08.2012 to 14.12.2012
कार्य जो किया जाना था	1,04,51,335	3,13,54,004	6,27,08,007	8,36,10,676
कार्य जो किया गया	65,23,019	1,17,47,452	1,91,41,118	1,91,41,118
कार्य जो नहीं किया गया	39,28,316	1,96,06,552	4,35,66,889	6,44,69,558
क्षतिपूर्ति की राशि	98,208	9,80,328	32,67,517	64,46,957
कुल क्षतिपूर्ति जो कार्यदिश के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी				83,61,068

एम डी एम अस्पताल में यू.जी. लड़कों के हॉस्टल भवन का निर्माण

समय अवधि	I 9.04.2012 to 08.07.2012	II 09.07.2012 to 07.10.2012	III 8.10.2012 to 06.01.2013	IV 07.01.2013 to 8.04.2013
कार्य जो किया जाना था	40,90,756	1,22,72,267	2,45,44,533	3,27,26,045
कार्य जो किया गया	52,23,282	1,24,36,933	1,83,65,160	2,43,08,359
कार्य जो नहीं किया गया	-	-	61,79,373	84,17,686
क्षतिपूर्ति की राशि	-	-	4,63,453	8,41,769
कुल क्षतिपूर्ति				13,05,222

एम डी एम अस्पताल में मातृ एवं शिशु विंग का निर्माण (स्त्री रोग की ओपीडी व शिशुओं के लिये आपातकालीन सेवा)

समय अवधि	I 18.07.2011 to 8.11.2011	II 9.11.2011 to 1.03.2012	III 2.03.2012 to 24.06.2012	IV 25.06.2012 to 17.10.2013
कार्य जो किया जाना था	1,48,24,000	4,44,72,000	8,89,45,000	11,85,93,000
कार्य जो किया गया	53,95,000	4,47,66,000	5,86,76,000	7,02,06,000
कार्य जो नहीं किया गया	94,29,000	-	3,02,69,000	4,83,87,000
क्षतिपूर्ति की राशि	2,35,725	-	22,70,175	48,38,700
कुल क्षतिपूर्ति				73,44,600

एम डी एम अस्पताल में मातृ एवं शिशु विंग का निर्माण (ओ.टी., कॉमन नर्सेस व लेबर रूम तथा तीन मंजिल के लिये दो मंजिल ओ.टी.)

समय अवधि	I 18.07.2011 to 08.11.2011	II 09.11.2011 to 02.03.2012	III 3.03.2012 to 24.06.2012	IV 25.06.2012 to 17.10.2012
कार्य जो किया जाना था	1,45,63,036	4,36,89,109	8,73,78,218	11,65,05,106
कार्य जो किया गया	2,03,69,981	4,06,02,525	5,34,23,923	6,60,05,106
कार्य जो नहीं किया गया	-	30,86,584	3,39,54,295	5,04,99,185
क्षतिपूर्ति की राशि	-	1,54,329	25,46,572	50,49,919
कुल क्षतिपूर्ति जो कायदेश के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी				75,96,491

के.एन. चेस्ट अस्पताल, जोधपुर में संक्रामक रोग संस्थान का निर्माण

समय अवधि	I 20.09.2011 to 4.12.2011	II 5.12.2011 to 17.02.2012	III 18.02.2012 to 4.05.2012	IV 5.05.2012 to 19.07.2012
कार्य जो किया जाना था	79,61,123	2,38,83,370	4,77,66,740	6,36,88,987
कार्य जो किया जाना था	69,46,786	2,63,78,910	3,33,46,004	3,92,20,140
कार्य जो किया गया	10,14,337	-	1,44,20,736	2,44,68,847
कार्य जो नहीं किया गया	25,358	-	10,81,555	24,46,885
कुल क्षतिपूर्ति जो कायदेश के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी				35,51,798
क्षतिपूर्ति का कुल योग				3, 13, 25,678

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 3.6; पृष्ठ 93)

संवेदको को अनुबन्ध के क्लॉज 2 व 3 के अन्तर्गत किये गये क्षतिपूर्ति के भुगतान का विवरण

क्लॉज 2 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति

(₹ लाखों में)

अवधि	प्रथम अवधि तक			द्वितीय अवधि तक			तृतीय अवधि तक			चतुर्थ अवधि तक			योग	योग	योग
	6.11.2011	9.1.2012	10-03	14.12.2011	24.2.2012	10-03	21.1.2012	9.4.2012	10-03	29.2.2012	24.5.2012	10-03			
पैकेज	11-05	11-04	10-03	11-05	11-04	10-03	11-05	11-04	10-03	11-05	11-04	10-03	11-05	11-04	10-03
कार्य जो किया जाना था	17.97	17.00	78.73	53.91	50.99	157.96	107.81	101.99	177.15	143.75	135.98	236.19			
कार्य जो किया गया	-	-	-	-	15.65	20.80	22.11	29.15	20.80	42.91	39.70	20.80			
कार्य जो नहीं किया गया।	17.97	17.00	78.73	53.91	35.34	137.16	85.70	72.84	156.35	100.84	96.28	215.39			
क्षतिपूर्ति का प्रतिशत	2.5		2.5	5		5	7.5		7.5	10		10			
क्षतिपूर्ति	0.45	0.42	1.97	2.70	1.77	6.86	6.43	5.46	11.73	10.08	9.63	21.54	19.66	17.28	42.10
कुल कार्य के 10 प्रतिशत तक सीमित													14.38	13.60	23.62
कुल योग													51.60		
क्लॉज 3 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति															
पैकेज का नाम	11-05			11-04			10-03			योग					
कार्य जो नहीं किया गया।	103.51			92.10			198.94								
टेन्डर प्रीमियम का अन्तर (प्रतिशत में)	32.05			36.75			25.72								
क्षतिपूर्ति की राशि	33.17			33.85			51.17			118.19					

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 3.7; पृष्ठ 94)

ग्रामीण गौरव पथ योजना के अन्तर्गत मिट्टी की खुदाई, जीएसबी व डब्ल्यू.बी.एम. को शामिल करने वाले कार्यों का विवरण

क्र. स.	खण्ड का नाम	पैकेज का नाम	खोदी गई मिट्टी	जी.एस.बी.	डब्ल्यू.बी.एम.	योग
1.	मेड़ता सिटी	आर जे-24-03/5054/जीजीपी/पी/2014-15		1486.93 @ ₹ 516.00 = ₹7,67,255.88	1402.777 @ ₹ 1136.00 = ₹15,93,554.67 1110.277 @ ₹1193.00 = ₹13,24,560.46	36,85,371.01
				(-)टेन्डर प्रीमियम	22.87 प्रतिशत	(-) 8,42,844.35
योग						28,42,527.00

1.	नागपुर	आर जे-24-01/5054/जीजीपी/पी/2014-15	20621.64 @ ₹ 32.00 = ₹6,59,892		5010.50 @ ₹ 1136.00 = ₹56,91,928.00 5010.50 @ ₹ 1193.00 = ₹59,77,526.00	1,23,29,346
				(-)टेन्डर प्रीमियम	16.71 प्रतिशत	(-) 20,60,234.00
योग						1,02,69,112.00

1.	राजाखेड़ा	आर जे-3-02/5054/जीजीपी/पी/2014-15	3106.25 cum @ ₹ 57.00 = ₹1,77,056	6813.57 cum @ ₹ 448.00 = ₹ 30,52,479	4688.66 cum @ ₹ 1252.00 = ₹ 58,70,202	90,99,737
				टेन्डर प्रीमियम	18.54 प्रतिशत	16,87,091
योग						74,12,646.00
कुल योग						2,05,24,285.00

